अ नु क्र म णि का

			पृष्ठ
	प्रस्तावना		**९.ट**
अध्याय–1	**लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि**		1-2
	1.2	प्रशासनिक स्थिति एवं बजट	3-5
	1.3	अन्वेषण की अधिकारिता	5-6
	1.4	जांच व अन्वेषण करने की प्रक्रिया	6-7
	1.5	प्रचार–प्रसार	7-8
	परिशिष्ट–ए से परिशिष्ट–ए–1		9-12
अध्याय–2	**निष्पादित कार्य**		
	2.1	समग्र कार्य	13
	2.2	प्रारंभिक जांच के प्रकरण	13
	2.3	अन्वेषण के प्रकरण	14
	2.4	अनुशंसा के प्रकरण	14
	2.5	विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण	14
	2.6	अनुतोष के प्रकरण	14
	परिशिष्ट–1 से 8		15-26
अध्याय–3	**अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण**		27-40
अध्याय–4	**विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरणों का विवरण**		41-68
अध्याय–5	**अनुतोष के प्रकरणों का विवरण**		69-82
अध्याय–6	**लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता**		
	6.1	लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे	83
	6.2	लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जावे	84-95
	6.3	अन्वेषण एजेन्सी प्रदान की जावे	95-97
	6.4	सुशासन के लिए सुझाव	97-98
अध्याय–7	**लोकायुक्त सम्मेलन**		99
	लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि		100
	गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की गई बैठकों के फोटोग्राफ्स व न्यूज कटिंग्स		101-105

परिशिष्ट अनुक्रमणिका

परिशिष्ट		परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय-1	/	बजट वर्ष 2010-2011	9
	A-1	अधिनियम की धारा 2(i)(iv)(d) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं	10-12
v/;k;&2	1	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के समग्र प्रकरण	15
	2	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के प्रारंभिक जांच प्रकरण	16
	3	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरण	16
	4	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित प्रतिवेदन	17-19
	5	1.4.2004 से 31.3.2010 की कालावधि कें धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित प्रतिवेदन	20-23
	6	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित विशेष प्रतिवेदन	24
	7	लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् विभागों द्वारा की गई विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरणों का विवरण	25
	8	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के दौरान् लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से दिलाये गये विभागवार अनुतोष प्रकरण	26

प्रस्तावना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उप-धारा (4) के अनुसरण में 1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में मेरे द्वारा अधिनियम के अधीन सम्पादित किये गये कार्यो के संबंध में मेरे कार्यकाल का यह चौथा व लोकायुक्त संस्था का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। 1.4.2009 से 31.3.2010 की कालावधि के संबंध में 25वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2010 को प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रतिवेदन में लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि, प्रशासनिक स्थिति एवं बजट, अन्वेषण की अधिकारिता, जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया, लोकायुक्त संस्था का प्रचार-प्रसार, निष्पादित कार्य, सांख्यिकी, सुझावों और ऐसे मामलों के सारांश का समावेश है जिनमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रतिवेदन व विशेष प्रतिवेदन और अन्य सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई हैं।

दिनांक 31.3.2010 को कुल 850 परिवाद लंबित थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि (1.4.2010 से 31.3.2011 तक) में 1408 परिवाद और संस्थित किये गये। इस प्रकार कुल 2258 परिवादों में से प्रतिवेदनाधीन अवधि में 1401 परिवादों का निस्तारण किया गया व 857 परिवाद दिनांक 31.3.2011 को लंबित रहे। निस्तारण का प्रतिशत बढ़ कर 62.05 प्रतिशत रहा। सबसे अधिक 236 शिकायतें जयपुर जिले से व सबसे कम 1 शिकायत बांसवाड़ा जिले से प्राप्त हुई।

निपटाये गये प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को 16 विभिन्न लोकसेवकों के विरूद्ध प्रतिवेदन मय अनुशंषा के प्रेषित किये गये व 1 प्रकरण में धारा 12(3) के अन्तर्गत विशेष प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किया गया।

निपटाये गये परिवादों में से 42 प्रकरण ऐसे थे जिनमें इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा 83 दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारंभ की गई/निर्णीत की गई जिनमें से कतिपय मामलों में लोकसेवकों को राज्य सेवा से पदच्युत किये जाने, परिनिन्दा व वार्षिक वेतनवृद्धि के रोके जाने आदि के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है ।

59 ऐसे प्रकरण थे, जिनमें इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादीगण को अनुतोष प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर प्रकरण संख्याः एफ. 5(43)लोआस/2010 में **परिवादी श्री नन्द किशोर शर्मा को 36 वर्ष से वांछित वेतनमान का लाभ इस सचिवालय में शिकायत करने के लगभग 6 माह के भीतर दिलाया गया**, प्रकरण संख्याः एफ. 11(152)लोआस/2010 में **ग्राम कोदरला, जिला सिरोही की गोचर भूमि पर बनाये गये करीब 25 बाड़ों व स्कूल के पास की बिलानाम भूमि को 15 बाड़ों को ध्वस्त कर अतिक्रमित गोचर भूमि व उक्त बिलानाम भूमि को मुक्त कराया गया**, प्रकरण संख्याः 16(81)लोआस/2009 में श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोरधन निवासी जोधपुर को सिरोही में रोडवेज वर्कशॉप बायपास **सड़क निर्माण के भुगतान का लगभग 25 वर्ष से लंबित बिल का भुगतान इस सचिवालय में शिकायत प्रस्तुत होने के लगभग एक वर्ष की**

अवधि के भीतर करा दिया गया तथा प्रकरण संख्या: एफ.35(72)लोआस/2010 में सिरोही में वन रक्षक के पद पर तैनात **श्री ओटसिंह देवड़ा की दिनांक 22.6.1960 को मृत्यु से लेकर लगभग 50 साल से पेंशन का इंतजार कर रही उसकी 70 वर्षीय पत्नी को परिवाद पेश करने से मात्र तीन माह की रिकार्ड अवधि में पेंशन स्वीकृत करवाई गई।**

कुछ प्रकरणों में तो परिवाद आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने पर ही विभागों द्वारा कार्यवाही करली गई। ये उद्धरण लोकायुक्त सचिवालय की महत्ता को प्रकट करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अध्याय-2 '*निष्पादित कार्य*' में तथा विस्तृत विवरण अध्याय-3 '*अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण*', अध्याय-4 '*विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरणों का विवरण*' व अध्याय-5 '*अनुतोष के प्रकरणों का विवरण*' में दिया गया है।

लोकायुक्त संस्था भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं कुशासन की शिकायतों पर कार्यवाही कर राज्य सरकार के सुशासन प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सतत् प्रयत्नशील है। आम आदमी तक इस संस्था तक पहुंच हो, इसके लिए आवश्यक है कि वे इसके बारे में जान सके। इस हेतु हमारे द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता रहा है और इस प्रतिवेदनाधीन अवधि में भी चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें अधिकारियों से कहा गया कि यदि वे आम जनता की शिकायतों व प्रार्थना पत्रों का पूरी गंभीरता एवं पारदर्शिता से तय अवधि में निस्तारण करेंगे तो इससे न केवल जनता में शासन एवं प्रशासन के प्रति खोया हुआ विश्वास पुन: बहाल होगा, बल्कि वे इस तरह से भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं कुशासन का उन्मूलन करने तथा सुशासन की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान भी कर सकेंगे। गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आम जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने, लोकायुक्त संस्था की विद्यमानता, कार्य एवं अधिकारिता का प्रचार-प्रसार करने व भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की शिकायतें प्रकाश में लाने हेतु आग्रह किया गया। उन्हें भ्रष्टाचार के विरूद्ध सूचना के अधिकार का उपयोग करने की भी सलाह दी गई। परन्तु, हम समझते हैं कि यह कार्य सतत् रूप से हो, इसके लिए लोकायुक्त सचिवालय में एक जिला जनसम्पर्क अधिकारी के पदस्तर के अधिकारी का पदस्थापित होना आवश्यक है। बढ़ते काम को देखते हुए स्टाफ की कमी पहले ही महसूस की जा रही है और अब भंग (defunct) माथुर आयोग की पत्रावलियों के कारण काम का बोझ और बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्टाफ से ही जनसम्पर्क का कार्य लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस हेतु नवीन पद सृजित करने हेतु 25वें प्रतिवेदन में भी सुझाव दिया गया था। सरकार को इस संबंध में शीघ्र कदम उठाना चाहिए ।

भ्रष्टाचार की दृष्टि से भारत की छवि इन दिनों कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। पिछले कुछ सालों से घोटालों की आई बाढ़ को देख कर सिर शर्म से झुक जाता है। 2जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, एल.आई.सी. हाउसिंग एवं आदर्श सोसाइटी घोटाले जैसे न जाने कितने घोटाले समाचार पत्रों की मुख्य खबरें रही हैं। रिश्वतखोरी तो मानों हर काम की जरूरत बन गई है। आम लोगों की सामान्य धारणा यही है कि बिना 'सुविधा शुल्क' कोई काम नहीं होगा और सही काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही न होने व उल्टे शिकायतकर्ता के ही उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं से जनसामान्य में इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ

अन्दर ही अन्दर आक्रोश पनपता जा रहा है। आखिर कब तक लोग इस भ्रष्ट व्यवस्था व अन्याय को सहते रहेंगे?

भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच हेतु बनाये गये निकायों एवं संस्थाओं की हालत यह है कि वे जांच के पश्चात् केवल अभिशंसा कर सकते हैं, उसे मानने या न मानने का अधिकार सरकार के पास है और अनुभव यह बताता है कि इन संस्थाओं के अनुरोध और अभिशंसाएं ज्यादातर अनसुनी रह जाती हैं। लोकायुक्त संस्था की हालत भी इनसे अलग नहीं है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सीधे अभियोजन करने का अधिकार नहीं है और इन पर सरकार का कितना नियंत्रण है, यह इसी बात से साबित होता है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले व कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त ही कार्यवाही शुरू हो सकी है।

भ्रष्टाचार से लोग कितने त्रस्त हैं, यह इस बात से साबित होता है कि सिविल सोसायटी द्वारा जनलोकपाल बिल के लिए उठाई गई आवाज पर देश के कोने-कोने से करोड़ों आम और खास लोग उनके साथ खड़े हो गये। जगह-जगह कैण्डल मार्च होने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता अब भ्रष्टाचार को अधिक दिन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रही है। अब समय आ गया है कि इसकी रोकथाम व उन्मूलन के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जाएं। हमारी राय में इसके लिए एक ऐसे संवैधानिक निकाय की आवश्यकता है जो सशक्त, स्वतंत्र एवं स्वायत्त हो ताकि वह बिना किसी दबाव के यह कार्य कर सके।

इस दिशा में यदि विश्व स्तर पर विभिन्न देशों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाए, तो स्केन्डीनेवियन देशों की विश्व-विश्रुत संस्था '*औम्बुड्समैन*' का नाम सबसे पहले उभर कर आता है। स्वीडन, नार्वे, फिनलैण्ड आदि देशों में 'औम्बुड्समैन' और ब्रिटेन में '*संसदीय आयुक्त*' के नाम से पहचानी जाने वाली संस्था के बारे में यह प्रचलित है कि इन संस्थानों ने अपने-अपने देशों में शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, शुचिता एवं नैतिकता की स्थापना के साथ-साथ जन अभियोगों के निराकरण में भी अहम् भूमिका निभाई है।

हमारे राज्य में भी वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 9) के द्वारा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। परन्तु न तो इस संस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त है और न ही इसकी कोई स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी है और न ही पर्याप्त स्टाफ है। जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, जयपुर डेयरी, दुग्ध उत्पादक संघ, सहकारी बैंक व राजस्थान मेडीकेयर सोसाइटी सहित विभिन्न पंजीकृत सहकारी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार करने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, परन्तु इनके लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त राजपत्र में अधिसूचित न होने के कारण लोकायुक्त द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालयों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आदि को भी लोकायुक्त अधिनियम की परिधि में नहीं लाया गया है। यहां तक कि ग्राम पंचायतों के सरपंच को भी अधिनियम के अन्तर्गत लोकसेवक नहीं माना गया है। इस प्रकार लोकायुक्त संस्था का क्षेत्राधिकार बहुत ही संकुचित है। लोकायुक्त केवल अपनी सिफारिश

कर सकता है, उस पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को बाध्य नहीं कर सकता और प्राय: यह देखा गया है कि उच्चपदस्थ लोकसेवकों के विरूद्ध अन्वेषण के दौरान् अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् व अन्वेषण के दौरान् रिकार्ड पर आई प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य एवं सामग्री के आधार अभिकथन को पूर्णत: या अंशत: सिद्ध किये जाने योग्य मामला पाये जाने पर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या तो सिफारिश की पालना में लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है अथवा कार्यवाही सिफारिश के अनुरूप नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में लोकायुक्त के पास महामहिम राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन भेजे जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

यह संस्था त्वरित ढंग से भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की शिकायतों का अन्वेषण करके दोषियों को उनके अंजमा तक पहुंचा सके, इसके लिए लगभग सभी पूर्व लोकायुक्तों द्वारा तथा हमारे द्वारा प्रतिवेदनों एवं समय-समय पर प्रेषित किये गये पत्रों के माध्यम से लोकायुक्त अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किये जाने व पर्याप्त स्टाफ मुहैया करवाये जाने की मांग की जाती रही है। **एक स्वतंत्र जांच एजेन्सी प्रदान किये जाने व लोकायुक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के ऊपर पर्यवेक्षणीय शक्तियां प्रदान किये जाने की मांग भी वर्ष 1977 से ही लगातार की जाती** रही है परन्तु सरकार इस संस्था के प्रति कितनी गंभीर रही है, यह इस बात से साबित होता है कि संस्था की स्थापना से लेकर अब तक किसी भी सुझाव पर कार्यवाही नहीं की गई है।

यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होगा कि संकुचित क्षेत्राधिकार, अपर्याप्त शक्तियों, अपर्याप्त स्टाफ एवं अन्वेषण एजेन्सी के अभाव के कारण यह संस्था नख-दंतविहीन होकर रह गई है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि विगत में कुछ मंत्रियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग की शिकायतों की जांच प्रारंभ की गई थी, परन्तु सभी ने अन्वेषण प्रारंभ होने से पहिले ही या अन्वेषण के दौरान् ही त्याग पत्र दे दिया । वर्तमान प्रावधान के अनुसार चूँकि वे लोकसेवक नहीं रहे, इसलिए उनके विरूद्ध अन्वेषण बंद करने पड़े। यदि प्रारंभ से ही '*पूर्वलोकसेवकों*' को भी '*लोकसेवक*' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने के सुझाव को मान लिया गया होता तो आज कई मंत्रियों के विरूद्ध लोकायुक्त संस्था द्वारा की गई कार्यवाही इतिहास के पन्नों में दर्ज होती।

जानकारी के अभाव में कई बार आरोप भी लगा दिया जाता है कि लोकायुक्त ने कितने लोगों को सजा करवादी? जबकि तथ्य यह है कि लोकायुक्त को किसी को सजा देने का अधिकार अधिनियम में दिया हुआ नहीं है। लोकायुक्त केवल सिफारिश कर सकता है, उसके अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का होता है।

जाहिर है संस्था की लगातार अनदेखी से इसकी प्रभावशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक तरफ इस संस्था को प्रभावी बनाये जाने के कोई उपाय नहीं किया जाना व दूसरी तरफ इसकी प्रभावशीलता के संबंध में प्रश्नचिन्ह लगाया जाना उत्साह बढ़ाने वाला नहीं कहा जा सकता। एक तरफ लोकायुक्त सचिवालय स्टाफ की कमी के चलते पहिले से ही काफी दबाव

महसूस कर रहा है, ऊपर से भंग (defunct) माथुर आयोग की पत्रावलियां भी हस्तान्तरित होने के बाद से स्टाफ की कार्यकुशलता एवं मानसिकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

यदि सरकार वाकई भ्रष्टाचार की रोकथाम व इसके उन्मूलन की दिशा में गंभीर है तो उसे लोकायुक्त संस्था को पर्याप्त स्टाफ तुरन्त उपलब्ध कराना चाहिए, अन्वेषण के प्रयोजनार्थ स्वयं की एक स्वतंत्र जांच एजेन्सी उपलब्ध करानी चाहिए तथा साथ ही लोकायुक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में वांछित संशोधन करके इसे अधिक सशक्त व प्रभावशील बनाया जाना चाहिए।

सरकार को लोकायुक्त संस्था को अधिकार सम्पन्न एवं प्रभावशील बनाने के उपाय करने के साथ-साथ अन्य उन सभी कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि भ्रष्टाचार के जनक हैं जिनमें से एक चुनावों में होने वाला अत्यधिक खर्च भी शामिल है। सरकार को यह इच्छाशक्ति भी दिखानी होगी कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह उसे कानूनन दण्डित कराकर ही रहेगी। सरकार को आम लोगों में व्याप्त इस अवधारणा को भी दूर करने पर ध्यान देना चाहिए कि ऊंचे रसूख लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होता। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए बल्कि होती हुई दिखनी भी चाहिए। यदि ये उपाय किये जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार पर अवश्य ही अंकुश लगेगा।

इतिहास गवाह है कि राजस्थान वीरों की भूमि है जिन्होंने कभी भी झुकना नहीं सीखा है। हमें विश्वास है कि हम भ्रष्टाचार रूपी बुराई के आगे भी नहीं झुकेंगे और इसे खत्म करके ही दम लेंगे। हम आशा करते हैं कि सरकार अब शीघ्र ही इस दिशा में पहल करके मिसाल कायम करेगी तथा प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के अनुसार आवश्यक कदम तत्काल उठायेगी।

(जी.एल.गुप्ता)
लोकायुक्त

अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का इतिहास एवं पृष्ठभूमि

लोकायुक्त संस्था की अवधारणा की कल्पना सर्वप्रथम स्केण्डीनेवियन देशों में की गई। आधुनिक ऑम्बुड्समैन की जड़ें स्वीडन के जस्टिस ऑम्बुड्समैन (ऑम्बुड्समैन फोर जस्टिस) में ढूँढी जा सकती हैं, जहां इस संस्था की स्थापना सन् 1809[1] में की गई थी। स्वीडिश शब्द 'औम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्बता, अकुशलता, अपारदर्शिता एवं स्थिति के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया है। यह संस्था 20वीं शताब्दी में तब तक विस्तार नहीं पा सकी जब तक कि स्केण्डिनेवियन देशों -फिनलैण्ड (1919), डेनमार्क (1955) एवं नॉर्वे (1962) में इसे नहीं अपना लिया गया। ऑम्बुड्समैन संस्था की लोकप्रियता 1960 के दशक के पूर्व में तब काफी बढ़ी जब राष्ट्रमण्डल एवं अन्य यूरोपियन देशों में इसकी स्थापना की गई। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैण्ड (1968), यूनाइटेड किंगडम (1967), अधिकतर कनाडियन प्रदेश (1967), तन्जानिया (1968), इजराइल (1971), प्यूर्टो रिको (1977), ऑस्ट्रेलिया (1977 संघीय स्तर पर एवं 1972-1979 राज्य स्तर पर), फ्रांस (1973), पूर्तगाल (1975), ऑस्ट्रिया (1977), स्पेन (1981) एवं नीदरलैण्ड (1981)। इसके अतिरिक्त 7 ऑम्बुड्समैन के कार्यालय अफ्रीका में, 17 एशिया में (भारत को छोड़ कर), 11 ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक में, 10 कैरेबियन एवं लैटिन अमेरिकन देशों में, 41 यूरोपियन देशों में, 6 कनाडा में एवं 10 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किये गये। इतने देशों में ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना ने जवाबदेह, पक्षपातरहित, पारदर्शी सुशासन प्रदान करने में इसके महत्व को साबित किया है।

उपर्युक्त परिदृश्य में एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता महसूस की गई जिसके द्वारा किया गया प्रशासन का पुनरावलोकन सस्ता, शीघ्र, स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित हो। यह एजेन्सी स्केन्डीनेवियन एवं अन्य देशों में प्रचलित **ऑम्बुड्समैन** और भारत में कई राज्यों में स्थापित **लोकायुक्त संस्था** के सिवाय दूसरी कोई नहीं हो सकती। श्री पी.वी.गजेन्द्रगढ़कर, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पुस्तक *''ला, लिबर्टी एण्ड सौशल जस्टिस''* में यह बात दृढ़तापूर्वक कही है कि जब तक हम ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधान मण्डलीय प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा।

लोकायुक्त संस्था एक प्रभावकारी एवं ऐसा दक्ष प्रशासन, जो भ्रष्टाचार एवं अनुचित आचरण से मुक्त हो, दिलवाना संभव करती है। मूलतः सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग करने की आदत पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से, और साधारण व्यक्तियों, जिनके

1 इन्टरनेशनल ऑम्बुड्समैन इन्स्टीट्यूट, एडमॉन्टन अलबर्टा, कनाडा द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार।

पास सरकारी या राजनीतिक दबाव या पहुंच नहीं होती, को न्याय दिलाने के लिये लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त संस्था का सृजन विधानमण्डल के अधिनियम के द्वारा किया गया है।

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने भी ***''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस आफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज''*** विषयक अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार की व्याप्ति, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरूद्ध प्राय: उभरने वाले जन आक्रोश पर विचार किया और जन अभियोग निवारण के लिये तथा दुर्व्यवस्था से उद्भूत हुई भ्रष्टाचार या अन्याय का अधिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिये लोकपाल तथा लोकायुक्त की कानूनी संस्थाओं की सिफारिश की थी। कई बार के प्रयासों के बावजूद अभी तक भी केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल संस्था की स्थापना नहीं हो पाई है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने भी अपनी चौथी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने की अनुशंसा की है।

च

जहां तक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना का प्रश्न है, सबसे पहिले लोकपाल संस्था की स्थापना उड़ीसा राज्य में वर्ष 1970 में की गई थी, परन्तु 1995 में लोकपाल अधिनियम पुन: प्रवृत किया गया। महाराष्ट्र में वर्ष 1972, बिहार में वर्ष 1974, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977, मध्य प्रदेश में वर्ष 1981, आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1983, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1983, कर्नाटक में वर्ष 1984, आसाम में वर्ष 1986, गुजरात में वर्ष 1988, दिल्ली में वर्ष 1995, पंजाब में वर्ष 1996, केरल में वर्ष 1998 एवं हरियाणा में वर्ष 1997 में इस संस्था की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को वर्ष 2002 में पुन: प्रवृत्त किया गया। झारखण्ड राज्य में संस्था की स्थापना वर्ष 2001 में, छत्तीसगढ़ व उत्तराखण्ड में वर्ष 2002 में तथा पश्चिम बंगाल में वर्ष 2007 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई।

हमारे राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (1963) ने अपने प्रतिवेदन में 'औम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी जिसका कार्य सरकार की कार्यपालिक कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही या तो अवैध हो या अन्यायपूर्ण, मनमानी अथवा विद्यमान नियमों या स्थापित पूर्वोदाहरणों की घोर उल्लंघनकारी तथा उन मामलों, जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट अभिकथन सन्निहित हो, में अन्वेषण करना हो। उसकी अधिकारिता का प्रसार समस्त मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों, उप मंत्रियों, सिविल सेवकों तथा राज्य की सेवा में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के, जहां तक उस हैसियत में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य का संबंध है, कार्यो तक होना था, परन्तु विधि न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध कोई क्षेत्राधिकार नही था। यद्यपि जन अभियोगों की देखभाल के लिये राज्य में जन अभियोग निराकरण विभाग का एक अलग तंत्र पहले से ही विद्यमान था, किन्तु सरकार के विद्यमान तंत्र में किसी ऐसी व्यवस्था का उपबन्ध नहीं था, जिसमें मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की शिकायतों की जांच और अन्वेषण किया जा सके।

अतएव, जनता में विश्वास और संतोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये और स्वच्छ, ईमानदार और सक्षम प्रशासन प्रदान करने के लिये मंत्रियों, सचिवों और कतिपय अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध, पद के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार, आदि की शिकायतों को देखने और उनमें अन्वेषण करने के लिये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये **1973 का राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश सं. 3 24 जनवरी, 1973** को प्रख्यापित किया गया था तथा 25 जनवरी, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। यह अधिसूचित किया गया था कि यह अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत होगा। इस अध्यादेश को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी। यह अधिनियम भी उसी तारीख से अर्थात् 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत हुआ समझा गया जिस तारीख को अध्यादेश प्रवृत हुआ था।

1.2 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रशासनिक स्थिति निम्नानुसार है :-

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या		रिक्त पदों की संख्या
		स्थाई	अस्थाई	
1.	सचिव	1	–	–
2.	उप सचिव	1	–	1
3.	सहायक सचिव	1	–	–
4.	निजी सचिव	2	–	–
5.	अनुभागााधिकारी	2	–	–
6.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	–	–
7.	निजी सहायक	2	–	–
8.	आशुलिपिक	1	–	1
9.	सहायक	1	–	–
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	–	–
11.	वरिष्ठ लिपिक	3	–	–
12.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	–	–
13.	कनिष्ठ लिपिक	7	–	1
14.	जमादार	2	–	–
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	–	1
16.	तामील कुनिन्दा	2	–	–

उप सचिव का पद दिनांक 12.10.2010 से, आशुलिपिक का पद 22.1.2004 से, कनिष्ठ लिपिक का पद दिनांक 9.1.2010 से तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद दिनांक 13.6.2008 से रिक्त है।

लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है। इस अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों एवं सेवा शर्तो के संबंध में कोई भी निर्णय लोकायुक्त से परामर्श किये जाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है। धारा 14 निम्नवत् है:-

> ''14. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारीवर्ग--(1) इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये, लोकायुक्त, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा या किसी उप-लोकायुक्त को अथवा लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी नियुक्तियां करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।
>
> (2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जैसी कि लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात् विहित की जायं।''

बजट निर्णायक समिति वर्ष 2006-2007 ने बिना लोकायुक्त से परामर्श प्राप्त किये ही दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों को समाप्त कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि **उक्त अवधि में लोकायुक्त का पद रिक्त था**। इससे पूर्व भी बजट निर्णायक समिति द्वारा वरिष्ठ निजी सहायक एवं सहायक के पदों को लोकायुक्त के पदासीन होते हुए भी बिना पूर्व में परामर्श किये ही समाप्त कर दिया गया था, परन्तु बाद में पत्राचार किये जाने पर सरकार के पत्र क्रमांक: एफ.6(8)कार्मिक-क-3/शिकायत/विभाग/99 जयपुर दिनांक 7.5.2001 द्वारा पुनर्जीवित किया गया।

बजट निर्णायक समिति की उक्त कार्रवाई उक्त वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। समिति को इस सचिवालय के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उक्त वैधानिक प्रावधान को दृष्टिगत रखना चाहिए।

उक्त समाप्त किये गये दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों को पुनर्जीवित करने हेतु **23वे, 24वें व 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया जा चुका है,** परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

राज्य सरकार को चाहिए कि **वह अब शीघ्र ही धारा 14 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उक्त समाप्त किये गये दो स्थाई चतुर्थ श्रेणी के पदों को पुनर्जीवित करने का आदेश प्रसारित करे** और वित्त विभाग व बजट निर्णायक समिति को यह स्थाई आदेश प्रदान करे कि वह लोकायुक्त संस्था के कर्मचारीवर्ग के संबंध में कोई भी निर्णय बिना लोकायुक्त के पूर्व परामर्श के न ले ताकि लोकायुक्त सचिवालय की स्वतंत्र संस्था की छवि को कोई आंच न आये और आम लोगों का इस संस्था में विश्वास बना रहे।

वर्ष 2010-2011 का बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-ए** में दिया गया है।

1.3 अन्वेषण की अधिकारिता

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है। अधिनियम की धारा 2(i) में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार लोकायुक्त को निम्न के विरूद्ध अन्वेषण करने की अधिकारिता है :-

1. राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप-मंत्री,
2. राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति,
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष,
4. नगर निगम का प्रत्येक महापौर और उप-महापौर, नगरपालिका परिषद का प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित या गठित समझी गयी किसी समिति का अध्यक्ष,
5. प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, अर्थात्:-
   (क) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राज पत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाय,
   (ख) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),
   (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त

अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यूनत राज्य सरकार द्वारा धारित है,

(घ) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (झ) के उप खण्ड (iii) के भाग (क) व (ख) तथा धारा 2 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (iv) के भाग (क) के अन्तर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं **परिशिष्ट-'ए-1'** में दी गई हैं। परन्तु उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक धारा 2 के खण्ड (झ) के उपखण्ड (iv) के भाग (ख), (ग) व (घ) के अन्तर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

1.4 जांच व अन्वेषण करने की प्रकिया

''दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण'' के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए यह सचिवालय लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास करता है। परीक्षण के पश्चात् यदि शिकायत में लगाये गये आरोप स्पष्ट न हों, तो स्पष्ट आरोपो सहित विस्तृत परिवाद मय शपथ पत्र भिजवाने हेतु लिखा जाता है। तत्पश्चात् तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं और यदि मामला प्रथम दृष्टि में ही प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रतीत हो, तो उसमें प्रारंभिक जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका अवलोकन करके अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है व आवश्यक होने पर आपत्तियों पर पुनः टिप्पणी भी मांगी जाती है। **यदि तथ्यात्मक प्रतिवेदन व आपत्तियों का परीक्षण किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है और यदि आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में, या तो कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को लिखा जाता है, या इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किये जाने, या सीधे ही, अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।**

इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच करने के दौरान् परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध अभिकथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो प्रारंभिक जांच को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, जिसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है। **यदि आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाते हैं, तो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाता है।** अन्वेषण प्रारंभ करते ही संबंधित लोकसेवक को नोटिस एवं अन्वेषण के आधारों का विवरण, उसका जवाब/स्पष्टीकरण मय शपथ पत्र एवं उन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये, भेजा जाता है, जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे एवं उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को

सूचनार्थ प्रेषित की जाती है। **अन्वेषण के दौरान् संबंधित लोकसेवक को अपना पक्ष रखने का एवं व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है।**

अन्वेषण के पश्चात् यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं, तो अन्वेषण को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं **इसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है तथा यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में अन्वेषण प्रतिवेदन धारा 12(1) के अन्तर्गत लोकसेवक के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाता है, जिसमें यदि लोकसेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया गया हो तो दाण्डिक मामला संस्थित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की जाती है।**

यदि किसी मामले में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जावे, परन्तु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, **तो इस संस्था द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाये या संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जावे कि जिससे लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाये या जिससे कि आम लोगों को अनुचित अपहानि न हो।**

1.5 प्रचार-प्रसार

लोकायुक्त संस्था के महत्व, कार्य एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित कराने के लिये प्रतिवेदनाधीन अवधि में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईः-

जिले का नाम	जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक	गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक
चित्तौड़गढ़	16.11.2010	16.11.2010
भीलवाड़ा	18.11.2010	18.11.2010

समाज में स्वयंसेवी संगठनों का विशेष महत्व है और जब वे आम जन को कोई बात कहते हैं उसका असर भी होता है। अतः बैठकों में लोकायुक्त संस्था के महत्व, अधिकारक्षेत्र, कार्य प्रणाली व शिकायत कैसे प्रस्तुत की जावे, के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से इस संस्था के बारे में आम लोगों को समुचित जानकारी देने का आग्रह किया गया। उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि वे सूचना के अधिकार के बारे में भी आमजन को जागरूक करने की पहल करें।

जिला स्तरीय अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाये जाने व राजकीय कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये जाने का आग्रह किया गया जिससे कि अकमर्ण्यता, पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार की शिकायतों को उत्पन्न होने का अवसर ही न मिले। उनसे यह भी अपेक्षा की गई कि जब भी किसी शिकायत के बारे में उनसे तथ्यात्मक जानकारी मांगी जाती है तो वे तत्परता से कार्यवाही करते हुए बिना किसी विलम्ब के तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि शिकायत प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही की जा सके।

परिशिष्ट–'ए'

वित्तीय वर्ष 2010–11 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण (लाखों में)

क.स.	बजट शीर्ष	मूल अनुदान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	140.00	177.00	169.78
2.	यात्रा व्यय	2.25	3.25	1.11
3.	चिकित्सा व्यय	2.65	2.00	2.00
4.	कार्यालय व्यय	7.98	9.28	9.21
5.	साक्षियों पर व्यय	0.30	0.35	0.18
6.	सत्कार व आतिथ्य	0.05	0.04	0.02
7.	अन्य प्रभार	0.01	0.01	0.00
8.	वाहन किराया	1.40	1.50	1.36
9.	वर्दी व्यय	0.10	0.07	0.06
10.	संविदा सेवाएं	1.50	0.85	0.84
11.	पेंशन अंशदान	0.08	0.13	0.12
	कुल योग :	**156.32**	**194.48**	**184.68**

परिशिष्ट–'ए–1'

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग
अधिसूचना

क्रमांक: एफ.6(1)कार्मिक/क–3/75 जयपुर, दिनांक 13 मार्च, 75

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा:–

1.	नगरपालिका परिषदें–	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर
2.	नगर सुधार न्यास–	जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और गंगानगर

राज्यपाल के आदेश से,
ह0 (राजेन्द्र पाल सिंह)
शासन उप सचिव

कार्मिक (क–3) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, दिसम्बर 12, 1988

एस.ओ.202:– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में जयपुर विकास प्राधिकरण की सेवा में प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक होगा।

(संख्या एफ. 6(1) डी.ओ.पी/ए–3/75)
राज्यपाल के आदेश से,
हरि शंकर टण्डन, उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3) विभाग

क्रमांक: एफ.6(1)कार्मिक/क–3/75 जयपुर, दिनांक 10.7.89

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iv)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्थानीय प्राधिकरणों में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा :–

1.	नगरपालिका परिषदें–	ब्यावर, चूरू, सवाई माधोपुर, किशनगढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, भरतपुर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा।
2.	नगर सुधार न्यास–	भरतपुर, भीलवाड़ा

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक: प.6(1)कार्मिक/क-3/75 जयपुर, दिनांक 9.12.96

अधिसूचना

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(झ) (iv)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में किसी भी नगरपालिका की सेवा में है या उनका वेतनभोगी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव

Law (Legislative Drafting) Department
(Group-II)
Jaipur, April 5, 2008

No. F.2(19)Vodjo/2/2007.-In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following transation in the English language of the Rajasthan Lokayukta tatha Up-Lokayukta (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (2008 Ka Adhiniyam Sankyank 13):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS (AMENDMENT) ACT, 2008
(Act No.13 of 2008)

[Received at the assent of the Governor on the 3rd day of April, 2008]

An
Act

further to amend the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No.9 of 1973.-In sub-clause (iii) of clause (i) of section 2 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No.9 of 1973),-

(i) in part (a), for the existing expression "the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959 (Rajasthan Act 37 of 1959)", the expression **"the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994)"** shall be substituted; and

(ii) in part (b), after the word "Every" and before the word "President", the expression **"Mayor and Deputy Mayor** of a Municipal Corporation," shall be inserted.

Principal Secretary to the Government

अध्याय–2

निष्पादित कार्य

2.1 समग्र कार्य

1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) 1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण:-

दिनांक 31.3.2009 को **850** शिकायतें कार्यवाही हेतु लम्बित थी, 1.4.2010 से 31.3.2011 की अवधि में 1408 शिकायतें और प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 2258 शिकायतों में से 1401 शिकायतों का इस कालावधि में निस्तारण किया गया व दिनांक 31.3.2011 को 857 शिकायतें लंबित रही जिसका विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

(2) सर्वाधिक शिकायत वाले विभाग:-

परिशिष्ट–1 में दिये गये आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार प्रतिवेदनाधीन अवधि में पुलिस विभाग में कार्यरत लोकसेवकों विरूद्ध सबसे अधिक 252, राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत लोकसेवकों के विरूद्ध 250, विविध शीर्ष के अन्तर्गत एक से अधिक विभागों में कार्यरत लोकसेवकों के विरूद्ध 225, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/जयपुर विकास प्राधिकरण/स्वायत्त शासन विभाग के अधीन कार्यरत लोकसेवकों के विरूद्ध 192, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत लोकसेवकों के विरूद्ध 106, शिक्षा विभाग में कार्यरत लोकसेवकों के विरूद्ध 95, विद्युत कम्पनियों में कार्यरत लोकसेवकों के विरूद्ध 46 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लोकसेवकों के विरूद्ध 44 शिकायतें प्राप्त हुई।

2.2 प्रारंभिक जांच के प्रकरण

1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–2** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.2010 को **16** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित थी, 1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में **3** नवीन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच संस्थित की गई।

इस प्रकार कुल **19** प्रकरणों में से उक्त कालाविध में **3** प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, **1** प्रकरण को विभाग द्वारा पहिले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दिये जाने के कारण, **1** प्रकरण को मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया तथा **4** प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ कर दिये जाने के कारण उन्हें अन्वेषण प्रकरणों में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल **9** प्रारंभिक जांच प्रकरणों का निपटारा किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.3.2011 को **10** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लंबित रही।

2.3 अन्वेषण के प्रकरण

1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 31.3.2010 को **27** प्रकरणों में अन्वेषण लंबित था, 1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में **5** नवीन प्रकरणों में अन्वेषण प्रारंभ किया गया। इस प्रकार कुल 32 अन्वेषण प्रकरणों में से उक्त कालावधि में **5** प्रकरणों को अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 1 प्रकरण को विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही कर लिये जाने के कारण, 1 प्रकरण को लोकसेवक के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण बंद किया गया व **11** प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 18 **अन्वेषण** प्रकरणों का निपटारा किये जाने बाद दिनांक 31.3.2011 को 14 अन्वेषण प्रकरण लंबित रहे।

2.4 अनुशंसा के प्रकरण

(1) 1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में **11** प्रकरणों में धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारीगण को अन्वेषण प्रतिवेदन मय अनुशंसा के प्रेषित किये गये जिनका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–4** में तथा विस्तृत विवरण **अध्याय–3** में दिया गया है।

(2) 1.4.2004 से 31.3.2010 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों एवं उनमें की गई सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शित करने वाले प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–5** में दिया गया है।

(3) 1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय को 1 प्रकरण में विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–6** में दिया गया है।

2.5 लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने पर विभागों द्वारा की गई विभागीय कार्रवाइयों के प्रकरण

1.4.2010 से 31.3.2011 तक की कालावधि में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शिकायतों पर प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा **42** विभिन्न प्रकरणों में **83** विभिन्न लोकसेवकगण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारंभ की गई/निर्णीत की गई जिनका का विभागवार विवरण **परिशिष्ट–7** में दिया गया है तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों का विस्तृत विवरण **अध्याय–4** में दिया गया है।

2.6 अनुतोष के प्रकरण

1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के अनुतोष प्रकरणों का विभागवार विवरण **परिशिष्ट–8** में दिया गया है जिसके अनुसार 59 मामलों में इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकरणों का विस्तृत विवरण **अध्याय–5** में दिया गया है।

परिशिष्ट-1

1.4.2010 से 31.3.2011 तक की कालावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	31.3.2010 को लंबित शिकायतें	1.4.2010 से 31.3.2011 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.4.2010 से 31.3.2011 तक की शिकायतों का निपटारा	31.3.2011 को लंबित रही शिकायतें (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	3	6	9	9	0
3	पुलिस	110	252	362	254	108
4	सहकारिता	6	24	30	25	5
5	शिक्षा	62	95	157	100	57
6	कॉलेज शिक्षा	6	8	14	9	5
7	खाद्य एवं आपूर्ति	12	14	26	21	5
8	चिकि. एवं स्वा.	38	44	82	52	30
9	सा.नि.वि.	13	8	21	16	5
10	विद्युत कम्पनियां	27	46	73	42	31
11	राजस्व	121	250	371	235	136
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	70	106	176	107	69
13	अकाल एव राहत	-	-	-	-	-
14	यातायात	5	10	15	7	8
15	वन	12	7	19	11	8
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	201	192	393	181	212
17	जनसम्पर्क	-	-	-	-	-
18	आबकारी	5	2	7	2	5
19	उद्योग	10	6	16	10	6
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	-	-	-
21	पशुपालन	2	5	7	6	1
22	भेड़ एवं ऊन	-	-	-	-	-
23	सिंचाई	10	9	19	11	8
24	इं.गा.नहर परि.	3	7	10	7	3
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-	-	-	-	-
26	उपनिवेशन	-	-	-	-	-
28	न्याय	3	5	8	4	4
29	जेल	2	3	5	5	-
30	श्रम	1	1	2	1	1
31	पी.एच.ई.डी.	16	15	31	19	12
32	समाज कल्याण	4	12	16	7	9
33	भू-प्रबन्ध	2	1	3	1	2
34	सचिवालय	3	5	8	3	5
35	विविध	73	225	298	208	90
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-	2	2	-	2
41	आयुर्वेद	1	7	8	4	4
42	देवस्थान	6	7	13	6	7
43	रा.रा.प.प.निगम	-	4	4	4	-
44	वाणिज्यिक कर	9	9	18	9	9
45	खान एव भूविज्ञान	5	8	13	10	3
46	संस्कृत शिक्षा	3	2	5	3	2
47	बीमा एवं प्रा.निधि	5	6	11	7	4
48	तकनीकी शिक्षा	1	5	6	5	1
योगः-		**850**	**1408**	**2258**	**1401**	**857**

परिशिष्ट–2

1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के प्रारंभिक जांच प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1.	31.3.2010 को लम्बित प्रारंभिक जांच	16
2.	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के दौरान संस्थित प्रारंभिक जांचें	3
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	19
4.	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके	3
5.	जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई	1
6.	मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण	–
7.	जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये	–
8.	अनुतोष प्राप्त हो गया	–
9.	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	1
10.	लोकसेवक न रहने के कारण	–
11.	अन्य कारणों से	–
12.	जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया।	4
13.	जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में सिफारिशें की गई।	–
14.	निपटायी गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4 से 13)	9
15.	31.3.2011 को लम्बित प्रारंभिक जांच	10

परिशिष्ट–3

1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

क.	विवरण	संख्या
1.	31.3.2010 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	27
2.	1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये	5
3.	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	32
4.	अन्वेषण के पश्चात अभिकथन सिद्ध न होने से नस्तीबद्ध किये गये प्रकरण	5
5.	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध प्रकरण	–
6.	विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही कर लिये जाने के कारण नस्तीबद्ध प्रकरण	1
7.	लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण नस्तीबद्ध प्रकरण	1
8.	धारा–12(1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित प्रतिवेदन	11
9.	कुल निपटाये गये अन्वेषण प्रकरण योग (पंक्ति संख्या 4 से 8)	18
10.	31.3.2011 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	14

परिशिष्ट-4

1.4.2010 से 31.3.2011 तक की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	अनुशंसा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
1	10(28)2004	**श्री आर.के. खण्डेलवाल,** तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निमगम लिमिटेड, सार्दुलशहर, जिला श्रीगंगानगर	घरेलु विद्युत कनेक्शन की एवज में दो हजार रूपये की रिश्वत की मांग करना, फिर एक हजार रूपये की रिश्वत की राशि प्राप्त करना तथा बाकी एक हजार की राशि नहीं देने पर कनेक्शन में अनुचित विलम्ब करना।	माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग दि: 10.5.10	16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
2	3(59)2008	**श्री दिनेश शर्मा,** तत्कालीन थानाधिकारी, थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर	विवादित भूखण्ड पर अपने भांजे का कब्जा करवाने, पुलिस पर नाजायज दबाव डालने के संबंध में।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर दि: 10.5.10	16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे।	17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर महानिदेशक पुलिस के आदेश कमांक: व-13(77)पुलिस फोर्स/डीइ /2010/8078दि. 22.12.10 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। कार्यवाही अनुशंसा के अनुरूप नहीं है।
3	3(18)2008	**श्री जगदीश सिंह,** ए.एस.आई., पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं	रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने के संबंध में।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर दि: 24.5.10	सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	17 सीसीए के अन्तर्गत जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	अनुशंसा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
4	8(19)2007	**डॉ0सम्पत सिंह जोधा** ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डेगाना, नागौर	किसान योजना का लाभ दिलवाने के लिए स्वाभाविक रूप से होने पर भी सांप के कांटने होने वाली मृत्यु का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने जबकि उस दिन डा.जोधा अवकाश पर थे,जांच प्रारंभ किये जाने पर अभिलेख में छेड़छाड़ कर उपस्थिति दर्ज करने की कार्यवाही करने।	माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दि: 16.6.10	निलम्बित कर 16 सीसीए की कार्यवाही की जावे,एफआईआर दर्ज करवाई जावे।उपस्थिति एवं अवकाश पंजिका के गुम होने के संबंध में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही कीजावे।	डा. सम्पत सिंह जोधा को निलम्बित कर एफ. आई.आर. दर्ज करवा दी गई है, परन्तु 16सीसीए के आरोप पत्र जारी होने की सूचना अपेक्षित है।। श्री जियाउर रहमान, कनिष्ठ लिपिक को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
5	16(102)2004	**श्री राजेश अरोड़ा,** कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका,केसरी-सिंहपुर, श्रीगंगानगर	परिवादी से अनुचित रूप से कमीशन की मांग की जो नहीं देने पर सामुदायिक भवन तुड़वाने की धमकी दी।	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर दि: 16.6.10	16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
6	10(27)2007	**वी.के.सेठी,** सहायक अभियन्ता, **गिरधारीलालसिहाग,** कनिष्ठ अभियन्ता **कुलविन्दरसिंहसन्धू,** कनिष्ठ अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. श्रीगंगानगर	वीसीआर की राशि के पेटे प्राप्त होने होने वाले 10 प्रतिशत कमीशन के लिए बिजली चोरी का झूँठा आरोप लगाना व 5000 रूपये की रिश्वत मांगना।	माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर दि: 18.6.10	लागू होने वाले नियमों के तहत् उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।	अनुशंसा की पालना पांच माह तक भी नहीं किये जाने पर महामहिम राज्यपाल को 1.12.2010 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। ऊर्जा विभाग से प्राप्त अ.शा. टीप दिनांक 29.12.2010 के अनुसार दिनांक 17.8.2010 को विनयम संख्या 6 के तहत् तीनों लोकसेवकों को आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	अनुशंसा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
7	8(41)2003	**डा. छाया कालरा,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थांवला, जिला नागौर।	श्रीमती गीतादेवी को इलाज हेतु अस्पताल की बजाय अपने घर पर भर्ती रखा तथा 3 हजार रूपये की मांग की व 2 हजार रूपये लिये फिर भी श्रीमती गीतादेवी का सही ढंग से इलाज नहीं किया तथा समय पर रैफर नहीं किया।	माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिनांक 29.7.10	16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 18(8)चिस्वा/2/10 दिनांक 10.2.2011 के अनुसार लोकसेवक डा. छाया कालरा को दिनांक 7.2.2011 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
8	35(21)2003	**श्री राजीव विजय,** तत्का.उप निरीक्षक **श्री बलवीर सिंह** तत्कालीन उप.निरी. परिवहन विभाग, उदयपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैकिंग का कार्य करते समय वाहनों से राशि वसूल करने	शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर दिनांक 29.7.10	16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।
9	8(30)2005	**डॉ. हरिओम बंसल,** चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।	लाठी की चोट को गंभीर चोट बताने की रिपोर्ट बनाने की एवज में 5000 रूपये की रिश्वत लेकर भी	माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दिनांक: 27.8.10	16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	16 सीसीए के प्रस्तावों का कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है
10	44(18)2002	**श्रीरजनीकान्तकस्वां,** एसीटीओ,एन्टीइवेजन, वार्ड-II,सर्किल -II, **श्री मनरूप सिंह,** वाणि.कर निरीक्षक, **श्री महेश कुमार** गोवला, तत्का. स. वाणि. कर अधि, शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट, अलवर	सुविधाशुल्क के बदले बिना टैक्स चुकाये दिल्ली से जयपुर माल परिवहन करने की कहने, नहीं मानने पर बिना एन्ट्री माल परिवहन करने के मामले में झूँठा फंसाने तथा रजिस्टर में की हुई एन्ट्री में कांटछांट करने के संबंध में।	माननीय मंत्री, वित्त विभाग प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर दिनांक: 7.9.10	उचित विभागीय कार्यवाही की जावे।	चूँकि निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है, इसलिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराने हेतु लिखा गया है।
11	3(200)2005	**श्री सुरेन्द्र सिंह,** थानाधिकारी, पुलिस थाना रानोली, जिला सीकर	प्राथमिकी दर्ज न करने व चोटों की मेडीकल न करवाने	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, दिनांक 14.10.10	सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	लोकसेवक की मृत्यु हो चुकी है।

परिशिष्ट–5

1.4.2004 से 31.3.2010 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित प्रतिवेदन एवं उनमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के प्रकरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	अनुशंसा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
1	12(86)2001 एफआर	**श्री उदल सिंह,** तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, करौली **श्री मनोज शांडिल्य,** तत्कालीन लेखाधिकारी,करौली **श्री शिवराम शर्मा,** तत्कालीन विकास अधिकारी, टोडभीम **श्री डालचंद वर्मा,** तत्कालीन विकास अधिकारी, हिण्डौन **श्री रूप सिंह गूर्जर,** विकास अधिकारी, नादौती **श्री शिव कुमार शर्मा,** विकास अधिकारी, हिण्डौन **श्री पल्लीवाल मीणा**, वि.अ.दौसा। **श्री देवीलाल मीणा,** विकास अधिकारी, बौली, जिला स.मा.	पंचायतों में सहायक सचिव के पदों पर अवयस्क बच्चों को नियुक्तियां प्रदान करने	निदेशक, पंचायती राज विभाग दिनांक 6.5.2004	दोषी लोकसेवको के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे।	श्री उदल सिंह व श्री शिवकुमार शर्मा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री रूप सिंह गूर्जर की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जा चुकी है। श्री शिवकुमार शर्मा, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी दी जा चुकी है। लेखाधिकारी श्री मनोज शांडिल्य व तत्कालीन विकास अधिकारीगण श्री देवी लाल मीणा, पल्लीवाल मीणा, डालचन्द वर्मा, तथा रामदयाल मीणा को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। **लगभग 7 साल से जांच परिणाम की सूचना अपेक्षित है।**
2	42(4)1999		देवस्थान की सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द किये जाने से बचाये जाने के संबंध में।	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर दिनांक 7.8.2004	किरायेदारी के विचाराधीन मामलों में शीघ्र निर्णय लिया जावे	सम्पदा सं. 73 व 80 के संबंध में अंतिम निर्णय की सूचना लगभग **7 साल से** अपेक्षित है।
3	31(10(2000	**श्री किशन लाल सैनी,** तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चौमू	क्वार्टरों के निर्माण के पर्यवेक्षण में कर्त्तव्य का निर्वहन उचित प्रकार से न कर घटिया सामग्री से निर्माण करा राज्य हानि पहुंचाने	शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दिनांक 30.11.04	16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे।	16 सीसीए में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। **लगभग 7 साल से** परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	अनुशंसा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
4	11(39)2000	**श्री शिवदत्त गौड़,** तत्कालीन तहसीलदार, बाली **श्री जगदीश्वर दयाल,** पटवारी, भू-अभिलेखतहसील बाली, जिला पाली	परिवादी की भूमि को क्रय करने हेतु अनुचित दबाव डालने के लिये पेड़ काटने की गलत रिपोर्ट दर्ज करवाकर अनुचित अपहानि पहुंचाने के लिये	माननीय राजस्व मंत्री शासन सचिव, राजस्वविभाग दिनांक:14.06.07	दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।	लोकसेवक श्री जगदीश्वर दयाल के विरूद्ध विभागीय जांच के उपरान्त उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। अन्य लोकसेवक श्री शिवदत्त गौड़ के संबंध में **4 साल से** सूचना अपेक्षित है।
5	42(5)99	**श्री बनवारी लाल शर्मा,** तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। **श्री शिवभगवान राजपुरोहित,** तत्कालीन सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर। **श्री हरिओम शर्मा,** वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर।	लोकसेवक श्री बनवारी लाल, तत्कालीन, सहायक आयुक्त, देवस्थान, जयपुर व श्री हरिओम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक द्वारा जानबूझ कर वांछित प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाने व जवाबदेही से बचने के लिये पिछली तिथियों में नोटिंग करने तथा लोकसेवक श्री शिव भगवान राजपुरोहित द्वारा प्रन्यास के चुनाव में पद का दुरूपयोग व वित्तीय अनियमिताएं करने	माननीय राज्यमंत्री, देवस्थान शासन सचिव, देवस्थान विभाग, दिनांक:20.06.07	सीसीए नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे।	**श्री हरिओम शर्मा** को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। लोकसेवक सर्वश्री बनवारी लाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लोकसेवक श्री शिव भगवान राजपुरोहित के विरूद्ध 17 सीसीए की कार्यवाही को निर्णय दिनांक 9.6.11 के तहत् सेवानिवृत्त हो जाने और कोई वित्तीय हानि न होने के कारण ड्राप कर दिया गया है।
6	8(10)2007 अन्वेषण	**डॉ. भरत मीणा,** तत्कालीन मेडीकल ज्यूरिस्ट **श्री छिद्दाराम** शर्मा, तत्कालीन मेल नर्स-प्रथम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना	परिवादी व उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में विपक्षी पार्टी को लाभ पहुंचाने की गरज से परिवादी की पुत्रवधु के एक ही दिन में दो भिन्न-2 चोट प्रतिवेदन तैयार किये	माननीय चिकित्सा मंत्री दिनांक:14.9.09	सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	**श्री छिद्दाराम** को आदेश दिनांक 11.5. 2009 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया है। **डा. भरतलाल मीणा** को प्रकरण के संबंध में दिनांक 29.8.2006 के आदेश से 17 सीसीए के अन्तर्गत भविष्य में सावचेत होकर कार्य करने की चेतावनी दी जा चुकी थी।

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	अनुशंसा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
7	8(39)2004 अन्वेषण	**डॉ. विजय भादू,** तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक केन्द्र, सूरतगढ़	भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर लाठी से आई चोट को तेज धारदार हथियार से आना बता कर चोट प्रतिवेदन बनाया जिससे परिवादी के पिता को अनावश्यक जेल में रहना पड़ा।	माननीय चिकित्सा मंत्री दिनांक 12.10.09	सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।
8	3(76)2004 अन्वेषण	**श्री लालसिंह,** एस. आई., तत्कालीन थाना प्रभारी, **श्री राजेन्द्र सिंह,** ए.एस.आई., पुलिस थाना, कोटकासिम, जिला अलवर।	कार्यवाही करने की एवज में रू. 2000 की रिश्वत मांगे जाने, जो नहीं देने पर उल्टा उसे ही 151 में बंद करने बाबत।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग दिनांक 4.12.09	सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	गृह विभाग के पत्र दिनांक 4.5.10 के अनुसार दोनों को 19.2.10 को 16/18 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये जा चुके हैं। परिणाम अपेक्षित है।
9	11(191)2004 अन्वेषण	**श्री गोपालराम** बिरदा, तत्कालीन एस.डी.ओ., झुन्झूनू	भूमि सम्परिवर्तन हेतु मांगी गई रिश्वत की राशि नहीं देने पर अनुचित विलम्ब करना व निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र को निर्णीत नहीं किये जाने बाबत।	माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) दिनांक 4.2.2010	सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	24.3.2011 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। जांच परिणाम अपेक्षित है।
10	46(4)2000 अन्वेषण	**श्री जी.पी.शुक्ला,** तत्कालीन निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर। **श्री मुरली सिंह**, वाहन चालक, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।	श्री मुरली सिंह द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की गई एवं श्री जी.पी.शुक्ला द्वारा बिना सत्यापन कराये ही श्री मुरली सिंह के विरूद्ध चल रहे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई नौकरी के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।	माननीय माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी कार्मिक विभाग) शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 26.3.2010	सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम	आरोप/अभिकथन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन भेजा गया प्रतिवेदन भेजे जाने की दिनांक	अनुशंसा	सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं विशेष विवरण
11	3(29)2009 अन्वेषण	**श्री रामदेव सिंह,** तत्कालीन वृत निरीक्षक., एस.एच.ओ. थाना, चिड़ावा, जिला झुन्झूनू।	अतिक्रमियों को नाजायज लाभ पहुंचाने हेतु रिपोर्ट दर्ज नहीं करने।	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग आदेश दिनांक 22.3.2010	सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।	पुलिस अधीक्षक, झुन्झूनू के निर्णय क्रमांक: डीओबी-763 दिनांक 30.11.2010 के अनुसार लोकसेवक को 17 सीसीए के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

परिशिष्ट-6

1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(3) के अधीन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किये गये विशेष प्रतिवेदनों का विवरण

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम आरोप का संक्षिप्त विवरण	विशेष विवरण
1.	10(27)2007	**लोकसेवक:-** ▪ श्री वी.के.सेठी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ▪ श्री गिरधारी लाल सिहाग, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता ▪ श्री कुलविन्दर सिंह सन्धू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्रीगंगानगर **आरोप:**-वीसीआर की राशि के पेटे प्राप्त होने होने वाले 10 प्रतिशत कमीशन के लिए बिजली चोरी का आरोप लगा कर गलत वीसीआर काटना व 5000 रूपये की रिश्वत मांगना।	**सक्षम प्राधिकारी- माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार** एवं **शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर** द्वारा दिनांक 18.6.10 को प्रेषित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा की पालना पांच माह तक भी नहीं किये जाने पर **महामहिम राज्यपाल को दिनांक 1.12.2010 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।** ऊर्जा विभाग से प्राप्त अ.शा. टीप दिनांक 29.12.2010 के अनुसार दिनांक 17.8.2010 को विनयम संख्या 6 के तहत् तीनों लोकसेवकों को आरोप पत्र जारी कर दिये गये है। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

परिशिष्ट-7

लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के पश्चात् विभागों द्वारा की गई विभागीय कार्रवाइयों के प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	प्रकरण	लोक-सेवक	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	प्रकरण	लोक-सेवक
2	कृषि	-	-	23	सिंचाई	-	-
3	पुलिस	4	8	24	इगानप	-	-
4	सहकारिता	-	-	25	राणा प्र.सागर/ज.सागर	-	-
5	शिक्षा	4	5	26	उपनिवेशन	-	-
6	कॉलेज शिक्षा	-	-	28	न्याय	-	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	1	1	29	जेल विभाग	-	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	3	4	30	श्रम विभाग	-	-
9	सार्वजनिक निर्माण	-	-	31	जनस्वा.अभियांत्रिकी	1	5
10	रा.रा.वि.मण्डल	1	8	32	समाज कल्याण विभाग	-	-
11	राजस्व	11	16	33	भू-प्रबन्ध विभाग	-	-
12	ग्रा.वि.एवंपंचायतीराज	5	9	34	सचिवालय	-	-
13	अकाल एव राहत	-	-	35	विविध	3	3
14	यातायात	1	2	40	भ्रष्टाचार नि.ब्यूरो	-	-
15	वन	2	5	41	आयुर्वेद	-	-
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	5	15	42	देवस्थान	-	-
17	जनसम्पर्क	-	-	43	आर.एस.आर.टी.सी.	-	-
18	आबकारी	-	-	44	वाणिज्यिक कर	-	-
19	उद्योग	1	2	45	खान एव भूविज्ञान	-	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	-	46	संस्कृत शिक्षा	-	-
21	पशुपालन	-	-	47	राज्य बीमा एवं प्रा.नि.	-	-
22	भेड़ एवं ऊन	-	-	48	तकनीकी शिक्षा	-	-
					कुल योगः-	**42**	**83**

परिशिष्ट-8

1.4.2010 से 31.3.2011 तक की कालावधि के अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	-	23	सिंचाई	-
3	पुलिस	6	24	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	-
4	सहकारिता	-	25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-
5	शिक्षा	7	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	-	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	7	29	जेल विभाग	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4	30	श्रम विभाग	-
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	-	31	जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग	1
10	रा.रा.वि.मण्डल	4	32	समाज कल्याण विभाग	-
11	राजस्व	9	33	भू-प्रबन्ध विभाग	-
12	ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज	3	34	सचिवालय	-
13	अकाल एव राहत	-	35	विविध	4
14	यातायात	-	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	2	41	आयुर्वेद	-
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	8	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	-
18	आबकारी	-	44	वाणिज्यिक कर	1
19	उद्योग	1	45	खान एव भूविज्ञान	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	-
21	पशुपालन	1	47	राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि	1
22	भेड़ एवं ऊन	-	48	तकनीकी शिक्षा	-
योगः					**59**

अध्याय-3

अनुशंसा के प्रतिवेदनों का विवरण
(1.4.2010 से 31.3.2011)

एफ.10(28)लोआस/2004

परिवादी श्री चानणराम निवासी वार्ड नं0 13, नजदीक ट्रक यूनियन, सार्दुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, सार्दुलशहर द्वारा दिनांक 28.5.2004 को परिवादी के घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु धरोहर राशि जमा करा ली गई, परन्तु मीटर नहीं लगाया गया। इस संबंध में श्री आर.के. खण्डेलवाल, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सार्दुलशहर, जिला श्रीगंगानगर हाल सहायक अभियन्ता (पवस), खाजूवाला, जिला बीकानेर ने परिवादी से दो हजार रूपये की रिश्वत की राशि की मांग की जिस पर परिवादी ने एक हजार रूपये श्री खण्डेलवाल को दे दिये परन्तु बाकी के एक हजार रूपये नहीं देने पर कनेक्शन देने में अनुचित विलम्ब किया।

प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर उक्त लोकसेवक श्री आर.के. खण्डेलवाल के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने के आदेश दिनांक 15.12.2008 को दिये गये। फलस्वरूप लोकसेवक को नोटिस दिनांक 19.12.2008 अपना जवाब/उत्तर प्रस्तुत करने हेतु तथा उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित किये गये।

अन्वेषण के दौरान लोकसवेक के द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा परिवादी एवं उसके गवाहान से की गई जिरह व अपने बचाव में पेश किये गये गवाहान के बयान सभी पर विचार करने के पश्चात् यह आरोप भलिभांति स्थापित होना पाया गया कि लोकसेवक श्री आर.के. खण्डेलवाल, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. सार्दुलशहर, जिला गंगानगर ने परिवादी श्री चानणराम से विद्युत कनेक्शन के लिए दो हजार रूपये की रिश्वत की मांग की, जिस पर परिवादी ने एक हजार रूपये रिश्वत के लोकसेवक श्री खण्डेलवाल को दिये और बाकी के एक हजार रूपये परिवादी के द्वारा लोकसेवक को नहीं दिये जाने के कारण, परिवादी को विद्युत कनेक्शन देने में काफी विलम्ब किया एवं परेशान किया और इस प्रकार से लोकसेवक श्री आर.के. खण्डेलवाल ने अपने पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी से अनुचित रूपये से एक हजार रूपये बतौर रिश्वत के प्राप्त किये।

अत: पत्र दिनांक 10.5.2010 के द्वारा अन्वेषण प्रतिवेदन दिनांक 23.4.2010 की प्रति सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजते हुए लोकसेवक श्री आर.के. खण्डेलवाल, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. सार्दुलशहर, जिला गंगानगर, हाल सहायक अभियन्ता (पवस), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0, खाजूवाला, जिला

बीकानेर के विरूद्ध राजस्थान असैनिक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमों के नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 5.10.2010 के द्वारा सूचित किया कि उक्त लोकसेवक **श्री आर.के.खण्डेलवाल के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर** अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है। जांच का परिणाम अपेक्षित है।

एफ.3(59)लोआस/2008

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार तिवाड़ी पुत्र श्री शम्भूदयाल तिवाड़ी, निवासी प्लाट नं. 100, तिवाड़ी भवन, गूर्जर घाटी, आमेर रोड, जयपुर ने एक परिवाद दिनांक 8.7.08 को श्री दिनेश शर्मा, तत्कालीन थानाधिकारी, थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर के विरूद्ध वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करवाने, पुलिस पर नाजायज दबाव डालने आदि के गंभीर आरोपों के संबंध में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में की गई प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर लोकसेवक श्री दिनेश शर्मा के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्वेषण किया गया। लोकसेवक को नोटिस दिनांक 15.5.2009 अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु तथा उसके सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित किये गये।

वृहद अन्वेषण के पश्चात् रिकार्ड पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि लोकसेवक श्री दिनेश शर्मा तत्कालीन थानाधिकारी, थाना ब्रह्मपुरी, जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक, सतर्कता शाखा, जयपुर नगर निगम, जयपुर के पद का दुरूपयोग करते हुए गुर्जर घाटी स्थित विवादित भूखण्ड पर अपने भांजे श्री अनिल शर्मा का कब्जा करवा दिया तथा इसी भूखण्ड के संबंध में ब्रह्मपुरी थाने में मु0नं0 418/05 दर्ज करवा दिया व इसके सिलसिल में अनुसंधान अधिकारी के साथ गाली-गलौच कर दुर्व्यवहार किया तथा विवादित प्लाट पर अपने भांजे श्री अनिल शर्मा की मदद करने हेतु अनुचित दवाब बनाते हुए गुर्जरों का कब्जा हटाये जाने का नाजायज दवाब डाला।

अतः श्री दिनेश शर्मा के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को दिनांक 10.5.2010 को अनुशंसा की गई। गृह विभाग के पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के अनुसार लोकसेवक को दिनांक 29.9.2010 को सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के आदेश क्रमांकः व-13(77)पुलिस-फोर्स/डी.ई./20108078 दिनांक 22.12.2010 द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के पश्चात् दोषमुक्त कर दिया है।

एफ.3(18)लोआस/2008

परिवादी इन्द्राज सिंह पुत्र बीरबल सिंह निवासी सौंथली, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज0) ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 12.4.08 को परिवादी के साथ अमीलाल, राजकमल पुत्र जुगलकिशोर मेघवाल, निवासी सौंथली ने मारपीट की और उसके बाये गलाफ पर नुकीले धारदार हथियार से चोट मारी, जिससे उसका गलाफ फट गया। जब वह इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गुढागौडजी गया तो वहां काफी देर तक कोई सुनवाई नहीं की गई। बाद में जब परिवादी मेडिकल करवाने के बाद वापिस थाने पर आया तब एएसआई श्री जगदीश सिंह ने कहा कि आपस में बैठकर राजीनामा करलो और कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जुर्म के बारे में देखा जावेगा। परिवादी का कहना है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस पर वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू के पास गया और वहां से आदेश होने पर थाने पर दूसरी रिपोर्ट 15.4.08 को दर्ज की गई, परिवादी का कहना है कि जानबूझकर रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई थी। परिवादी का यह भी कहना है कि डाक्टरी मुआयना व नक्शा मौके के मुताबिक धारा 452, 324 आईपीसी का मामला बनता था लेकिन इन धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया आदि।

इस शिकायत के संबंध में प्रथमतः पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर विचार करने के पश्चात् प्रकरण में प्रारंभिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से प्रथम दृष्टया परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सारवान पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-10 के अर्न्तगत संबंधित लोकसेवक श्री जगदीश सिंह, ए.एस.आई. पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी के विरूद्ध अन्वेषण प्रारंभ किया व नोटिस दिनांक 11.6.2009 को लोकसेवक श्री जगदीश सिंह, एएसआई को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु तथा उसके सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित किये गये।

अन्वेषण के दौरान् लोकसेवक को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। लोकसेवक श्री जगदीश सिंह के द्वारा अपना जवाब पेश करने के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, मेडिकल रिपोर्ट की फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत की गई तथा अपने बचाव में गवाहों की साक्ष्य भी लेखबद्ध कराई गई।

अन्वेषण के दौरान रिकार्ड पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि लोकसेवक श्री जगदीश सिंह, एएसआई ने परिवादी की रिपोर्ट विपक्षी पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से दर्ज नहीं की और उसके बाद एडीशनल एस.पी, झुन्झुनू के आदेश के पश्चात् दर्ज की। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर व दर्ज करने में विलम्ब करके लोकसेवक ने अपने पदीय कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया। अतः लोकसेवक श्री जगदीश सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनू के विरूद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु उनके सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 24.5.2010 को अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में पुलिस अधीक्षक, जिला झुन्झुनू ने अपने पत्र दिनांक 26.11.2010 के द्वारा निर्णय दिनांक 23.11.2010 की प्रति भिजवाते हुए सूचित किया कि उक्त लोकसेवक श्री जगदीश सिंह, सहायक उप निरीक्षक, तत्कालीन पुलिस थाना गुढ़ा हाल थाना नवलगढ़ को **सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत जांच के उपरान्त आरोप प्रमाणित पाये जाने परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।**

एफ.8(19)लोआस/2007

परिवादी श्री शिवनाथ सिंह निवासी गायत्री मंदिर के पास, डेगाना, जिला नागौर ने यह परिवाद दिनांक 7.9.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि खेती का कार्य करने के दौरान काश्तकार/किसान की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कृषि मण्डियों के माध्यम से नगद 50,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दिलाने की योजना चलाई जा रही है, जिसका फायदा आम गरीब काश्तकार को नहीं मिल रहा बल्कि कृषि मण्डी कर्मचारियों व डॉक्टरों की मिलीभगत से मिलने वाली मुआवजा राशि में से हिस्सा पहले लेकर, फर्जी कागजात तैयार करने के लिए फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट, डेगाना में बनाये जा रहे हैं। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना के डॉ. एस.एस. जोधा ने 24.3.2006 को गेनाराम पुत्र श्री नन्दाराम, निवासी राजापुरा की स्वाभाविक मौत होने के बावजूद साँप काटने से हुई मृत्यु दर्ज कर, फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर दिया, जबकि उस दिन डॉक्टर जोधा स्वंय मेडिकल अवकाश पर थे एवं उन्होनें स्वंय ने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिनांक 27.3.2006 को अस्पताल में ड्यूटी ज्वाईन करने का आवेदन दिया था, परन्तु लोभ व लालच की वजह से दिनांक 24.3.2006 को उक्त चिकित्सक ने रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने का फर्जी टिकट बना दिया व साँप काटने के इलाज की पर्ची बना दी व इसी आधार पर मृत्यु सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसकी शिकायत होने पर डॉक्टर साहब ने उपस्थिति रजिस्टर में 24, 25 व 26.3.2006 को मेडिकल लीव दर्ज होने के उपरान्त भी बाबुओं की मिलीभगत से काँट-छाँट कर, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी।

एक अन्य शिकायत दिनांक 7.9.2007 की ही इस आशय की प्राप्त हुई कि परसाराम पुत्र रामदीन, जाति बावरी, निवासी पालीयास, नागौर, इण्डोर टिकट क्रमांक 686/06, ओ.पी.डी. नं. 26640 को डॉ. सम्पत सिंह जोधा द्वारा उक्त मरीज द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन कर लिये जाने के कारण भर्ती किया गया था, जिसका न तो उन्होनें सही इलाज किया और ना पोस्टमार्टम कराया, ना पुलिस को सूचना दी। उक्त मरीज की अगले दिन 2.15 ए.एम. पर मृत्यु हो गई।

उक्त दोनों शिकायतें प्राप्त होने के बाद, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन तलब किया गया, जो इस सचिवालय को दिनांक 3.6.2008 को प्रेषित किया गया जिसके अनुसार लगाये गये दोनों आरोप, बाद जाँच प्रमाणित पाये गये और यह कहा गया कि दोषी पाये गये लोकसेवक डॉ. जोधा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है।

तत्पश्चात् डॉ. जोधा के विरूद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर विभागीय कार्यवाही हेतु भिजवाये गये। इस सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर डॉ. जोधा के विरूद्ध जारी आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र की प्रति, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.2.2009 द्वारा इस सचिवालय को प्रेषित की गई तथा उक्त पत्र के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.8.2008 की प्रति भी प्रेषित की गई, जिसके द्वारा मंत्री महोदय ने डॉ. एस.एस.जोधा के विरूद्ध उक्त जाँच ड्रॉप करने के आदेश पारित किये।

इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी स्थाई आदेश क्रमांकः एफ.35(3)एम.एण्ड.एच/ग्रु-II/72 दिनांक 14.3.2008 की प्रति मंगवाई गई जिसके अवलोकन से यह निष्कर्ष निकला कि स्थाई आदेश के क्रम संख्या 5 के अनुसार जांच समाप्त किया जाना स्वास्थ्य मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में था लेकिन बिना जांच किये ही प्रारंभिक स्तर पर जांच को समाप्त किये जाने की कार्यवाही उचित नहीं थी और यह कार्यवाही साफ तौर पर लोकसेवक को बचाने की दृष्टि से की गई थी। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एआइआर 2007 एससी 906 को दृष्टिगत रखते हुए अब तक हुई जांच को प्रारंभिक जांच मानते हुए इस प्रकरण में लोकसेवक डा. सम्पत सिंह जोधा के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत दिनांक 6.11.2009 को अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में नोटिस दिनांक 20.11.2009 लोकसेवक को अपना जवाब एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा उसके सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित किये गये।

अन्वेषण के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह भलीभाँति स्थापित हुआ कि लोकसेवक डॉ0 सम्पत सिंह जोधा ने दिनांक 24.3.2006 को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के बावजूद एवं गेनाराम की मृत्यु दिनांक 22.3.2006 को होने के बावजूद, उसके परिजनों को राज्य सरकार की योजना के अनुसार 50,000/- का मुआवजा दिलाने के दुराशय से उसकी मृत्यु दिनांक 24.3.2006 को होने का प्रमाणपत्र व अन्य अभिलेख फर्जी रूप से तैयार किये। यह भी भलीभांति प्रमाणित हुआ कि डॉ. जोधा ने अपने उक्त गलत कृत्य को सही साबित करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपस्थिति पंजिका में बैकडेट में अपने हस्ताक्षर किये तथा इस हेतु अस्पताल के अभिलेख में छेड़छाड़ की। यह भी भलीभाँति सिद्ध हुआ कि मृतक परसराम, जिसकी मृत्यु जहर के सेवन से अप्राकृतिक रूप से हुई थी, की मृत्यु की सूचना डॉ. जोधा ने पुलिस को नहीं दी और ना ही उसका पोस्टमार्टम कराया, जबकि ऐसा कराना आवश्यक था। डॉ. जोधा का यह कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को प्रमाणित करता है।

अतः दिनांक 16.6.2010 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर निम्नानुसार अनुशंसा की गईः-

1. डॉ. सम्पत सिंह जोधा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना, जिला नागौर के विरूद्ध नियम-16 सीसीए के तहत 3 माह में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे व मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. सम्पतसिंह जोधा को तुरन्त निलम्बित किया जावे तथा अभिलेख में छेड़छाड़ करने एवं पिछली दिनांक में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने आदि के संबंध में उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावे।

2. संबंधित कनिष्ठ लिपिक श्री जिया उर रहमान, जिसके चार्ज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना, जिला नागौर का उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2006, डॉ. सम्पतसिंह जोधा की अवकाश पंजिका थी, जो कि उपलब्ध नहीं हो पाई है, उसके गुम होने के संबंध में उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए, उसके विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

कार्मिक विभाग से प्राप्त आदेश क्रमांक:प.1(189)कार्मिक/क-3/जांच/2010 दिनांक 30.8.2010 के अनुसार **डा. जोधा को निलम्बित कर दिया गया है।** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभा राजस्थान, जयपुर से प्राप्त अ.शा. टीप क्रमांक: 8(25)चिस्वा/2/2008 दिनांक 21.9.2010 की पृष्ठांकित प्रतिलिपि के अनुसार डा. सम्पत सिंह जोधा के विरूद्ध भादसं की धारा 420, 197, 204 के तहत् आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना, डेगाना में मुकदमा नं. 164/10 दिनांक 25.8.2010 को दर्ज करा दिया गया है। **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं**, इसकी सूचना अभी तक अपेक्षित है।

श्री जियाउर रहमान, कनिष्ठ लिपिक को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(102)लोआस/2004

परिवादी सुगनाराम ठेकेदार निवासी वार्ड नं08, केसरीसिंहपुर, तहसील करणपुर, जिला-श्रीगंगानगर ने यह परिवाद दिनांक 13.8.04 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने नगरपालिका, केसरीसिंहपुर का सड़क, नाली, पुलिया निर्माण व मरम्मत आदि का कार्य ब्याज पर रूपये लेकर करवाया था जिसके भुगतान की मांग करने पर उससे 23 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में मांगी गई जो नहीं देने पर उसके द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों को घटिया बता कर भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान न मिलने पर इलाज के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई।

शिकायत के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसमें आये तथ्यों पर विचार कर प्रकरण में प्रारंभिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच के दौरान् रिकार्ड पर आई प्रलेखीय एवं मौखिक सामग्री एवं साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि लोकसेवकगण सर्वश्री श्यामलाल मिढा, राजस्व निरीक्षक(निर्माण प्रभारी) व राजेश अरोड़ा, तत्कालीन कनिष्ठ

अभियन्ता, नगरपालिका, केसरीसिंहपुर, जिला श्री गंगानगर के द्वारा भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर परिवादी से अनुचित कमीशन की मांग की गई एवं इसकी पूर्ति नहीं करने पर परिवादी का भुगतान रोक लिया गया।

फलस्वरूप दिनांक 15.12.2008 को उक्त दोनों लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किया गया। लोकसेवक श्री श्याम लाल मिढ़ा ने नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत जवाब में आरोपों का खण्डन किया और यह भी कहा कि वह दिनांक 31.12.2006 को सेवानिवृत्त हो चुका है। अन्य लोकसेवक श्री राजेश अरोड़ा, कनिष्ठ अभियन्ता नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी प्रकार का जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी प्रकार की सूचना ही दी।

अन्वेषण के दौरान् आई मौखित एवं प्रलेखीय सामग्री/साक्ष्य से लोकसेवक श्री श्याम लाल मिढा के विरूद्ध यह स्थापित हुआ कि उसके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए परिवादी से अनुचित मांग कमीशन के रूप में की गई। लोकसेवक श्री राजेश अरोड़ा के विरूद्ध यह स्थापित हुआ कि उसके द्वारा भी परिवादी से अनुचित रूप से कमीशन की मांग की गई जो नहीं देने पर उसके द्वारा सामुदायिक भवन तुड़वाने की धमकी दी गई।

चूंकि लोकसेवक श्री श्याम लाल मिढा सेवानिवृत्त हो जाने के कारण लोकसेवक नहीं रहे हैं, इसलिये उनके विरूद्ध अब कोई कार्यवाही किया जाना संभव न होने से कोई अनुशंसा नहीं की गई, परन्तु लोकसवेक श्री राजेश अरोड़ा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर के द्वारा किये गये अपकृत्य एवं दुराचरण के लिए उसके विरूद्ध राजस्थान असैनिक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु उसके सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 16.6.2010 को अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में **लोकसेवक को प्रतिवेदन 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं,** परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

एफ.10(27)लोआस/2007

परिवादी श्री लोकूराम सलूजा पुत्र श्री भवानी राम सलूजा से एक परिवाद दिनांक 17.11.2007 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि परिवादी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्रीगंगानगर में उपभोक्ता है। उसने एक घरेलु कनेक्शन खाता संख्या 2104-176 अपने निवास पर लेखा है जो कि थ्री फेस 11 किलोवाट का स्वीकृत कनेक्शन है। दिनांक 13.8.2007 को श्री वी.के.सेठी, सहायक अभियन्ता, श्री गिरधारी लाल सिहाग, कनिष्ठ अभियन्ता और श्री कुलविन्द्र सिंह सन्धू, कनिष्ठ अभियन्ता ने दिन में 3 बजे उसके घर पर छापा मारा और उसकी वृद्ध पत्नी व बेटी, जो कि घर पर अकेली थी, को कहा कि तुम बिजली चोरी करते हो और घर का मीटर व सर्विस तार उतार लिया व 22000/- रूपये की वी.सी.आर. काट दी और तुरन्त जमा कराने को कहा। तब उसकी पत्नी ने उसके बेटे रमेश को बुलाया जिसने

यह बताया कि इस मकान में उसकी मां और बहन रहती है। विद्युत चोरी का सवाल ही नहीं उठता। इस पर तीनों ने कहा कि हम वीसीआर काट चुके हैं। रकम तो आपको भरनी ही पड़ेगी और रकम जमा नहीं करवाने पर 5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और पुलिस थान में केस दर्ज करवा दिया जावेगा। इस पर रमेश ने कहा कि मीटर लैब में जांच के लिये भेज दिया जावे। यदि मीटर में दोष पाया जाता है तो उस राशि को परिवादी के बिल में जोड़ कर भेज दिया जावे तो वह पैसे जमा करा देंगे। इस पर उक्त तीनों ने परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत की मांग करते हुए कहा कि घर पर नया मीटर लगा दिया जावेगा और उतारे हुए मीटर को लैब में भेज दिया जावेगा। परन्तु रिश्वत की राशि देने से मना करने पर मीटर व सर्विस लाइन उतार ले गये। इस पर मजबूर होकर परिवादी द्वारा 22000 व 600 रूपये री-कनेक्शन के जमा करवाये गये व प्रार्थना पत्र देने पर परिवादी का मीटर दिनांक 16.8.2007 को लैब में जांच के लिए भेजा गया। जांच में मीटर की रीडिंग सही पाई गई और जांच में टर्मीनल भी सही पाया गया। परिवादी का कहना है कि तीनों लोकसेवकों ने ऐसा वीसीआर की राशि पर 10 प्रतिशत कमीशन की प्राप्ति के लिए किया। इस वाकये से परिवादी की मानहानि हुई व काफी परेशानी उठानी पड़ी जिसके लिए दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्रवाई की जावे।

इस परिवाद के संबंध में विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट में उक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर उसे प्रारंभिक जांच मानते हुए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत लोकसेवकगण सर्वश्री वी.के.सेठी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, गिरधारी लाल सिहाग, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता एवं कुलविन्दर सिंह सन्धू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सीधे ही अन्वेषण प्रारंभ किया गया। फलस्वरूप उक्त तीनों लोकसेवकगण को नोटिस दिनांक 8.7.2008 अपना-अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु तथा इनके सक्षम प्राधिकारी क्रमशः माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार व शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित किये गये।

अन्वेषण के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय सामग्री के आधार पर परिवादी द्वारा लगाया गया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 18.6.2010 को अन्वेषण प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए उक्त तीनों लोकसेवकगण के विरूद्ध उन पर लागू होने वाले विभागीय नियमों के तहत् उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसा की पालना में पांच माह गुजर जाने के पश्चात् भी की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना प्रेषित नहीं की गई जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार व शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अनुशंसा की पालना नहीं करना चाहते हैं और मामले को जानबूझ कर लंबित कर रहे हैं। अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(3) के अन्तर्गत **महामहिम राज्यपाल को दिनांक 1.12.2010 को विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किया गया**।

इसके पश्चात् ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार से अ.शा. टीप क्रमांकः प.4(12)ऊर्जा/10 दिनांक 29.12.2010 की एक प्रति प्राप्त हुई जिसके अनुसार उक्त **तीनों लोकसेवकगण को दिनांक 17.8.2010 को विनियम संख्या 6 के तहत् आरोप पत्र जारी कर दिये गये है।** परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

एफ.8(41)लोआस/2003

परिवादिया श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री हनुमानराम बावरी निवासी गांव कोड़, तहसील डेगाना, जिला नागौर ने यह परिवाद दिनांक 21.8.2007 को इस आशय का पेश किया कि वह अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. सदस्या है। उसे आठ माह का गर्भ था। दिनांक 4.8.2003 को खेत में झगड़े में उसके चोटे आने पर वह दिनांक 5.8.2003 को ग्राम थांवला उप स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला डाक्टर श्रीमती छाया कालरा के पास गई तो वह उसे अपने घर ले गई तथा वहां इलाज शुरू किया। महिला डाक्टर ने कहा कि वह उसका सही ढंग से इलाज कर देगी तथा उसे तीन दिन तक अपने घर पर भर्ती रखा, परन्तु उसका पेट का दर्द कम न होने के बजाय ज्यादा बढ़ने लगा तथा रात को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो डाक्टर ने रात्रि के 12 बजे उसे घर से निकाल दिया और कहा कि अब मेरे से इलाज नहीं होगा। परिवादिया से 2000 रूपये भी ले लिये गये। बाद में उसे अजमेर जनाना अस्पताल भर्ती करवाया गया जहां दूसरे दिन उसके गर्भ से समय से पूर्व अधूरी बच्ची ने जन्म लिया जिसकी 7-8 घण्टे पश्चत् ही मृत्यु हो गई। परिवादिया ने डा. छाया कालरा के विरूद्ध इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया व उसके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में निदेशक, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसमें उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड मेड़ता सिटी, नागौर की जांच के आधार पर डा. छाया कालरा को दोषी पाया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से विस्तृत जांच करवाई गई जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में डा. छाया कालरा के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं माना और बच्चे की मृत्यु का कारण श्वास नली व भोजन नली जुड़ी होना बताया। इस पर इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच की गई। प्रारंभ जांच में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से डा. छाया कालरा के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया।

अन्वेषण के दौरान् लोकसेवक डा. छाया कालरा को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। लोकसेवक ने अपने जवाब में लगाये गये आरोप से इंकार किया और परिवादिया से प्रतिपरीक्षण किया। उन्होंने अपने पक्ष में साक्षी कैलाश चन्द कुमावत, नन्द किशोर छाबा व डा. महेश दर्शन कालरा की साक्ष्य कराई।

अन्वेषण के दौरान् आई तमाम प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य/सामग्री से लगाया आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप लोकसेवक डा. छाया कालरा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थांवला, जिला नागौर के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत उसके सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन 12.7.2010 की प्रति पत्र दिनांक 29.7.2010 के जरिये प्रेषित करते हुए सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 18(8)चिस्वा/2/10 दिनांक 10.2.2011 के अनुसार **लोकसेवक डा. छाया कालरा को दिनांक 7.2.2011 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।** परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

एफ.35(21)लोआस/2003

श्री पृथ्वीसिंह पुत्र श्री रूपराम बेनीवाल, निवासी 13/308, खन्ना कोलोनी, सिरसा (हरियाणा) ने दिनांक 19.5.2003 को एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि आर.टी.ओ. और डी.टी.ओ. के इन्स्पेक्टर ट्रकों को रोकर अवैध वसूली करते हैं। परिवादी ने इसकी पुष्टि में एक सीडी भी प्रस्तुत की जिसकी जांच करने पर आरोप प्रथम दृष्टया सारवान प्रतीत होने पर प्रकरण में दिनांक 18.6.2003 को प्रारंभिक जांच प्रारंभ किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रारंभिक जांच के दौरान् आई प्रलेखीय एवं मौखिक सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया लोकसेवकगण सर्वश्री राजीव विजय, परिवहन उप निरीक्षक, बलवीर सिंह चौधरी, परिवहन उप निरीक्षक, भगवत सिंह, परिवहन उप निरीक्षक एवं कमल दुबे, परिवहन उप निरीक्षक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उदयपुर को अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, उदयपुर पर चैकिंग के नाम पर ट्रकों, बसों व अन्य वाहनों से कथित तौर पर नाजायज रूप से राशि वसूल करने का दोषी पाया गया। फलतः उक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया। उक्त सभी लोकसेवकगण को नोटिस दिनांक 17.3.2008 को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु तथा उनके सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित किये गये।

अन्वेषण के दौरान् आई प्रलेखीय एवं मौखिक सामग्री के आधार पर व सीडी में दर्ज दृश्यों के आधार पर यह पाया गया कि श्री राजीव विजय व श्री बलवीर सिंह द्वारा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैकिंग का कार्य करते समय वाहनों से अनुचित रूप से राशि वसूल की गई। श्री कमल दुबे चूँकि दिनांक 1.5.2003 को चैकिंग के समय आधे दिवस के अवकाश पर थे, इसलिए उनके विरूद्ध लगाया गया आरोप स्थापित नहीं हुआ परन्तु श्री भगवत सिंह दिनांक 1.5.2003 को चैकिंग के दौरान् उपस्थित थे और यह स्थापित हुआ कि उन्होंने ओवर क्राउडेड बस को बिना कार्यवाही के निकल जाने दिया, परन्तु श्री भगवत सिंह राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण अब लोकसेवक नहीं रहे हैं।

अतः लोकसेवक श्री राजीव विजय, तत्कालीन उप निरीक्षक व श्री बलवीर सिंह चौधरी, तत्कालीन उपनिरीक्षक, परिवहन विभाग, उदयपुर के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा उनके सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 29.7.2010 के द्वारा की गई। परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 10.9.2010 के अनुसार उक्त दोनों लोकसेवकगण को दिनांक 31.8.2010 को **सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी कर दिये गये हैं।** परिणाम की सूचना अपेक्षित है।

एफ.8(30)लोआस/2005

परिवादी श्री मंगतूराम निवासी चक 2 जे.डब्ल्यू, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ने दिनांक 1.2.2006 को एक शिकायत आशय की प्रस्तुत की कि उसके गांव के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया जिससे उसकी पत्नी श्रीमती द्रोपदी, उसके पुत्र बृज लाल एवं भाई की पत्नी श्रीमती बिरमादेवी तथा रामेश्वरलाल आदि को चोटें आई। उसकी पत्नी श्रीमती द्रोपदी देवी सिर में लाठी से चोट आने के कारण दिनांक 27.11.2005 से 16.12.2005 तक राजकीय चिकित्सालय, पीलीबंगा में भर्ती रही। डॉ. हरिओम बंसल ने पविादी एवं उसके भाई डूँगरराम को श्रीमती द्रोपदी के सिर की चोट को खतरनाक बताते हुए कहा कि यदि वे उसे 5,000 रूपये देदें तो वह धारा 307 भादस की रिपोर्ट बना देंगे, नहीं तो रिपोर्ट सही नहीं बनायेंगे और परिवादी व उसके भाई डूँगरराम से डॉ. हरिओम बंसल ने 5,000 रूपये ले लिये, परन्तु उसके बावजूद भी डॉ. बंसल ने मुल्जिम पार्टी से मिल कर बड़ी रिश्वत लेकर साधारण चोट की रिपोर्ट बनादी और पैसे भी वापिस नहीं दिये।

इस शिकायत के संबंध में मंगाई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् लोकसेवक डा. हरिओम बंसल के विरूद्ध सीधे ही अन्वेषण किये जाने के पर्याप्त आधार विनिर्मित होने से उसके विरूद्ध दिनांक 4.2.2009 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किये जाने क आदेश दिये गये। अन्वेषण के नोटिस की प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी के साथ-साथ लोकसेवक को भी अपना पक्ष रखने पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु लोकसेवक ने न तो अपना कोई जवाब ही प्रस्तुत किया और न ही कोई प्रलेखीय या मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत की।

अन्वेषण के दौरान् रिकार्ड पर आई प्रलेखीय एवं मौखिक सामग्री से यह प्रकट हुआ कि लोकसेवक डा. हरिओम बंसल ने मरीज द्रोपदी व उसकी एक्स-रे रिपोर्ट के परीक्षण के बाद चोटा प्रतिवेदन में उसकी चोटों की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया और न ही मरीज के नाजुक होने के हालात एवं उसकी स्थिति के बारे में कोई अंकन किया। ये तमाम परिस्थितियां लोकसेवक डा. हरिओम बंसल के भ्रष्ट आचरण को प्रकट करती है।

अतः लोकसेवक डॉ. हरिओम बंसल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध दिनांक 27.8.2010 को उसके सक्षम प्राधिकारी माननीय

मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को यह अनुशंसा की गई कि लोकसेवक के विरूद्ध उक्त आरोपों के संबंध में राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावे।

अनुशंसा की पालना में उपलब्ध कराई गई सूचना के अुनसार विभाग से प्राप्त 16 सीसीए के प्रस्तावों का परीक्षण कार्मिक विभाग द्वारा किया जा रहा है।

एफ.44(18)लोआस/2002

यह शिकायत श्री गुरमीत सिंह द्वारा दिनांक 14.11.2002 को इन आरोपों के साथ प्रस्तुत की गई कि उसकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी का एक ट्रक नं. आरजे 02 जी 1534 वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निरूद्ध कर लिया गया और वाणिज्यिक कर विभाग ने अपने पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के द्वारा यह आरोप लगाया कि यह ट्रक शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट के रिकार्ड में बिना एन्ट्री करवाये ही सामान का परिवहन कर रहा था और जब कुण्डा चैक पोस्ट, आमेर पर वाणिज्यिक कर विभाग के कर्मचारियों ने ट्रक को रोका तो यह पाया गया कि बिल्टी पर शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट की स्टाम्प नहीं लगी हुई है। परिवादी का कहना है कि उसका ड्राइवर ट्रक को शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट से होकर ही लेकर आया था और शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट के रिकार्ड में क्रम संख्या 3793 पर बाकायदा एन्ट्री भी करवाई गई थी परन्तु वाणिज्यिक कर विभाग के कर्मचारियों ने कांट-छांट करदी और एन्ट्री में ट्रक नं. आरजे 1 जी 4584 कर दिया जो नंगी आंखों से देखने से साफ पता चल जाता है। परिवादी का इस संबंध में यह भी कहना रहा है कि ट्रक नं. आरजे 1 जी 4584 शाहजहांपुर सीमा चैक पोस्ट होकर कभी नहीं गया और दिनांक 31.8.2002 को तो यह ट्रक तन्मय ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर के पास मरम्मत के लिए था। परिवादी का यह भी कहना है कि श्री मनरूप सिंह, वाणिज्यिक कर निरीक्षक एवं श्री रजनीकांत कस्वां, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उसे अक्सर कहते थे कि वह दिल्ली से जयपुर तक बिना टैक्स चुकाये माल ला सकता है! किन्तु जब परिवादी ने उनके कहे अनुसार करने से इंकार कर दिया तो उन्होंने उसे भविष्य में देख लेने की धमकी दी थी। परिवादी ने आरोपों के समर्थन में कई दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत कीं।

इस शिकायत के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तत्पश्चात् रिकार्ड पर आई सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में प्रारंभिक जांच की गई।

प्रारंभिक जांच में आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर प्रारंभ में श्री रजनीकांत कस्वा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री मनरूप सिंह, वाणिज्यिक कर निरीक्षक के विरूद्ध, तत्पश्चात् रिकार्ड पर आई अन्य साक्ष्य के आधार पर महेश कुमार गोवला, तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया। अन्वेषण के दौरान् उक्त सभी लोकसेवकों को अपना-अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने एवं अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया।

अन्वेषण के दौरान् रजिस्टर, जिसमें प्रश्नगत एन्ट्री की गई थी, की जांच एफ.एस.एल. से भी करवाकर रिपोर्ट रिकार्ड पर ली गई। इन तमाम साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर यह परिवादी द्वारा लोकसेवकगण सर्वश्री रजनीकांत व श्री मनरूप सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध किये जाने योग्य पाये गये तथा श्री महेश कुमार गोवला को रजिस्टर में एन्ट्री में कांट-छांट करने का दोषी पाया गया।

अत: दिनांक 7.9.2010 को सक्षम प्राधिकारी माननीय मंत्री महोदय, वित्त विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उक्त दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध उचित विभागीय कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में यह अवगत कराया गया कि लोकसेवक श्री मनरूप सिंह एवं श्री रजनीकांत की संलिप्तता नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने व **श्री महेश कुमार गोवला के विरूद्ध विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।** परन्तु यह जानकारी में आने पर कि उक्त निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया गया है, इसलिये मामले में विचार कर निर्णय लिये जाने व उससे इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु उनके सक्षम प्राधिकारी को लिखा गया जिसकी पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(200)लोआस/2005

परिवादी राधाकिशन पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति ब्राह्मण, निवासी- मकसूदपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके साथ मारपीट किये जाने पर उसने दिनांक 31.8.2005 को थानेदार सुरेन्द्र जाट को प्राथमिकी दी थी जिसने उपथानेदार रामधन मील को अग्रिम कार्यवाही हेतु दे दी परन्तु श्री रामधन मील से आग्रह करने के बावजूद भी उसने न तो डॉक्टरी जांच करवाई और न प्राथमिकी दर्ज की। वह बार-बार थाना रानोली में चक्कर लगाता रहा, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की तथा मुलजिमान से साजिश कर परिवादी को ही डांटने लगे। इन दोनों अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर उसने एस.पी., सीकर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण की जांच करवाने का निवेदन किया, जिन्होंने उप अधीक्षक पुलिस को जांच कर कार्यवाही करने के आदेश दिये, किन्तु उन्होंने भी कार्यवाही नहीं की। परिवादी ने उक्त लोकसेवकण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

परिवाद के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तथ्यात्मक प्रतिवेदन में आये तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में प्रारंभिक जांच की गई। प्रारंभिक जांच में लोकसेवक श्री सुरेन्द्र जाट, उप निरीक्षक, श्री रामधन मील, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर दिनांक 2.7.2009 को उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-10 के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के अनुक्रम में दोनों लोकसेवकगण को अपना-अपना

जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु तथा उनके सक्षम प्राधिकारी सूचनार्थ नोटिस प्रेषित किये गये।

नोटिस की अनुपालना में लोकसेवकगण ने अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया व आरोपों से इंकार किया। लोकसेवक श्री सुरेन्द्र सिंह ने परिवादी से जिरह करने की प्रार्थना की, किन्तु बार-बार तलब किये जाने पर भी वह जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही बचाव में किसी गवाह को पेश करने की प्रार्थना नहीं की। अतः लोकसेवक श्री सुरेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करनी पड़ी।

बाद अनुसंधान यह स्थापित हुआ कि दिनांक 31.8.2005 को परिवादी के खेत में पड़ौसी ने पुश छोड़ दिये और मना करने पर उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की, जिसके कारण उसके चोटें आई। परिवादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो तथ्य अंकित किये गये हैं उसके अनुसार धारा 323,341,447,504 आईपीसी का संज्ञेय अपराध बनता था तथा उसकी आई चोटों को देखते हुए उसका मेडीकल करवाया जाना भी आवश्यक था परन्तु लोकसेवक श्री सुरेन्द्र सिंह न परिवादी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की और केवल धारा 107, 117 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही कर मामला समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार दोनों लोकसेवकगण के विरूद्ध बाद अनुसंधान आरोप प्रमाणित पाये गये। श्री रामधन मील, सहायक उप निरीक्षक के दिनांक 31.5.2010 को सेवानितृत हो जाने के कारण लोकसेवक नहीं रहने के कारण अनुशंसा नहीं की गई परन्तु श्री सुरेन्द्र सिंह उप निरीक्षक हाल पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर के विरूद्ध उसके सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर को दिनांक 14.10.2010 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) अधीन सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसेवक की मृत्यु हो चुकी है।

अध्याय–4

विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरण

एफ.3(111)लोआस/2009

श्री अभय कुमार पुत्र श्री नाथू लाल कनोई निवासी टोडारायसिंह, जिला टोंक ने यह परिवाद दिनांक 31.8.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह वरिष्ठ नागरिक है। उसने दिनांक 16.8.2009 को पप्पू पुत्र श्री घासी माली द्वारा आम रास्ते में रोक कर गंभीर मारपीट किये जाने तथा गले में पहनी सोने की चैन को तोड़ कर ले जाने के संबंध में पुलिस थाना, टोडारायसिंह में एफ.आई.आर. नं. 232 दर्ज करवाई थी, परन्तु आज दिन तक भी मुलजिम के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस शिकायत के संबंध में महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर से पत्र दिनांक 13.10.2009 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर ने पत्र दिनांक 10.11.2009 के द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन भिजवाते हुए यह अवगत कराया कि मार्च, 2008 में प्रस्तुत परिवाद पर कोई जांच कार्यवाही नहीं करने में श्री राजकुमार, उप निरीक्षक एवं श्री ओम सिंह, सहायक उप निरीक्षक की लापरवाही पाई गई है जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। दिनांक 13.7.2009 को प्रस्तुत परिवाद श्री प्रभूसिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी, टोडारायसिंह को सुपूर्द किया गया था जिसने परिवाद में किसी प्रकार की जांच कर थानाधिकारी को पेश नहीं किया एवं प्रकरण संख्या 232/2009 में सतही अन्वेषण किया व धारा 379 भादस का जुर्म हटाने की स्वीकृति वृत्ताधिकारी से प्राप्त नहीं कर नतीजा धारा 341, 323 भादस में दिया जिसमें प्रभूसिंह, सहायक उप निरीक्षक की लापरवाही रही है जिसके उसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। समुचित कार्यवाही नहीं करने के क्रम में श्री प्रभूसिंह का स्थानान्तरण लाइन में किया जा चुका है।

संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2009 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के साथ मारपीट को लेकर अभियोग संख्या 232/2009 अन्तर्गत धारा 341, 323 भादस में दर्ज होकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरूद्ध अपराध साबित पाये जाने पर चार्जशीट नं. 151/2009 किता कर चालान दिनांक 27.8.2009 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है जिसमें रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए है।

महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर उनके द्वारा जारी दो विभिन्न आदेश दिनांक 6.8.2010 की प्रतियां अपने ने पत्र दिनांक 13.8.2010 के साथ प्रेषित कर यह अवगत कराया कि परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार व अभय कुमार द्वारा प्रस्तुत परिवादों पर **श्री राजकुमार, उप निरीक्षक एवं श्री प्रभू सिंह, सहायक उप निरीक्षक** द्वारा कार्यवाही नहीं करने के संबंध में

उनके विरूद्ध **17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर उन्हें परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया** है। अन्य पत्र दिनांक 21.10.2010 के द्वारा अवगत कराया गया कि **श्री ओमसिंह, सहायक उप निरीक्षक** को भी परिवादी के परिवादों पर कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध **17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करके उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित** किया जा चुका है।

एफ.3(204)लोआस/2009

यह परिवाद श्री चन्द्रभानु राजपुरोहित पुत्र श्री घीसूलाल राजपुरोहित निवासी 398, बापू नगर, पाली मारवाड़ ने इस सचिवालय में दिनांक 4.2.2010 को मुकदमा नं. 363/2008 पुलिस थाना, कोतवाली, पाली में लोकसेवक श्री प्रवीणकुमार, तत्कालीन वृत्ताधिकारी पाली शहर द्वारा की गई भ्रष्टतापूर्वक कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान से पत्र दिनांक 31.3.2010 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। दिनांक 11.8.2010 के पत्र द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिवादी श्री चन्द्रभानु राजपुरोहित द्वारा अभियुक्त श्री राजेश सिंघल के विरूद्ध अपराध धारा 420 भादस के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवाया गया। पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री प्रवीण कुमार जैन, तत्कलालीन वृत्ताधिकारी, पाली के खिलाफ अभियुक्त को कानूनी प्रक्रिया से बचाने तथा प्रकरण में जानबूझ कर अंतिम रिपोर्ट सिविल नेचर में देने का आरोप लगाया।

शिकायत की जांच कराने पर परिवादी द्वारा लोकसेवक श्री प्रवीण कुमार जैन के विरूद्ध जानबूझ कर एफ.आर. देने आरोप सही पाया गया व अनुसंधान से श्री राजेश सिंघल के विरूद्ध अपराध धारा 420 भादस का प्रमाणित माना गया। महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जोधपुर द्वारा प्रकरण में कमजोर पर्यवेक्षण मानते हुए तत्कालीन **थानाधिकारी** को नियम **17 सीसीए** के तहत् चार्जशीट दी गई जिस पर आरोपी **पुलिस निरीक्षक** का जवाब प्राप्त किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इसी प्रकार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 25.2.2011 के अनुसार श्री प्रवीण कुमार जैन, आर.पी.एस., तत्कालीन वृत्ताधिकारी, पाली शहर, पाली के विरूद्ध **17 सीसीए के अन्तर्गत** कार्यवाही की जाकर जांच में आरोप साबित पाये जाने पर उसे **परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित** कर दिया गया है।

एफ.3(76)लोआस/2010

यह श्री शंकर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण धाकड़ एवं श्री मुकेश पुत्र श्री चौथमल धाकड़, ग्राम कचरावता, पुलिस थाना, नगरफोर्ट, जिला टोंक ने यह शिकायत दिनांक 28.6.2010 को इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 11.6.2010 को 10.30 एएम पर ट्यूबवैल पर उनके साथ मारपीट की गई जिससे उनके गंभीर चोटें आई। परिवादीगण ने आरोप लगाया कि श्री आशाराम मीणा, दीवान व थानाधिकारी, पुलिस थाना, नगरफोर्ट ने मुलजिमों से मोटी रकम लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया। श्री आशाराम मीणा ने 1000 रूपये की रिश्वत की भी मांग की। शिकायत के साथ चोट प्रतिवेदन की फोटोस्टेट प्रति भी प्रस्तुत की गई। परिवादीगण ने

उक्त दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की। परिवाद पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 29.10.2010 के अनुसार परिवाद की जांच में श्री आशाराम मीणा, हैड कांस्टेबल के विरूद्ध रिश्वत मांगने का लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। यह भी अवगत कराया गया कि दोनों पक्षों में कहासुनी होकर मारपीट हुई थी जिसके संबंध में रोजनामचा आम में धारा 323 भादस व नुकजेमन की रपट अंकित की गई थी, मामला असंज्ञेय अपराध का धारा 323 भादस व नुकजेमन का पाये जाने पर अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया गया था। पुलिस अधीक्षक, टोंक के आदेश दिनांक 8.2.11 के अनुसार **श्री सम्पत सिंह, उप निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, नगरफोर्ट** को दिनांक 11.6.2010 को परिवादी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज न करके अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना करने व अनुशासनहीनता करने के आरोप में 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करके दोषी पाये जाने पर **''परिनिन्दा''** के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

आ.का.प्र. एफ.3(144)लोआस/2010

यह गुमनाम परिवाद टपूकड़ा थाना पर पदस्थापित चन्द्रप्रकाश शर्मा, ए.एस.आई. के विरूद्ध इस आशय का प्राप्त हुआ कि उसके द्वारा मुकदमा नं. 178/10 में 114 दिन तक चालान पेश नहीं कर मुल्जिमों को जमानत का लाभ दिलवाया गया, मुकदमा नं. 291/10 में मुल्जिमों के न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए 60 दिन की मियाद में चालान पेश नहीं कर जमानत दिलवाने में मदद की गई और अवकाश स्वीकृत कराये बिना ही अवकाश पर चला गया, परन्तु इसके बावजूद भी उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

चूँकि परिवाद गुमनाम प्राप्त हुआ था, इसलिये परिवाद को नस्तीबद्ध करते हुए इसकी एक प्रति **आवश्यक कार्यवाही करने** व की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, अलवर को दिनांक 9.11.2010 को प्रेषित किया गया जिसकी पालना में **मात्र 17 दिवस के भीतर** जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 26.11.2010 द्वारा सूचित किया कि जांच के पश्चात् उक्त मुकदमों में चालान पेश करने में शिथिलता बरते जाने व बिना स्वीकृति अवकाश पर रवाना होने के आरोप के संबंध में **श्री चन्द्र प्रकाश, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध 16 सीसीए** तथा निर्देशों के बावजूद भी चालान पेश नहीं करने के आरोप के संबंध में तत्कालीन थानाधिकारी, टपूकड़ा **श्री मंगल सिंह, उप निरीक्षक के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।** जांच का परिणाम अपेक्षित है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित शिकायतों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।

एफ.5(29)लोआस/2006

यह परिवाद श्री रामचरण जैन, मंत्री, श्री महावीर दिगम्बर जैन बालिका विद्यालय समिति, जयपुर ने श्री दुर्गेन्द्र सिंह के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी स्व. श्री साधना सिसोदिया की राजकीय प्राथमिक विद्यासलय, बरखेड़ा, चाकसू, जिला जयपुर में अध्यापिका के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 19.7.2001 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो हो गई थी।

श्री दुर्गेन्द्र सिंह काफी समय पूर्व से ही श्री महावीर दिगम्बर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर, जो कि अनुदानित विद्यालय है, में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। इस प्रकार श्री सिंह अपनी पत्नी पर पूर्ण आश्रित नहीं थे। इसके बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर ने श्री दुर्गेन्द्र सिंह को बिना जांच-पड़ताल के दिनांक 18.6.2004 को कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करदी। अतः इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा काफी पत्राचार करने के पश्चात् अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 30.11.2009 के द्वारा यह अवगत कराया कि सक्षम प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर द्वारा **श्री दुर्गेन्द्र सिंह को दिनांक 13.10.2009 द्वारा 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर निलम्बित कर दिया है।** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर ने भी अपने पत्र दिनांक 27.7. 2010 व 21.2.2011 के द्वारा उपर्युक्तानुसार सूचित करते हुए अवगत कराया कि लोकसेवक के विरूद्ध जांच किये जाने हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है और मामले में विभाग से विधिक राय प्राप्त की जा रही है जो प्राप्त होते ही प्रकरण में निर्णय लेकर अवगत करा दिया जावेगा। जांच का परिणाम अपेक्षित है।

एफ.5(71)लोआस/2008

यह परिवाद श्री मोहम्मद परवेज खान, एडवोकेट, सांतपुर आबु रोड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जिला सिरोही ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि विभागीय जांच में पोषाहार आदि में अनियमितताएं किये जाने व आर्थिक लाभ प्राप्त किये जाने के आरोप सही पाये जाने पर भी श्री वजीर खां, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हीरापुरा, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा ही है।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही ने अपने पत्र दिनांक 27.3.2009 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक **श्री वजीर खां** के विरूद्ध जानबूझकर अनियमितताएं करने व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के कृत्यों के लिए दोषी पाये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, सिरोही ने पत्र दिनांक 16.3.2009 के द्वारा **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र** जारी कर विभागीय जांच प्रारंभ करदी गई है। अपने अगले पत्र दिनांक 10.3.2010 के द्वारा अवगत कराया कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सिरोही ने अपने आदेश दिनांक 10.3.2010 के द्वारा **श्री वजीर खां को दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने, अनियमित रूप से प्राप्त किये गये चयनित वेतनमान की वसूली किये जाने, बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं गलत प्रतिनियुक्ति दर्शाये वेतन की वसूली किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया** है तथा आदेश में निलम्बन अवधि में निर्धारित मुख्यालय पर कार्यग्रहण नहीं करने एवं निरन्तर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने व मिड डे मील संबंधी जांच पूर्ण होने तक यथावत निलम्बित रखने का भी आदेश पारित किया गया।

निदेशक, राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2010 के द्वारा पोषाहार में अनियमितताएं किये जाने के संबंध में अवगत कराया कि मामला अनियमितता का न होकर गणितीय भूल का पाये जाने पर उक्त लोकसेवक को पुनः बहाल किये जाने की सिफारिश करदी गई है।

एफ.5(73)लोआस/2009

यह परिवाद श्री प्रेम गौतम, सचिव, राजस्थान पब्लिक शिक्षा समिति, जटवाड़ाखुर्द, सवाईमाधोपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि बालिका आवासीय शिविर, चौथ का बरवाड़ा में डीपीसी के आदेश पर संचालित शिविर के भुगतान को अनावश्यक रूप से लंबित किया जा रहा है।

इस संबंध में आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 29.3.2010 के द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करते हुए यह अवगत कराया कि श्रीमती पुष्पा नामा, तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक, सवाईमाधोपुर ने बिना राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद की अनुमति के ही उक्त आवासीय शिविर चलाने की अनुमति देदी जिसके कारण नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया। **श्रीमती पुष्पा नामा के विरूद्ध दिनांक 20.5.2010 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।** जांच का परिणाम अपेक्षित है।

आ.का.प्र. एफ.5(38)लोआस/2010

यह परिवाद श्री राम अवतार गोयल, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, भीलवाड़ा के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्री गोयल एक भ्रष्ट अधिकारी हैं। उक्त परियोजना में 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता, परन्तु श्री गोयल को नियमों के विपरीत उक्त परियोजना में नियुक्त कर दिया गया। अतः श्री गोयल के विरूद्ध तुरन्त कार्यवाही की जावे।

परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, परन्तु परिवाद में लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण उसकी एक प्रति प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर पत्र दिनांक 22.11.2010 के द्वारा प्रेषित की गई जिसके अनुक्रम में आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2010 के द्वारा यह सूचित किया कि श्री राम अवतार गोयल की अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के पद प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त की गई थी। श्री गोयल के बूंदी में पदस्थापित रहते झूला एवं फिसल पट्टी क्रय/निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के लिए नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को दिनांक 7.4.2010 को प्रेषित किये जा चुके हैं। भीलवाड़ा पदस्थापन में ब्रिजकोर्स में बरती गई अनियमितताओं के लिए भी नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत प्रस्ताव दिनांक 5.5. 2010 को भिजवाये जा चुके हैं। इसी प्रकार श्री राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन बीआरसीएफ, सहाड़ा, भीलवाड़ा द्वारा सत्र 2006-07 में आयोजित ब्रिजकोर्स में बरती गई अनियमितताओं के

लिए नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत प्रस्ताव दिनांक 5.5.2010 को भिजवाये जा चुके है। अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 24.3.2011 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध दिनांक 23.7.2010 को **17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।** जांच का परिणाम अपेक्षित है। **आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित** शिकायत के संबंध में दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही कर लिया जाना लोकायुक्त संस्था के महत्व को दर्शित करता है।

एफ.7(5)लोआस/2008, एफ.7(7)लोआस/2008, एफ.7(10)लोआस/2008,एफ.7(12)लोआस/2008 एफ.7(20)लोआस/2008

यह परिवाद श्री रतन लाल बाकोलिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अजमेर द्वारा निवाई जिला टोंक व किशनगढ़, जिला अजमेर में प्रवर्तन निपरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहे श्री कन्हैया लाल, रसद निरीक्षक के विरूद्ध रोस्टर से अधिक करोसीन तेल डीलरों को उपलब्ध कराये जाने, खद्यान्न का दुरूपयोग करने, कालाबाजारी में लिप्त रहने, राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहने व अपने कर्त्तव्य का समुचित निर्वहन न करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 31.12.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि जांच में उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर श्री कन्हैया लाल रैगर, प्रवर्तन निरीक्षक को नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत चार्जशीट जारी कर दी गई है व पत्र दिनांक 8.12.2009 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध सहायक आयुक्त, खाद्य को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। उपायुक्त (मुख्यालय), खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 2.11.2010 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक श्री कन्हैया लाल रैगर, प्रवर्तन निरीक्षक को 16 सीसीए के अन्तर्गत की गई तीन विभिन्न विभागीय जांचों में तीन विभिन्न आदेश दिनांक 29.10.2010 के द्वारा कुल 6 **वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित** किया जा चुका है।

एफ.8(40)लोआस/2004

यह परिवाद श्रीमती शोभा जैन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत दो कर्मचारियों श्री दिनेश राज लोढ़ा, वरिष्ठ लिपिक, पाली एवं श्रीमती नीना कुमारी, नर्स-2, अजमेर के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री दिनेशराज लोढ़ा अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं और उनके उक्त श्रीमती नीना कुमारी से नाजायज संबंध हैं जिससे दो संतानें उत्पन्न हुई हैं। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। इस संबंध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.1.2005 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच कराये जाने पर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने के फलस्वरूप उक्त दोनों लोकसेवकों को दिनांक 16.12.2004 को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।

जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.8.2010 के द्वारा आदेश दिनांक 18.8.2010 की प्रति भिजवाते हुए यह अवगत कराया है कि जांच में दोनों **लोकसेवकगण श्री दिनेशराज लोढ़ा, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक एवं श्रीमती नीना कुमारी नर्स श्रेणी द्वितीय के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें राज्य सेवा से पदच्युत कर दिया गया है**।

एफ.8(45)लोआस/2004

यह परिवाद श्री सतीश कुमार बंसल, निवासी जेसीटी मिल, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह अपनी पत्नी को पेट की बीमारी होने के कारण अक्सर राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत डॉ.हरिओम नारायण शर्मा को दिखाने जाता है। डॉ. शर्मा ने गैरकानूनी ढंग से अपने घर पर अल्ट्रासोनीग्राफी मशीन लगा रखी है। वह जब भी अपनी पत्नी को दिखाने जाता है तो डॉ. शर्मा उसे उनके घर पर सोनोग्राफी कराने की सलाह देते हैं जिसकी फीस रूपये 300/- है जबकि अस्पताल में भी सोनोग्राफी मशीन है और उसकी फीस मात्र रूपये 100/- है परन्तु डॉ. हरिओम नारायण शर्मा कहते हैं सरकारी मशीन सही नहीं है। सही रिपोर्ट के लिए उनके घर पर ही दिखाओ। इस प्रकार डॉ. शर्मा गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वे सोनोग्राफी मशीन से लिंग की जानकारी भी दे रहे हैं। परिवादी ने अपने आरोपों की समर्थन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 5.8.2003 की फोटो प्रति भी संलग्न की जिसमें यह अंकित है कि 7-डी 31, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर स्थापित मनमंदिर सोनोग्राफी सेन्टर पर डा.हरिओमनारायण शर्मा चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं।

उक्त शिकायत के संबंध में प्रमुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दिनांक 24.9.2009 के द्वारा सूचित किया कि परिवाद में डॉ. हरिओम नारायण शर्मा द्वारा अपने निवास स्थान पर सोनोग्राफी मशीन का संचालन किये जाने का आरोप सही है। नियमानुसार वे ऐसी मशीन का संचालन अपने निवास पर नहीं कर सकते हैं और न ही किसी निजी सोनोग्राफी केन्द्र पर मशीन संचालन हेतु अपनी सेवाएं दे सकते हैं। डॉ. शर्मा का आचरण सेवा नियमों के विरूद्ध एवं दण्डनीय है। अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 1.7.2009 के अनुसार डॉ. हरिओम नारायण शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 6.4.2009 को **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर जांच प्रारंभ करदी गई है।** जांच परिणाम से अवगत कराने हेतु लगातार पत्राचार किया गया। प्रतिवेदनाधीन अवधि में जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.8(18)लोआस/2005

यह परिवाद उर्मिला सोनी, ए.एन.एम., राजकीय चिकित्सालय, मोती कटला, जयपुर ने दिनांक 14.9.2005 को प्रस्तुत किया जिसमें राजकीय चिकित्सालय, पुरानी बस्ती, जयपुर पदस्थापन के दौरान् डा. बी.एल.खत्री द्वारा यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ किये जाने की शिकायत की। यह भी कथन किया कि जब परिवादिया ने विरोध किया तो उसे निदेशालय में ए.पी.ओ. करवा दिया।

इस परिवाद के संबंध में निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 5.12.2007 के द्वारा अवगत कराया कि उक्त शिकायत की जांच कराये जाने पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर डा. बी.एल.खत्री को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। कार्मिक विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 1.6.2010 के अनुसार आदेश दिनांक 7.5.2010 के द्वारा **डा. बी.एल.खत्री**, तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, पुरानी बस्ती, जयपुर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित** कर दिया गया है।

एफ.10(11)लोआस/2006 लिंक फाइल एफ 10(19)लोआस/2006

यह परिवाद श्री भंवरनाथ, रामनाथ व अन्य निवासी ग्राम बरजांगसर तहसील श्री डूँगरगढ़ जिला बीकानेर ने दिनांक 9.11.2006 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त ग्राम में किसानों द्वारा कुए पर 41 एचपी मोटर व 100 एचपी का ट्रांसफार्मर ऊंटगाड़े पर रख कर बिजली चोरी की जा रही है जिसमें ए.ई.एन. व जे.ई.एन. की मिलीभगत है। परिवाद में लगाये गये आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए परिवाद में स्वविवेक से कार्यवाही करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से पत्र दिनांक 4.10.2007 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम ने अपने पत्र दिनांक 20.11.2007 द्वारा अवगत कराया कि बिजली चोरी करते पकड़े गये किसान श्री गणपत नाथ पुत्र श्री अखानाथ से रू. 65,000/-, श्री केसरनाथ पुत्र श्री शेरनाथ से रू. 65,000/-, श्री करणनाथ पुत्र श्री पन्नानाथ से रू. 70,000/-, श्री केसरनाथ पुत्र श्री डूँगरनाथ से रू. 60,000/- एवं श्री पुरखाराम पुत्र श्री दूलाराम से रू. 80,000/- रूपये जुर्माना राशि के जमा करवा लिये गये हैं। श्री लिखमानाथ के कृषि परिसर में विद्युत चोरी किया जाना नहीं पाया गया। उक्त विद्युत चोरी में संबंधित लोकसेवकों की मिलीभगत के मद्देनजर जांच करवाने हेतु पत्र दिनांक 2.1.2008 द्वारा लिखा गया।

इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक 18.12.2008 द्वारा अवगत कराया गया कि सतर्कता जांच, विभागीय रिपोर्ट एवं सम्पूर्ण प्रकरण अध्ययन पश्चात् **श्री मानाराम चौधरी, सहायक अभियन्ता, श्री यू.के.व्यास, सहायक अभियन्ता, श्री गोरधन जांगिड़, श्री भैराराम चौधरी, श्री जैमलराम चौधरी, श्री मुकेश मालू, कनिष्ठ अभियन्तागण एवं श्री राजकुमार पारीक तथा श्री गुट्टा लाल, कनिष्ठ लिपिक** के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.11.2008 को आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। अपने पश्चातवर्ती विभिन्न पत्रों द्वारा समय-समय पर यह अवगत कराया गया कि दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और विभागीय जांच में दोष साबित नहीं पाये जाने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। उक्त लोकसेवगण को विरूद्ध की गई विभागीय जांच में जांच अधिकारी, जो कि अनुशासनिक अधिकारी भी थे, ने कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1962 एवं आचरण विनियमों के नियम 7 में जो प्रक्रिया बृहद शास्ति के प्रकरणों के

लिए बताई गई है, उस **प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया** और आरोप पत्र जारी होने के बाद केवल मात्र **लोकसेवकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही समाप्त करदी जिसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं** कहा जा सकता। चूँकि विनियमों में पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी और पत्रावली को दिनांक 31.3.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.11(214)लोआस/2001 एवं 11(24)लोआस/2005

परिवाद संख्या 11(214)लोआस/2001 श्री गिरधारी स्वामी वगैरह ने ग्राम डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के काश्तकारों की कृषि भूमियों के गैर खातेदारी से खातेदारी में करने के लिए सहायक कलक्टर, भादरा श्री औंकार लाल जाट, तहसीलदार, भादरा एवं पटवारी हलका डोभी, तहसील भादरा श्री लीलूराम द्वारा रिश्वत मांगे जाने, बिना कब्जे काश्त के ही दीगर लोगों को खातेदारी देने के संबंध में प्रस्तुत किया। इसी तरह के आरोपों के संबंध में परिवाद संख्या 11(24)लोआस/2005 श्री तिलोक चन्द सैनी निवासी भादरा द्वारा लोकसेवकगण श्री औंकार लाल जाट व शिम्भूदयाल मीणा, आर.ए.एस. के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 1.7.2003 के द्वारा अवगत कराया कि जांच करवाने पर श्री औंकार लाल जाट के विरूद्ध अनेक प्रकरणों में चरागाह, जोहड़ पायतन आदि की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये गये हैं। सब प्रकरणों में तहसीलदार को अपील करने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी पालना में तहसीलदार, भादरा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर के न्यायालय में श्री औंकार लाल जाट द्वारा किये गये अनियमित आवंटन के 188 प्रकरणों में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है व इसी संदर्भ में जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के पत्र दिनांक 11.4.2002 के द्वारा श्री औंकार लाल जाट के विरूद्ध आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र तैयार कर राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिये गये हैं। ये प्रस्ताव दिनांक 17.3.2009 तक राजस्व विभाग में विचाराधीन रहे जैसाकि राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 23.3.2009 के द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री औंकार लाल जाट के प्रकरण में माननीय राजस्वमंत्री के अनुमोदन पश्चात् विभागीय जांच प्रस्ताव नियम 16 सी.सी.ए. के अन्तर्गत कार्मिक विभाग को दिनांक 17.3.2009 को प्रेषित कर दिये गये है।

कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 9.2.2010 द्वारा सूचित किया कि लोकसेवक श्री औंकार लाल जाट ने उक्त विभागीय जांच के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर शहर, जयपुर के न्यायालय से दिनांक 4.8.2009 को यथास्थति बनाये रखने के आदेश प्राप्त कर लिये। कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 3.3.2011 के अनुसार प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 1.2.2011 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है तथा दिनांक 4.8.2009 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश को अपास्त कर दिया गया है। **विभागीय जांच का परिणाम अपेक्षित** है।

एफ.11(66)लोआस/2006

यह परिवाद श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा निवासी कौलारी तहसील सैपउ, जिला धौलपुर ने यह परिवाद इस आशय का पेश किया कि वह वृद्ध एवं सेवानिवृत्त अध्यापक है। उसने दिनांक 9.6.1976

को राजस्व ग्राम दलेलपुर में आराजी खसरा नं. 1951 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार शिवचरण से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की थी तथा नामान्तरण भी परिवादी के नाम से करवा लिया गया था तथा उक्त भूमि पर परिवादी लगातार काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु परिवादी के बच्चे बाहर रहने के कारण व परिवादी के वृद्ध होने का नाजायज फायदा उठाने की नीयत से गंगा, भगवान सिंह आदि वर्ष 2004 में उसके खेत पर आये और खेत छोड़ने की धमकी दी। परिवादी द्वारा मना करने पर उसकी फसल को नष्ट कर दिया जिसकी एफ.आई.आर. जरिये इस्तगासा दिनांक 24.7.2004 को पुलिस थाना, कौलारी में दर्ज करवाया गया था। एक अन्य एफ.आई.आर जरिये इस्तगासा दिनांक 17.9.2004 को करवाई गई, परन्तु बार-बार पाबन्द कर छोड़ने से मुलजिमों के हौसले बढ़ गये हैं और उन्होंन शिवचरण, जिससे परिवादी ने जमीन खरीदी थी, का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया जो परिवादी की रजिस्ट्री को गलत साबित करने के लिए बनवाया गया। 17.5.2006 को जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र की कार्यवाही में गवाहों के रूप में एक ही व्यक्ति से हस्ताक्षर करा लिये गये। परिवादी ने उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त करने एवं दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की।

जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.2.2008 के अनुसार जांच में प्रश्नगत मृत्यु प्रमाण पत्र को झूँठा प्रमाणित पाया गया। मुकदमा नं. 133/2004 में दिनांक 15.9.2007 को **गैरसायल हरिसिंह, मंगलसिंह आदि को 4-4 साल की कठोर कारावास** व **2600-2600 रूपये के जुर्माने से दण्डित** किया जा चुका है।

पत्र दिनांक 24.2.2009 के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले सचिव, ग्राम पंचायत, चीलपुरा श्री नेमीचन्द दिनांक 31.5.2008 को ही सेवानिवृत्त हो चुका है। पत्र दिनांक 22.7.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत, चीलपुरा द्वारा दिनांक 3.10.2008 को उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा के **आदेश दिनांक 19.4.2007 की पालना में उक्त फर्जी रूप से जारी गलत मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त कर** दिया गया है। पत्र दिनांक 12.1.2011 के द्वारा अवगत कराया गया कि दोषी लोकसेवकगण श्री रमेश चन्द वर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, श्री शारदा प्रसाद शाहू, तत्कालीन विकास अधिकारी एवं श्री बृजेश चन्दोलिया, तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजाखेड़ा को दिनांक 16.12.2010 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर उनके विरूद्ध **17 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।** जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.11(138)लोआस/2007

परिवादी श्री रामलाल ने दिनांक 5.12.2007 को यह शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि उसने ग्राम सोहनपुर में अवस्थित पत्नी के नाम की आराजी खसरा नं. 868, 869, 870 की पत्थरगढ़ी के लिए न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रतापगढ़ में प्रार्थना पत्र दिया था जिन्होंने आदेश पारित कर तहसीलदार को भिजवा दिया। तहसीलदार, प्रतापगढ़ ने दिनांक 1.6.2004 को नायब तहसीलदार, देवगढ़ को मौके पर जाकर पत्थरगढ़ी करने का आदेश दिया। नायब तहसीलदार श्री श्रवण कुमार गूर्जर ने परिवादी से पत्थरगढ़ी की एवज में रूपये 1000/- प्राप्त

कर लिये, परन्तु दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई पत्थरगढ़ी नहीं की। परिवादी ने उसके रूपये वापिस लौटाने व श्री गूर्जर के विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.8.2008 द्वारा यह अवगत कराया कि जांच में यह आरोप सही पाया गया है कि अधिकृत अधिकारी के आदेशों के 2 वर्ष बाद भी पत्थरगढ़ी नहीं की गई। रिश्वत प्राप्त करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। इसलिये श्री श्रवण कुमार गूर्जर, नायब तहसीलदार के विरूद्ध अलग से कार्यवाही कही जा रही है। पत्र दिनांक 23.4.2010 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि आरोप लोकसेवक **श्री श्रवण कुमार गूर्जर के विरूद्ध 17 सीसीए** के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने पर जांच में दोष साबित पाये जाने पर उसे आदेश दिनांक 16.4.2010 के द्वारा ए**क वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके** जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। पत्र दिनांक 14.6.2010 के अनुसार भूमि की मौके पर पत्थरगढ़ी दोनों पक्षों की सहमति से करादी गई है।

एफ.11(185)लोआस/2007

श्री राधाकान्त पुत्र श्री रामसिंह शास्त्री निवासी कल्याण मौहल्ला कामां, भरतपुर ने यह परिवाद दिनांक 18.2.2008 को प्रस्तुत कर श्री देवीलाल जाटव, आई.एल.आर., तहसील, कामां के विरूद्ध जानबूझ कर पत्थरगढ़ी व सीमांकन नहीं करने व इसकी एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की एवं कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 10.7.2008 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी विवादित आराजी खसरा नं. 4514, 4520, 4521, 4522, 4523 कस्बा कामां नं.3 व आराजी खसरा नं. 4470, 4270, 4274 कस्बा कामां नं.2 की पैमाईश/पत्थरगढ़ी कराना चाहता है परन्तु उक्त रकबा परिवादी की मां कपूरी एवं अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सहखातेदारी की भूमि पर पत्थरगढ़ी जब तक खाते की भूमि का विभाजन नहीं हो जाता तब तक कराया जाना संभव नहीं है। इसलिये परिवादी की माता के हिस्से की भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई जा सकी। परिवादी से **श्री देवीराम, भू अभिलेख निरीक्षक (एल.आर.आई.)** द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप के संबंध में **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप** पत्र जारी कर जांच प्रारंभ करदी गई है। पत्र दिनांक 12.4.2010 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि जांच में यह आरोप प्रमाणित पाये जाने पर कि लोकसेवक श्री देवीराम ने तहसीलदार के आदेशों के बावजूद भी पत्थरगढ़ी नहीं कर अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व अनुशासनहीनता की, उसे आदेश दिनांक 5.4.2010 के द्वारा **दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से **दण्डित कर** दिया गया है।

एफ.11(64)लोआस/2008

परिवादी श्री धर्मपाल रावत निवासी गोपालपुरा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर के इस परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री सुरेश शर्मा, तत्कालीन पटवारी हलका पाथरेडी ने ग्राम पाथरेडी के नामान्तरण संख्या 332 में खसरा नं. 2103 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि को

बिना किसी आधार एवं आदेश के नामान्तरण सिवायचक से खातेदारी में अंकन कर दिया। इस प्रकार उसने राज्य सरकार की कीमती भूमि को खुर्द-बुर्द कर राजस्व हानि पहुंचाई। इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 304 के द्वारा बंटवारा कराया जाकर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम अधिक दर्ज करदी। ग्राम बासड़ी के खसरा नं. 1377 का हिस्सा 1/6 के कुरेजात अपनी मृत माताजी के नाम तैयार करके मृत व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया तथा ग्राम पाथरेडी के नामान्तरण संख्या 335 में विक्रित भूमि हिस्सा 1/2 के बजाय क्रेता के नाम सम्पूर्ण हिस्से का अमल दरामद कर दिया। लोकसेवक श्री सत्यनारायण छीपा, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, कोटपूतली हाल नायब तहसीलदार जिला राजसमन्द ने श्री सुरेश शर्मा द्वारा किये गये अंकनों को सही प्रमाणित कर अपने पद का दुरूपयोग किया।

ग्राम पाथरेडी के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति लीलाराम वगैरह के संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं. 260, 261, 262, 263 कुल किता 4 रकबा 4.28 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा खातेदारों के खतौनी में दर्ज हिस्सा 2/3 व 1/3 के आधार पर किया जाना था, लेकिन श्री रामजी लाल वर्मा, तत्कालीन तहसीलदार, कोटपूतली ने तहसीलदार के पद पर कार्यरत रहते हुए श्री लीलाराम वगैरह को 2/3 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्से से भी कम भूमि बंटवारे में दी तथा रोशनी पत्नी कंवर लाल जाति यादव को 1/3 हिस्से के बजाय 1/2 भाग से भी अधिक भूमि बंटवारे में स्वर्ण जाति के व्यक्ति को देदी जो धारा 42 का उल्लंघन है। यही नहीं, श्री रामजी लाल वर्मा ने ग्राम पाथरेडी में महकमा कस्टोडियन की भूमि रकबा 9.42 हैक्टेयर व 4.09 हैक्टेयर के अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर सनद जारी कर खातेदारी के अधिकार दे दिये।

इस शिकायत के संबंध जिला कलेक्टर, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन में आरोपों को सही पाये जाने पर जिला कलेक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 27.1.2009 व पत्र दिनांक 25.9.2009 के अनुसार श्री सुरेश चन्द पटवारी को निलम्बित कर दिनांक 11.12.2008 को नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत चार्जशीट देदी गई है। लोकसेवक श्री सत्यनारायण छीपा हाल नायब तहसीलदार को दिनांक 12.10.2009 **नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।** राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 5.10.2010 के अनुसार श्री रामजी लाल वर्मा, तत्कालीन तहसीलदार, कोटपूतली के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण को ड्रॉप कर दिया गया है। अन्य के विरूद्ध विभागीय जांच जारी है। जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.11(72)लोआस/2008

यह परिवाद श्री लालचन्द सैनी पुत्र श्री सेडूराम सैनी निवासी रामगढ़ रोड, लालावास का बन्धा, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम आमेर के खसरा नं. 5685 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 5731 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 5703 रकबा 1 बिस्वा सौंसी लाल पुत्र हरबक्श कौम ब्राह्मण के नाम खातेदारी दर्ज है, को श्री सौंसीलाल की दिनांक 18.12.1953 में मृत्यु हो जाने के 40 साल बाद बिना कोई उचित जांच किये ही श्री अशोक कुमार के नाम नामन्तरण खोल दिया गया।

इस संबंध में आयुक्त, भू-प्रबन्ध, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि किसी कृषक की मृत्यु होने के 40 वर्ष पश्चात् उत्तराधिकारी द्वारा उक्त मृतक का वारिस बनने संबंधी प्रमाण पत्र पेश करने एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने पर उस प्रकरण में भू-मापक, निरीक्षक व सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी तीनों को ही जांच करनी चाहिए थी। कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 31.8.2009 के अनुसार श्री चावला व श्री रणवीर सिंह, भू-मापक को दिनांक 29.7.2009 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। जांच परिणाम से अवगत कराने हेतु पत्राचार जारी है।

एफ.11(98)लोआस/2008

श्री कन्हैयालाल मीणा निवासी सरूपगंज, मीणा वास, जिला सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस शिकायत के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उसे राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कुंआ निर्माण की स्वीकृति दिनांक 15.12.2007 को दी गई थी। दिनांक 16.2.2008 से 29.2.2008 तक का मस्टर रोल पूर्ण होने पर दूसरा मस्टर रोल दिनांक 1.3.2008 को जारी करवाया था, जिस पर कार्य करवाया था। जब वह भुगतान करवाने हेतु श्री मालम सिंह, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से मिला तो उसने पांच हजार रूपये की राशि मांगी। रूपये 2000 में सौदा होने पर उसने श्री मालम सिंह को दिनांक 1.5.2008 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रंगे हाथों पकड़वा दिया। अतः दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे और उसका भुगतान दिलवाया जावे।

जिला कलेक्टर, सिरोही से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 2.6.2009 के अनुसार आरोपों को प्रमाणित मानते हुए यह सूचित किया गया कि श्री मालम सिंह वन विभाग का कर्मचारी है, उसे विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाड़ा के आदेश दिनांक 29.5.2008 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया था तथा जिला परिषद, सिरोही के पत्र दिनांक 2.7.2010 के अनुसार लोकसेवक **श्री मालम सिंह निलम्बित ग्राम सेवक को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है**। जांच का परिणाम अपेक्षित है।

एफ.11(126)लोआस/2008

श्री बाबू लाल सैनी पुत्र श्री फैफाराम सैनी निवासी ग्राम अचरोल, बावड़ी की ढाणी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त पते पर उन चार भाइयों की भूमि स्थित है जिसके खसरा नं. 1222 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा शामलाती हिस्सा 1/2 का 1/4 भाग, जो कि कुल 1/8 भाग होता है। उक्त भूमि पर वर्षो से परिवादी काबिज चला आ रहा है जिसका राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है। उक्त भूमि हड़प कर जाने की नियत से बोदूराम, सरपंच, ग्राम अचरोल, सुरेन्द्र भारद्वाज, हलका पटवारी, तहसीलदार, आमेर, उप पंजीयक, आमेर तथा निहाल सिंह, ए.एस.आई., थाना चन्दवाजी ने मुलजिमान भगवान सहाय कुम्हार के पुत्रों द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से नामान्तरण अपने नाम से खुलवाया जो कि ग्राम पंचायत, अचरोल के सचिव के यहां नामान्तरण से संबंधित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। हलका पटवारी तथा कजोड़मल सैनी, बोदूराम, सरपंच भगवान सहाय कुम्हार के पुत्रों से मिलीभगत कर एक फर्जी नामान्तरण कराकर उप पंजीयक, आमेर व तहसीलदार से मिलीभगत कर जमाबंदी में भी नाम चढ़ा लिया

जो कि यह गैर कानूनी तथा बिना किसी के आधार के किया गया क्योंकि भगवान सहाय की मृत्यु कई सालों पूर्व हो चुकी है।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 7.7.2009 एवं दिनांक 15.4.2010 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम अचरोल के खसरा नं. 1222 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा का विक्रय दिनांक 25.10.1979 को किया गया था, परन्तु इसके विक्रय पत्र का तत्समय नामान्तरण दर्ज नहीं किया गया। विक्रेता एवं क्रेता की मुत्यु वर्ष 2000 में हो गई थी। विक्रेता की मृत्यु के पश्चात् वर्ष 2004 में विक्रेता के उत्तराधिकारियों के नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज किया गया। विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 565 वर्ष 2007 में क्रेता के हक में दर्ज किया गया। विक्रेता एवं क्रेता दोनों के देहान्त होने तथा जमाबन्दी में विक्रेता के वारिसों के नाम दर्ज होने के कारण उक्त नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व नियमानुसार सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य था जो नहीं लिया गया तथा नामान्तरण को सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की ग्राम सभा व बिना कोरम के तस्दीक किया गया। इस संबंध में दोषी पाये गये श्री सुरेन्द्र भारद्वाज, पटवारी हलका, अचरोल, तहसील आमेर के **विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 22.2.2010 को जारी कर दिये गये हैं** तथा उक्त विभागीय जांच में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.11(9)लोआस/2009

हाजी श्री अब्दुल गनी गौरी निवासी नीलगरों की मस्जिद, वार्ड संख्या-2, पिड़ावा जिला झालावाड़ ने यह परिवाद दिनांक 30.4.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने लोक हित में एक परिवाद दिनांक 19.4.2004 को तत्कालीन जिला कलेक्टर, झालावाड़ को श्री प्रदीप नागर, सहायक कलेक्टर, श्री केसर लाल मीणा, उप खण्ड अधिकारी, अकलेरा, श्री विश्राम मीणा, अतिरिक्त कलेक्टर के विरूद्ध ग्राम गैलानी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ की आराजी खसरा नं. 19 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा का गैरकानूनी का आवंटन करके राजकोष को 10 लाख रूपये का नुकसान पहुंचाने के संबंध में प्रस्तुत किया था, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी ही शिकायत श्री दिलीप सिंह प्रजापति ने भी की।

इन शिकायतों के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 13.5.2009 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 1.10.2009 के द्वारा श्री प्रदीप नागर आर.ए.एस के संबंध में यह अवगत कराया कि ग्राम गैलानी के खसरा नं. 19 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि जो कलुवा भील की थी जो स्वर्ण को अवैध बेचान करने से आर.टी. एक्ट 175-77 में जब्तराज की जिसे गणेश पुत्र नाथू को आवंटित की। इसके लिये श्री प्रदीप नागर को दोषी पाया गया एवं उनके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। अन्य को दोषी नहीं माना गया। ग्राम खलील नगर में खसरा नं. 481 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा व 482 रकबा 2 बिस्वा किसनी बाई, भूली भाई के नाम थी जिसे आर.टी. एक्ट 88 के तहत रमेश, जगदीश कुल्मी

के खाते बांधने बाबत श्री प्रदीप नागर को दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया है। श्री प्रदीप नागर, आर.ए.एस. का देहान्त हो जाने के कारण काई विभागीय जांच नहीं की गई।

ग्राम छत्रपुरा तहसील पचपहाड़ **नजूल सम्पत्ति 10 बीघा 5 बिस्वा का आवंटन गलत प्रस्तुत कर करवाया जाना पाये जाने पर आवंटन को निरस्त कर दिया गया है।**

ग्राम बकानीखुर्द, तहसील पचपहाड़ की भूमि के खसरा नं. 546 कुल रकबा 6 बीघा 19बिस्वा भूमि को राजगामी सम्पत्ति आवंटन करने के संबंध में पटवारी श्री माणकचन्द मीणा को दोषी पाया गया। पत्र दिनांक 23.7.2010 के द्वारा राजस्व विभाग ने यह अवगत कराया गया कि दोषी पाये गये पटवारी श्री माणकचन्द मीणा के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 10.4.2007 के द्वारा उसे **दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से** रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। तहसीलदार को दोषी नहीं पाया गया।

एफ.11(108)लोआस/2009

श्री शेर सिंह पुत्र श्री बीकर सिंह, निवासी गुरदयाल कोलोनी, वार्ड नं. 1, नई मण्डी, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 10 जी.डी. के मुरब्बा नं. 147/03 के किला नं. 1 ता 5 में पक्का खाला है तथा मुरब्बा नं. 147/2 के किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता है। उस स्वीकृत रास्ते पर श्रवण सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह द्वारा मिट्टी डाली जा रही है जिससे रास्ते के साथ पक्के खाले में मिट्टी आने से आगे के मुरब्बा 127/59 में सिंचाई सुविधा बन्द हो जायेगी, इसलिये उक्त रास्ते में मिट्टी न डाले जाने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी शिकायत उसने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिन्होंने तत्कालीन तहसीलदार को तुरन्त कार्यवाही के आदेश दिये थे, परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और यहां तक कि तहसीलदार एवं उसके बाबू मदन लाल शर्मा ने शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए रिश्वत की मांग की। परिवादी ने पंजीयन लिपिक श्री प्रमोद गौड़ द्वारा एक प्रतिशत रिश्वत की राशि मांगे जाने का भी आरोप लगाया।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.3.2010 के अनुसार श्री सिराजुद्दीन, तत्कालीन तहसीलदार, घड़साना को उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के आदेशों की भी पालना न कर मौके का निरीक्षण नहीं करने व मिट्टी डालने से से पाबन्द न करने का दोषी पाया गया, अन्य आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। पत्र दिनांक 23.12.2010 के अनुसार **श्री सिराजुद्दीन, तत्कालीन तहसीलदार, घड़साना** हाल तहसीलदार, सांचौर को 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करके **एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित** किया गया है।

एफ.11(57)लोआस/2010

श्री सुन्दर लाल शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट गोपालगढ़, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर ने दिनांक 16.6.2010 को इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, नायब तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने वर्ष 2006-2007 में सीकरी, भरतपुर में नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए ग्राम गोपालगढ़ के खसरा नं. 686 गैरमुमकिन रास्ता में 0.02 हैक्टेयर पर मकान बना कर व 0.02 हैक्टेयर पर जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया जिसे तुरन्त हटवाया जावे।

इस संबंध में संभागीय आयुक्त, भरतपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 12.10.2010 द्वारा उक्त आरोप को सही प्रमाणित करते हुए सूचित किया कि अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के विरूद्ध न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 25.11.2010 के द्वारा अवगत कराया कि तहसीलदार, पहाड़ी के निर्णय दिनांक 25.3.2010 के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीग द्वारा दिनांक 14.10.2010 को खारिज करदी गई है एवं स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिया गया है व दिनांक 15.10.2010 को तत्कालीन तहसीलदार, पहाड़ी द्वारा **खसरा नं. 686 गैरमुमकिन रास्ता ग्राम गोपालगढ़ पर से अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा दिया गया** है तथा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्र दिनांक 31.3.2011 के अनुसार श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक, पहाड़ी हाल नायब तहसीलदार को मण्डल के ज्ञापन पत्र दिनांक 22.3.2011 से **नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोपित किया जा चुका है।** जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.12(62)लोआस/2005

यह परिवाद बाबू सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी ग्राम डूडसी, तहसील व जिला जालौर ने दिनांक 24.9.2005 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री जगदीश सिंह, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव व श्री वेलाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, डूडसी ने मिल कर दिनांक 5.7.2005 को पंचायत की बैठक में ग्राम डूडसी में 33/11 के.वी. विद्युत सब स्टेशन की स्थापना हेतु गौचर भूमि में से 6 बीघा भूमि के आवंटन का प्रस्ताव पारित कर दिया। बैठक में श्री छैल सिंह व श्री लाबूसिंह वार्ड पंचों को भी उपस्थित दर्शा दिया जबकि वे उस दिन ए.सी.जे.एम. कोर्ट, जालौर में उपस्थित थे। अतः श्री जगदीश सिंह व श्री वेलाराम के विरूद्ध मनमर्जी से गौचर भूमि आवंटन करने व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर पद का दुरूपयोग करने के लिए इन्हें निलम्बित किया जाकर कार्यवाही की जावे।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, जालौर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिस पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 17.10.2007 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर से करवाकर पर उसमें लगाये गये आरोप सही पाये गये हैं। पत्र दिनांक 10.4.2008 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कराने में सचिव की भूमिका/भागीदारी/जिम्मेदारी होती है और गलत प्रस्ताव पारित हुआ है, सचिव भी दोषी की श्रेणी में आता है। सचिव के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 299(3) के साथ पठित **17 सीसीए के तहत् कार्यवाही प्रस्तावित करदी गई है।** पत्र दिनांक 24.7.2008 के पत्र के अनुसार श्री जगदीश सिंह, ग्राम

सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, डूडसी को दिनांक 19.7.2008 को 17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करदी गई व कार्यवाही पश्चात् आदेश दिनांक 22.7.2009 के द्वारा श्री जगदीश सिंह **भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए** विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

अवर सचिव (जांच), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पृष्ठांकन पत्र दिनांक 30.7.2009 के अनुसार **श्री वेलाराम, सरपंच को अयोग्य घोषित करते हुए सरपंच के पद से हटाये जाने एवं नियम विरूद्ध जारी किये गये पट्टों को निरस्त कराने की अभिशंषा की जाकर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भिजवाया गया जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।**

तत्पश्चात् संभागीय आयुक्त, जोधपुर के पत्र दिनांक 25.5.2010 के अनुसार श्री वेलाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, डूडसी द्वारा अपने कार्यकाल में नियम विरूद्ध जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु विशेष बैठक दिनांक 18.5.2010 को आयोजित की जाकर सदन की सहमति अनुसार विकास अधिकारी ने न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.2009 के अनुसार समस्त पट्टे निरस्त कर दिये हैं। निरस्तीकरण के आदेश दिनांक 18.5.2010 की फोटो प्रति के अनुसार सर्वश्री गणेश, जितेन्द्र, नींबाराम, फूलीदेवी, रती लाल को खसरा नं. 624 गोचर/गैर मुमकिन गोचर भूमि में आवंटित 5 भूखण्डों के पट्टों की निरस्तीकरण की पुष्टि की गई तथा श्रीमती पदमा पत्नी चेलाराम, प्रागाराम-चुन्नीलाल, रमेश, जयन्ति लाल, प्रागाराम, अशोक कुमार, गोविन्दराम को खसरा नं. 624, 611, 650 गैर मुमकिन गौचर/गैरमुमकिन आबादी में आवंटित किये गये भूखण्डों के पट्टों को निरस्त कर दिया गया। निरस्त किये गये विक्रय विलेखों की फोटो प्रतियां भी अवलोकनार्थ प्रेषित की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् इस प्रकरण को दिनांक 30.7.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(48)लोआस/2007

यह परिवाद श्री भगवान लाल कुमावत ने दिनांक 14.9.2007 को श्रीमती पुष्पादेवी सुखलेचा, सरपंच, ग्राम पंचायत, रायपुर, पंचायत समिति, रायपुर, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध ग्राम पंचायत के बाहर की निवासी श्रीमती जमीला पत्नी मुबारिक हुसैन के नाम नियम विरूद्ध तरीके से रियायती दर पर पट्टा जारी करने व स्टेडियम में 2.25 लाख रूपये की लागत से घटिया निर्माण करवाने जिससे स्टेडियम ढह जाने के आरोप लगाये जिस पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जांच किये जाने के उपरान्त न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के आदेश दिनांक 18.11.2009 के द्वारा आरोप साबित पाये जाने पर उसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(1)(ख) व सपठित धारा 39(2) के अन्तर्गति सरपंच पद से हटा दिया गया और पद को रिक्त घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार उक्त कार्यो में पर्यवेक्षणीय लापरवाही बरतने जाने के आरोप के संबंध में **श्री प्रकाश स्वर्णकार, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, रायपुर** के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाकर दोष साबित पाये जाने पर उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 25.5.2009 के द्वारा **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने**

के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् पत्रावली को दिनांक 20.4. 2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(65)लोआस/2008

यह परिवाद ग्राम मिठड़िया ग्राम पंचायत, चांदारूण, पंचायत समिति, डेगाना द्वारा कराये गये सड़क, नालियों एवं खुर्रे के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 9.9.2008 को प्रस्तुत किया गया।

संभागीय आयुक्त, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 30.7.2009 के अनुसार श्री भंवर लाल बैन्दा के घर से चन्द्राराम सिंवर के घर तक खुर्रा 251 फीट कम बना होना व नाली नहीं बनी होना पाया गया, सार्वजनिक जी.एल.आर. के पश्चिम की तरफ 140 फीट नाली कम बनी पाई गई, शिवजी चौक, ग्राम मिठड़िया में सी.सी. रोड की मोटाई 2.5 से 3 इंच कम पाई गई, रतनाराम बावरी के घर से जीवण राम के घर तक खुर्रे की मोटाई लगभग 2.5 इंच कम पाई गई, तुलछाराम बैन्दा के घर से साण्ड घर की तरफ स्वीकृत स्थान पर कार्य नहीं करवाया गया तथा मदन चोयल के घर से हजारी चौकीदार के घर तक खुर्रा निर्माण में छोटूराम के नाम से भुगतान उठा लिया गया जबकि उसने काम ही नहीं किया था तथा खुर्रे के पत्थरों की मोटाई भी 3 इंच कम पाई गई।

संभागीय आयुक्त के पत्र दिनांक 5.11.2009 के अनुसार उक्त अनियमितताओं के संबंध में श्री भंवर लाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, चांदारूण को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है तथा पत्र दिनांक 4.2.2011 के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर के कार्यालय आदेश दिनांक 29.1.2011 के द्वारा 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के उपरान्त इसी प्रकरण में दोषी पाये गये **तीन ग्रामसेवकों सर्वश्री अर्जुन सिंह खोजा, सीताराम शर्मा तथा धनन्जय शर्मा प्रत्येक को एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।**

एफ.12(37)लोआस/2010

यह परिवाद श्री गोपाल कंसारा निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री गोपाल सिंह चौहान, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़ मदारिया बिना मेडीकल बोर्ड की अनुमति के 139 दिवस के मेडीकल अवकाश पर रहे, उन्हें कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के लिए अखबार में नोटिस भी निकाला गया। कर्त्तव्य पर उपस्थित होने से पूर्व उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली और न ही कार्मिक विभाग को सूचित किया। अतः इस संबंध में कार्यवाही की जावे। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द ने अपने पत्र दिनांक 27.10.2010 के द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाते हुए यह सूचित किया कि अनुपस्थिति अवधि के लिए श्री गोपाल सिंह चौहान के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, राजसमन्द द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को दिनांक 8.10.2008 को लिखा गया है।

इसी अनुक्रम में उप शासन सचिव, प्रशासन-1, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 19.1.2011 के अवगत कराया कि **श्री गोपाल सिंह चौहान, तत्कालीन विकास अधिकारी** के विरूद्ध स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने के लिए तथा **श्री बृजमोहन भालिया, वरिष्ठ लिपिक** के विरूद्ध श्री गोपाल सिंह चौहान के आरोप पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए दिनांक 17.1.2011 को **17 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं**। जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.14(2)लोआस/2010

श्री मदन लाल पुत्र श्री रामेश्वर दास निवासी शाहपुरा जिला जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 9.4.2010 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 1.4.2010 को प्रातः 5-6 बजे ट्रक नं. 14 2जी 5556 कोट से लेकर हरियाणा जा रहा था। पुलिस चौकी, पोल्याड़ा की नहर के पास एक जीप आर.जे.01 टीए 1156 टोंक की तरफ से आई और सादा वर्दी वाले लोगों ने अपने आप को टोंक के परिवहन विभाग के कर्मचारी होना बताते हुए ट्रक को रूकवा लिया और कहा कि श्री मिथिलेश गूर्जर निरीक्षक भी उनके साथ है और एन्ट्री के नाम पर 10 हजार रूपये देने के लिए। जब रूपये देने से मना किया तो मारपीट की और जेब में रखे 8 हजार रूपये छीन लिये और कहा कि ट्रक चलाना है तो महीने के 10 हजार रूपये देने ही पड़ेंगे। इसके बावजूद गाड़ी को सीज कर बरोनी थाने में खड़ा करा दिया। इसकी शिकायत उपखण्ड अधिकारी, टोंक को भी की, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 2.4.2010 को जब गाड़ी छुड़ाने जाने पर रूपये की रसीद काट कर देने को कहा तो 30-35 हजार रूपये का चालान बना कर बर्बाद कर देने की धमकी दी और गाड़ी नहीं छोड़ी। परिवादी ने गाड़ी को छुड़वाने व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.8.2010 के अनुसार श्री मिथिलेश गूर्जर, परिवहन उप निरीक्षक एवं श्री गंगाराम रैगर, परिवहन उप निरीक्षक को दिनांक 6.4.2010 को निलम्बित कर दिया गया है व पत्र दिनांक 9.11.2010 के अनुसार उक्त दोनों लोकसेवकों को दिनांक 4.11.2010 को **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ** करदी गई है। जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.15(28)लोआस/2000

इस प्रकरण में चित्तौड़गढ़ स्थिति वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध मिलीभगत करके भूमि से पेड़ों की अवैध कटाई कराने, खनन करवाने एवं निर्माण कार्यो में भारी अनियमितताएं किये जाने के गंभीर आरोप लगाये गये थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध **16 सीसीए के अन्तर्गत संयुक्त विभागीय जांच प्रस्तावित की जाकर वर्ष 2001 में ही आरोप पत्र जारी कर दिये गये थे** परन्तु अधिकारियों ने इस **विभागीय जांच को निपटाने में 9 वर्ष का समय लगा दिया जो वन विभाग में पदस्थापित उच्चाधिकारियों**

की ढीली कार्य प्रणाली एवं अधिनस्थ अधिकारियों पर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में शिथिलता को दर्शित करता है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री घनश्याम जैन, सदस्य, राजस्थान विधानसभा, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ ने एक परिवाद दिनांक 16.9.2000 को वन विभाग, चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कराने, खनन करवाने एवं निर्माण कार्यो में भारी अनियमितताएं किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया और कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 4.11.2000 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.3.2001 व 19.9.2001 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी श्री घनश्याम जैन द्वारा इसी संबंध में पूर्व में की गई शिकायत की जांच वन संरक्षक, अजमेर द्वारा कराई गई थी जिसके अनुसार दोषी पाये गये **लोकसेवकों के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत संयुक्त विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दिनांक 14.6.2001 को आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं** जिनके उत्तर आने शेष हैं।

लगभग **9 वर्ष तक पत्राचार** के बाद उक्त विभागीय जांच को कार्यालय आदेश दिनांक 13.8.2010 के द्वारा निर्णीत कर उसकी एक प्रति इस सचिवालय को भिजवाई गई जिसके अनुसार **श्री ललित सिंह राठौड़, क्षेत्रीय** को मिट्टी के बैण्ड के तकनीकी त्रुटि के कारण पानी में बह जाने से हुए राजकीय नुकसान को दोषी पाये जाने पर की राशि रूपये 3884/- की वसूल किये जाने तथा **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित किया गया। **श्री भैरूलाल, वन रक्षक एवं श्री रामजी लाल भील, वन रक्षक** को अवैध खनन करवाने, मीनारों से छेड़छाड़ व वन क्षेत्र में अवैध का मलबा डलवाने आदि कार्यो में मिलीभगत करने का दोषी पायो जाने पर **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित किया गया तथा श्री माधव लाल साल्वी, सेवानिवृत्त वनपाल को नाड़ी के निर्माण में दोषी पाये जाने पर उससे रूपये 5825/- की वसूली किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया व अन्य लोकसेवकों को दोष सिद्ध नहीं होने के कारण **आरोप मुक्त** कर दिया गया।

एफ.15(5)लोआस/2007

श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा निवासी 231, कृष्णा नगर, भरतपुर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर 48 से 50 किलोमीटर के मध्य 61 हरे पेड़ों के अवैध कटाई कराकर राजकोष को 25 लाख रूपये की हानि पहुंचाये जाने का आरोप लगाया।

इस संबंध में शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होंने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.11.2007 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया कि मामले की जांच सहायक वन संरक्षक, गश्तीदल, जयपुर से करवाई गई जिसके अनुसार भरतपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर 48 से 49 के मध्य

19 शीशम के वृक्षों के अवैध कटान के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा, क्षेत्रीय एवं अन्य अधिनस्थ स्टाफ दोषी है। उक्त हानि की वसूली हेतु संबंधित लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

इसी अनुक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 15.12.2008 के द्वारा अवगत कराया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाये गये लोकसेवकगण सर्वश्री सुरेश चन्द मिश्रा, क्षेत्रीय, रतन सिंह, सहायक वनपाल, दयाचन्द लवानिया, वन रक्षक, मनीराम शर्मा, वनरक्षक, महावीर सिंह, वनरक्षक, अमर सिंह, वनरक्षक, लाल सिंह खल्लासी एवं सुरेश चन्द्र शर्मा, वृक्षपालक के विरूद्ध दिनांक 23.10.2008 को **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर कार्यवाही प्रारंभ करदी गई है।** प्रतिवेदनाधीन अवधि तक भी विभागीय जांच के परिणाम से अवगत कराने हेतु लगातार पत्राचार किया जाता रहा परन्तु विभागीय जांच अभी तक लंबित बताई जा रही है।

एफ.16(63)लोआस/2007

श्री ताराचन्द जैन हाल निवासी जैन मंदिर के पास, मोहनबाड़ी, सूरजपोल, जयपुर ने दिनांक 6.9.2007 को यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया उसके द्वारा तत्कालीन टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, दौसा से दुकान नं. 52 का भूखण्ड नीलामी में क्रय किया गया था, परन्तु श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, दौसा ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर स्टेट ग्रान्ट में उसका दूसरा पट्टा दिनांक 28.2.2004 को श्री मक्खन लाल जैन के नाम जारी कर दिया जिसकी जांच कर दण्डित किया जावे।

इस परिवाद के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिसके प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 27.5.2008 एवं तदुपरान्त पत्र दिनांक 24.11.2008 के द्वारा अवगत कराया गया कि लोकसेवकगण के स्पष्टीकरणों का परीक्षण के उपरान्त श्रीमती इन्द्रा बंशीवाल के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत आरोपों की न्यायिक जांच कराने हेतु विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है तथा श्री लक्ष्मीनारायण मीणा एवं श्री खेमराज मीणा को दिनांक 8.7.2008 को 16 **सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये है** तथा एवं दुकान नं. 52 के दुबारा **अवैध रूप से जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।** प्रतिवेदनाधीन अवधि तक भी विभागीय जांच के परिणाम से अवगत कराने हेतु लगातार पत्राचार किया जाता रहा परन्तु विभागीय जांच अभी तक लंबित बताई जा रही है।

एफ.16(134)लोआस/2007

यह परिवाद श्री सुरेन्द्र कुमार भार्गव, संयोजक, चूरू जिला समाजवादी पार्टी, नया बाजार, सुजानगढ़ जिला चूरू ने स्टेशन रोड, सुजानगढ़ में निर्मित विशालकाय वाणिज्यिक कटले के अवैध निर्माण एवं उसमें मुद्रांक शुल्क की चोरी का आरोप लगाया।

इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 27.8.2008 के द्वारा सूचित किया कि प्रकरण की जांच क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, बीकानेर से करवाई गई जिसके अनुसार अनियमितता के लिए श्री रामकुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री रोहित चौधरी, अधिशाषी अधिकारी, श्री राजेन्द्र स्वामी, तत्कालीन साहयक अभियन्ता एवं श्री मंगतुराम घोषी, तत्कालीन कार्यालय सहायक को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है जिनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 3.9.2009 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त चारों लोकसेवकों को दिनांक 28.7.2009 को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। तत्पश्चात् यह अवगत कराया गया कि जांच के पश्चात् लोकसेवकगण सर्वश्री रोहित चौधरी, राजेन्द्र स्वामी एवं मंगतु अली घोषी पर आरोप सिद्ध नहीं होने से उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है तथा श्री राम कुमार आर्य, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सुजानगढ़ को श्री प्रीतम लाल की पत्रावली में भूमि रूपान्तरण की राशि की गणना अनिर्मित भवन मानकर वास्तविक देय राशि रूपये 4,02,757/- के बजाय रूपये 1,48,051/- ही वसूल करके राजकोष को हानि पहुंचाने का आरोप सिद्ध पाये जाने पर **दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है**।

एफ.16(99)लोआस/2008

इस परिवाद में श्री रामकिशोर माहेश्वरी, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री योगेश आचार्य, कनिष्ठ लिपिक, श्री धनराज सोनी, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, बाड़मेर के विरूद्ध खसरा नं. 1431 में 14 व्यक्तियों के पक्ष में नगरपालिका सीमा के बाहर की राजकीय भूमि में बिना भूमि हस्तान्तरित हुए ही भूखण्डों का नियमन कर पट्टे जारी करने, पट्टे जारी करने के पश्चात् आपत्तियां समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने, पत्रावली संख्या 11/06 श्रीमती सुमित्रा देवी, पत्रावली संख्या 15/06 सुश्री कंचन एवं पत्रावली संख्या 19/06 श्री लूणकरण, प्रत्येक से रूपान्तरण राशि रूपये 61,671/- वसूल करने के बजाय 6,167/- ही वसूल करके रूपये 55,504/- प्रति भूखण्ड के हिसाब से कुल रूपये 1,66,512/- कम वसूल करने, पत्रावली संख्या 16/06 श्री गौतम चन्द से रूपान्तरण शुल्क राशि रूपये 58,306/- के बजाय 50,116/- ही वसलू करने तथा लीज राशि रूपये 8,193 की हानि पहुंचाये जाने, पत्रावली संख्या 21/06 श्रीमती ममता देवी के मामले में रूपान्तरण शुल्क की राशि रूपये 58,309/- वसूल करने के बजाय रूपये 45 के बजाय 10 रूपये की दर से गणना कर केवल 20,378 रूपये ही वसूल कर रूपये 37,928/- की हानि पहुंचाये जाने आदि के आरोप लगाये गये। उक्त के अतिरिक्त श्री सुरेश चन्द जैन, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, बाड़मेर के विरूद्ध कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहते उक्त खसरा नं. 1431 में 14 व्यक्तियों के पक्ष में नियम विरूद्ध तरीके से नियमन कराने के लिए उनमें कोई निर्माण न होते हुए भी ''*संबंधित भूखण्डों में कमरा निर्मित है*'' की रिपोर्ट दिये जाने के आरोप लगाये गये। श्री विशनचन्द धारू, वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध उक्त अवैध रूप से जारी 14 पट्टों की जानकारी निदेशालय की जानकारी में नहीं लाये जाने का आरोप लगाया गया।

उक्त शिकायत के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिन्होंने अपने पत्र 28.6.2010 के द्वारा अवगत कराया कि शिकायत में लगाये गये आरोप सही पाये जाने पर उपर्युक्त लोकसेवकगण श्री रामकिशोर माहेश्वरी, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री योगेश आचार्य, कनिष्ठ लिपिक, श्री धनराज सोनी, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, बाड़मेर को दिनांक 18.1.2010 को **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है** तथा तत्कालीन अध्यक्ष श्री बलराम प्रजापत का प्रकरण न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। प्रतिवेदनाधीन अवधि में भी जांच के परिणाम से अवगत कराने हेतु पत्राचार किया जा रहा था जिसके अनुसार जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.16(124)लोआस/2008

यह परिवाद श्री गोपाल कृष्ण गौड़, जिला उपाध्यक्ष, जिला खेलकूद प्रकोष्ठ, जैतारण जिला पाली ने दिनांक 22.1.2009 को प्रस्तुत कर जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका, जैतारण के अधिशाषी अधिकारी एवं चैयरमैन द्वारा ठेकेदारों से मिलीभगत करके निर्माण कार्यों में घटिया व हल्की सामग्री लगाने व लाखों रूपयों का घोटाला करने का आरोप लगाया और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में आयुक्त, स्थानीय निकाय विभाग से पत्र दिनांक 2.2.09 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। पत्र दिनांक 29.3.10 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि दोषी पाये गये अध्यक्ष का प्रकरण न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को भिजवाया जा चुका है।

पत्र दिनांक 24.1.2011 द्वारा दो विभिन्न आदेश दिनांक 24.1.2011 की प्रतियां प्रेषित कर अवगत कराया गया कि **लोकसेवक श्री इन्द्रसिंह राठौड़, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, जैतारण** को पर्यवेक्षण में की कमी का दोषी पाये जाने पर **परिनिन्दा** के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है तथा **श्री सुधीर पुरोहित, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, जैतारण** को कार्य की गुणवत्ता व निरीक्षण का कमी व अनियमितताओं में सहभागिता का दोषी पाये जाने पर **एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने** के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

एफ.16(37)लोआस/2010

यह शिकायत श्री अजय पोरवाल, पार्षद, वार्ड 4, नगर परिषद, उदयपुर ने दिनांक 21.5.2010 को नगर परिषद, उदयपुर के कर्मी श्री मन्ना लाल सामर, राजस्व निरीक्षक एवं श्री गणेश लाल चौबीसा, कार्यवाहक राजस्व अधिकारी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि इन दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध बिना अनुमति भू-उपयोग परिवर्तन करवाये आवासीय कोलोनी में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में अनियमितता बरतने के मामले में 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बे समय से चल रही है जिसे कर्मियों की सेवानिवृत्ति निकट होने के कारण मिलीभगत करके विलम्बित किया जा रहा है ताकि उन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि का पूरा

लाभ मिल जाये। दिनांक 19.8.2010 को प्रस्तुत अन्य शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि श्री सुरेन्द्र कुमार तलेसरा के विरूद्ध वार्षिक वेतनवृद्धि का अनियमित भुगतान प्राप्त करने पर ऑडिट आक्षेप लगाया गया था और रूपये 71998/- की वसूली निकाली थी परन्तु मिलीभगत करके इसका भी लाभ उठा लिया और सेवापुस्तिका में इन्द्राज नहीं कराया गया तथा राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करके 10 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ भी ले लिया। अत: इनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे।

इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.10.2010 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक श्री मन्ना लाल सामर, राजस्व निरीक्षक एवं श्री गणेश लाल चौबीसा, कार्यवाहक राजस्व अधिकारी के विरूद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के उपरान्त श्री मन्ना लाल सामर के विरूद्ध जांच समाप्त करदी गई परन्तु दोषी पाये गये श्री गणेश लाल चौबीसा की **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय** लिया गया। श्री चौबीसा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रश्नगत भवन का परिषद द्वारा दिनांक 23.4.2007 को स्वीकृत किये गये समस्त निर्माण को शास्ति लेकर नियमन कर दिया गया है एवं **शास्ति रूपये 3,24,128/- जमा करवाई जा चुकी है।** उन्होंने यह भी सूचित किया कि उक्त नियमन आदेश पश्चात् भूखण्ड मालिक श्रीमती नेहा मनवानी द्वारा भूखण्ड के आंशिक भाग (भूतल) का व्यावसायिक उपयोग प्रारंभ कर दिया गया था जिस पर उसके विरूद्ध तत्समय प्रभावशील नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170(11) के तहत् सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

एफ.19(5)लोआस/2009

यह परिवाद रीको की भरतपुर इकाई कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा हेराफेरी कर 80,000 रूपये की राशि का गबन करने के संबंध में प्राप्त हुआ जिसके संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया। तथ्यात्मक प्रतिवेदन में यह अवगत कराया कि परिवाद की जांच कराये जाने पर यह पाया गया कि बिना उच्च अधिकारियों को सूचित किये व मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए माह मई, 2000 से अगस्त, 2000 तक तिजोरी में रोकड़ शेष लगभग रूपये 1,00,000/- से अधिक रखा जाकर गंभीर अनियमितता की गई जबकि अकाउटिंग एण्ड बिजनेस रूल्स, 1999 के अनुसार तिजोरी में रूपये 20,000/- से अधिक शेष रोकड़ रखने का प्रावधान नहीं था। इसके लिए **श्री लक्ष्मण सिंह चौधरी, तत्कालीन रोकड़िया एवं हाल शाखा प्रभारी तथा श्री एम.पी.सुरोलिया, वरिष्ठ लेखाकार** को दोषी पाये जाने पर उन्हें रीको कर्मचारी (वर्गीकरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 11(बी) एवं (जी) के अन्तर्गत दीर्घशास्ति के अन्तर्गत दिनांक 16.8.2010 को आरोप पत्र जारी जाकर जांच पश्चात् दोषी पाये जाने पर उक्त दोनों लोकसेवकों **परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।**

एफ.21(3)लोआस/2008

यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें मिलीभगत करके दोषी लोकसेवक को बिना अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किए वं बिना जवाबदेही तय किये ही सेवानिवृत्त हो जाने दिया गया।

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी डॉ. अनिल शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान पशु चिकित्सक संघ, जिला शाखा, कोटा ने दिनांक 9.9.2008 को एक परिवाद डॉ. देवेन्द्र प्रसाद माथुर, सहायक निदेशक, पशुधन विकास कोटा के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा अनुदानित भवन निर्माण अग्रिम प्राप्त कर कोई निर्माण नहीं किया गया फिर भी तत्समय कलेक्ट्रेट में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश शंकर श्रीवास्तव द्वारा दी गई झूँठी मौके की रिपोर्ट के आधार डॉ. माथुर को भवन अग्रिम की दूसरी किश्त भी देदी गई और बाद में डॉ. माथुर बिना कोई निर्माण कराये ही प्लाट को बेच भी दिया।

इस प्रकार डॉ. माथुर ने न केवल अनुदानित भवन निर्माण अग्रिम की राशि का दुरूपयोग बल्कि उस पर आयकर में छूट प्राप्त कर आयकर विभाग को भी धोखा दिया जिसके लिए उसके विरूद्ध व झूँठा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने वाले श्री दिनेश शंकर श्रीवास्तव के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर ने अपने पत्र दिनांक 16.3.2009 व 7.9.2009 के द्वारा अवगत कराया कि डॉ. देवेन्द्र प्रसाद माथुर को प्रभारी अधिकारी, ऋण, कार्यालय जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक 29.10.1994 द्वारा कुल राशि रूपये 1,33,000/- स्वीकृत किया जाकर प्रथम किश्त राशि रूपये 26,000/- के भुगतान की स्वीकृति दी गई थी। द्वितीय किश्त की राशि रूपये 1,07,000/- की स्वीकृति दिनांक 31.10.95 को तत्समय कलेक्ट्रेट, कोटा में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता श्री दिनेश शंकर श्रीवास्तव द्वारा मौका निरीक्षण कर निर्माण कार्य 36,000/- रूपये लागत का होने की रिपोर्ट अंकित करने पर दी गई थी।

डॉ. देवेन्द्र प्रसाद माथुर दिनांक 30.9.2008 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है व डॉ. माथुर को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया जा चुका है। श्री दिनेश शंकर श्रीवास्तव के विरूद्ध फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र दिनांक 20.8.2009 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है व पत्र दिनांक 22.6.2010 के द्वारा प्रस्ताव भी भिजवाये जा चुके हैं।

इसके पश्चात् कार्मिक विभाग एवं मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से लोकसेवकों के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रगति एवं परिणाम से अवगत कराने हेतु करने हेतु पत्राचार किया जाता रहा परन्तु मुख्य अभियन्ता द्वारा बार-बार यही अवगत कराया जाता रहा कि श्री दिनेश शंकर श्रीवास्तव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, कोटा से मांगे जा रहे हैं जबकि प्रस्ताव उन्हें जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक 22.6.2010 के द्वारा पूर्व में भिजवाये जा चुके थे और विडम्बना देखिए कि जब तक उन्हें जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 14.2.2011 द्वारा प्रस्ताव व आरोप पत्र भिजवाये जाते, मुख्य अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 9.3.2011 द्वारा सूचित किया कि श्री दिनेश शंकर श्रीवास्तव दिनांक 31.1.2011 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

इस प्रकार सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व ही अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बावजूद भी बार-बार प्रस्ताव मंगवाये जाने के पत्र लिख कर यह जताने का प्रयास किया जाता रहा कि विभाग कार्यवाही करना चाहता है, परन्तु यह निष्कर्ष निकाले जाने के पर्याप्त आधार हैं कि वास्तव में विभाग श्री दिनेश शंकर श्रीवास्तव को बिना कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये ही सेवानिवृत्त हो जाने देने पर आमादा था और यह सब विभाग स्तर पर बिना मिलीभगत के संभव नहीं था। **पद के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार के मामलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस तरह का रवैया अपनाया जाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता है।**

एफ.31(15)लोआस/2000

यह परिवाद श्री बाबूलाल श्री गोपाल शर्मा, उपाध्यक्ष, नगर युवक कांग्रेस, सादुलपुर जिला चूरू द्वारा सादुलपुर उपखण्ड में पिछले तीन वर्षो से टैंकरों से जलापूर्ति करवाये जाने के कार्य में लाखों रूपये के घोटाले की जांच करने के प्रस्तुत किया गया।

इस परिवाद में इस सचिवालय द्वारा प्रसंज्ञान लिये जाने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र, बीकानेर के पत्र दिनांक 12.12.2002 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवाद की जांच कराने पर टैंकर मालिकों को अधिक भुगतान किया जाना पाये जाने पर उनसे वसूल की कार्यवाही की जा रही है। पत्र दिनांक 10.10.2003 के द्वारा अवगत कराया गया कि कुल वसूली योग्य राशि रूपये 1,65,842/- में से 60,721/- की वसूली संबंधित फर्मो से की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली तहसीलदार, तारानगर द्वरा की जानी शेष है। शासन उप सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र दिनांक 27.1.2010 एवं 19.3.2010 के अनुसार श्री के.सी.वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता को कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 18.1.2010 को नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करदी गई है तथा श्री नरसिंह दत्त, श्री रामदयाल मीणा, श्री जयसिंह पूनिया एवं श्री देवकरण श्योराण को दिनांक 11.2.2010 को नियम 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

इसके पश्चात् कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14.7.2010 के द्वारा अवगत कराया कि लोकसेवक **श्री के.सी.वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता** को दोष सिद्ध पाये जाने पर आदेश दिनांक 5.7.2010 के द्वारा **एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव** से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अन्य लोकसेवकों के संबंध में मुख्य अभियन्ता, प्रशासन एवं तकनीकी सदस्य, राजस्थान जल प्रदाय सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2010 के यह अवगत कराया कि जांच कार्यवाही के पश्चात् आरोप प्रमाणित होने पर लोकसेवक **श्री नृसिंह दत्त, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं श्री रामदयाल मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड बूंगी** को आदेश दिनांक 9.12.2010 के द्वारा **एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने** के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

लोकसेवक श्री जयसिंह पूनिया एवं श्री देवकरण श्योराण, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड ग्रामीण, सादुलपुर को आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर आदेश दिनांक 9.12.2010 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है।

एफ.35(162)लोआस/2002

यह शिकायत श्री श्याम जांगिड़, नगर पार्षद, भगतावड़ी, नागौर ने श्रीमती माया जैन, उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर के विरूद्ध भोजन व्यवस्था में ज्यादा भुगतान, दोहरा मानदेय के भुगतान, बिना विभागीय अनुमति के अप्रशिक्षित प्रशिक्षक लगा कर भुगतान करने, विटामिन 'ए' में स्वयं ही मानदेय उठाने, प्रशिक्षण के बिल एक दिन में पारित कर अनियमित तरीके से भुगतान आदि के आरोप लगाये व जांच कर दोषी को दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

इस शिकायत के संबंध में निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 15.3.2003 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 9.5.2003 के द्वारा प्रेषित किया। तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती माया जैन, तत्कालीन उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर को दिनांक 18.7.2002 से प्रारम्भ 48 दिवसीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, नागौर में 72 कार्यकर्ताओं में से सायंकाल को सिर्फ 20-25 कार्यकर्ता ही ठहरने पर भी बिना शिविर प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, नागौर के प्रमाणीकरण के ही ठेकेदार को रूपये 64,584/- का भुगतान किये जाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शिविर में दिनांक 18.7.2002 से 3.9.2002 की अवधि में दक्ष प्रशिक्षक के में रूपये 169.60 प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 7501/- का मानदेय प्राप्त करने तथा 18.7.2002 से 3.9.2002 के मध्य ही किशोर बालिका कार्यक्रम में नागौर, मेड़ता व डीडवाना में संदर्भ व्यक्ति के रूप में 1800/- का मानदेय प्राप्त करने, विटामिन 'ए' की कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षकों को न लगा कर स्वयं ही रूपये 150/- का मानदेय प्राप्त किये जाने, रावत टैन्ट हाउस से टेन्ट लगाने का रूपये 615/- का फर्जी बिल प्राप्त कर भुगतान उठाने, स्थानान्तरण के समय बिना बिल्टी के ''राठी रोडलाइन'' के लैटर हैड के आधार पर रूपये 1400/- का फर्जी रूप से उठाने, नागौर पदस्थापनकाल में ''जैन आश्रम'' में रहते हुए फर्जी मकान किराया भत्ता उठाने, यात्रा भत्ता बिलों पर गलत हस्ताक्षर करवाने तथा श्रीमती वीणा परिहार, प्रशिक्षक को अधिक राशि का भुगतान करने का दोषी पाया गया। ,

इसी के साथ-साथ **श्री दामोदर लाल पाटोदिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी, नागौर को** भी दोषी पाया गया। यह भी सूचित किया गया उक्त दोनों लोकसेवकगण के विरूद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 4.2.2008 के द्वारा सूचित किया कि दिनांक 29.9.2007 को **श्रीमती माया जैन को 16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जा चुके है**। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 20.7.2009 के द्वारा

आयुक्त (चतुर्थ), विभागीय जांच, राजस्थान, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

लोकसेवक श्रीमती माया जैन व श्री दामोदर लाल पाटोदिया के विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जाचों के परिणाम अपेक्षित है।

एफ.35(52)लोआस/2007

यह शिकायत श्री देवी लाल निवासी 18 बी.एल.डी., दांतौर, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर ने बीकानेर पंचायत समिति के अन्तर्गत दांतौर ग्राम पंचायत में खाला डाट कवरिंग में अकाल राहत राशि की बंदर-बांट का आरोप लगाया और जांच किये जाने की प्रार्थना की।

उक्त शिकायत के संबंध में संभागीय आयुक्त, बीकानेर से समय-समय पर प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार श्री राजेन्द्र चाहर, ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, दन्तौर, पंचायत समिति, बीकानेर को अकाल राहत योजनान्तर्गत खाला डाट कवरिंग के कार्य में स्थानीय लोगों के बजाय बाहर के लोगों को लगाने व एक ही श्रमिक को एक ही स्थान पर एक ही समय में दो कार्यो में लगा कर रूपये 10,187/- का गलत भुगतान करने का दोषी पाये जाने पर दिनांक 26.9.2008 को उसके विरूद्ध **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है**। जांच परिणाम अपेक्षित है।

एफ.35(116)लोआस/2008

यह शिकायत श्री भौमसिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह रावलोत निवासी पिथला तहसील एवं जिला जैसलमेर ने श्री सुखपाल सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, संप्रेक्षण गृह, जैसलमेर के विरूद्ध फर्जी बिल के आधार पर रूपये 29,994/- की राशि का भुगतान उठा कर भ्रष्टाचार करने आदि के संबंध में प्रस्तुत किया। परिवादी ने उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर द्वारा प्रकरण में की गई जांच की एक फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जिसमें जांच में आरोप को सही पाया गया।

इस शिकायत के संबंध में आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 4.5.2010 द्वारा अवगत कराया कि श्री सुखपाल सिंह को उनके सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जैसलमेर के पद पर कार्यरत रहते संविदा कर्मियों का जुलाई, 2007 सितम्बर, 2007 तक रूपये 77,814/- का भुगतान दुबारा सर्वहितकारणी प्लेसमेन्ट सर्विसेज, जैसलमेर के साथ मिलीभगत कर उठा कर राजकीय कोष का गबन करने, स्वामी विवेकानन्द मैनेजमेन्ट कॉलेज, पोकरण के नाम से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बतौर रूपये 8.67 का भुगतान फर्जी रूप से करने, जबकि उक्त कॉलेज अस्तित्व में ही नहीं था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छात्रावास अधीक्षक के पद पर लगाने, छात्रों को उनके खाते में राशि जमा न कर नगद भुगतान करने आदि के आरोपों के संबंध में दिनांक 30.4.2010 को निलम्बित करते हुए **16 सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है**। जांच का परिणाम अपेक्षित है।

अध्याय–5

अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 की कालावधि के कुछ महत्वपूर्ण अनुतोष प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

एफ.3(26)लोआस/2008

श्री गौरी शंकर शर्मा पुत्र श्री होती लाल निवासी महलपुर काछी, थाना रूपबास, जिला भरतपुर ने यह परिवाद दिनांक 13.5.2008 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी आराजी व कुआ को सरपंच व पटवारी ने षडयंत्र करके परिवादी को लाऔलाद फौत बता कर नामान्तरण तस्दीक करके हड़प लिया। पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते प्रकरण में दो वर्ष से अनुसंधान को दबाये बैठी है। परिवादी ने दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की।

प्रकरण में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई जिस पर उनके पत्र दिनांक 23.1.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी की शिकायत पर दिनांक 18.9.2002 को प्रकरण संख्या 373/2002 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादस पुलिस थाना, रूपबास में दर्ज किया गया था व बाद अनुसंधान एफ.आर. नं. 181/2002 दिनांक 31.12.2002 को न्यायालय में पेश की गई जो न्यायालय ए.सी.जे.एम. बयाना द्वारा स्वीकार नहीं की गई व प्रकरण में पुनः अनुसंधान करने तथा वांछित दस्तावेजात जिनमें कूटरचना किये जाने का आरोप है, उन्हें जब्त किये जाने के आदेश दिये गये व पत्रावली वापिस एस.एच.ओ., रूपबास को दिनांक 22.12.2006 को लौटाई गई। तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः अनुसंधान किया गया।

पत्र दिनांक 25.7.2009 के द्वारा अवगत कराया गया कि अनुसंधान में अभियुक्त रामजीलाल, मुरारी लाल, मुकेश शर्मा, तत्कालीन पटवारी महलपुर काछी हाल सेवानिवृत्त निवासी रूपबास, छोटेलाल तत्कालीन हलका पटवारी महलपुर काछी हाल कानूनगो तहसील कार्यालय रूपबास, सियाराम, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, दाहिना गांव के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादस का आरोप बखूबी प्रमाणित पाया गया है तथा तत्कालीन गिरदावर श्री भगवान स्वरूप शर्मा व उत्तमचन्द का प्रकरण में अपराधिक संलिप्तता न होकर लापरवाही का कार्य पाया गया है। प्रकरण की पत्रावली संबंधित न्यायालय में चालान पेश करने हेतु थानाधिकारी, रूपबास को प्रेषित करदी गई है। पत्र दिनांक 25.8.2010 के द्वारा अवगत कराया गया कि चार्जशीट नं. 150 दिनांक 22.7.2010 को दिनांक 20.8.2010 को न्यायालय ए.सी.जे.एम., बयाना, जिला भरतपुर में पेश कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी द्वारा वांछित अनुतोष सम्पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 7.10.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(28)लोआस/2007

यह परिवाद श्री सुरजाराम रैगर, सेवानिवृत्त अध्यापक, रैगरों का मोहल्ला, देशनोक, जिला बीकानेर ने दिनांक 17.7.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर दिनांक 29.2.2004 को सेवानिवृत्त हुआ था, परन्तु आधी-अधूरी पेंशन ही दी जा रही है और पीपीओ में पत्नी का नाम भी नहीं जोड़ा गया है।

इस संबंध में आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने दिनांक 29.1.2008 के पत्र के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को राजकीय आदेश लेने से इंकार करने पर सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित किया गया था। इसके अतिरिक्त परिवादी कुल 1630 दिन तक अनुपस्थित रहा जिसके कारण उसके परिलाभ स्वीकृत नहीं हुए। यह भी सूचित किया गया कि परिवादी को प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृत की गई थी जिस पर नियमानुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं होती है। इसलिये पीपीओ में परिवादी का नाम अंकित नहीं किया गया। अब कार्मिक के विरूद्ध 17 सीसीए की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर को निर्देशित कर दिया गया है। पत्र दिनांक 31.3.2009 के द्वारा सूचित किया गया कि 1631 दिन के अवकाश स्वीकृति का सेवापुस्तिका में इन्द्राज कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति तिथि 29.2.2004 तक के वेतन बिलों व वेतन रजिस्टरों से मिलान कर सेवा प्रमाणीकरण कर दिया गया है। नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1983 में वेतन स्थिरीकरण कराने हेतु प्रपत्र तैयार कर दिये गये हैं। वेतन स्थिरीकरण कार्यालय जिला परिषद स्तर पर होना है। 15 वर्षीय चयनित वेतनमान 19.8.1985 को देय है जो जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर स्वीकृत किया जाना है। पुनरीक्षित वेतनमान 1987 स्थिरीकरण किया जाना है जो जिला परिषद स्तर पर किया जाना है। पुनरीक्षित वेतनमान 1989 स्थिरीकरण जिला परिषद द्वारा किया जाना है। दिनांक 25.1.1992 को 9 व 18 वर्षीय चयनित वेतनमान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर स्वीकृत किया जाना है। 1.9.1996 को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 का स्थिरीकरण जिला परिषद कार्याल्य स्तर पर स्वीकृत किया जाना है। 19.8.1997 को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान में वेतन स्थिरीकरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से स्वीकृत किया जाना है। जिनमें समय लगने की संभावना है।

पत्र दिनांक 8.6.2010 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि पेंशन में पत्नी का नाम अंकित करवा दिया गया है। पेंशन विभाग ने दिनांक 14.5.2010 को जीपीओ एवं पीपीओ जारी कर दिये गये हैं।

एफ.5(36)लोआस/2007

यह परिवाद शहनाज बानू, अध्यापिका, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, सिंहपुर, पंचायत समिति, कपासन ने दिनांक 27.8.2007 को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति एवं बकाया वेतन का भुगतान कराने के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके संबंध में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 19.7.2010 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को कुल 392 दिवस का अध्ययन अवकाश कार्यालय आदेश दिनांक 22.2.2010 के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है तथा अवकाश का बकाया भुगतान भी कर दिया गया है।

एफ.5(41)लोआस/2007

यह परिवाद श्रीमती कमला नानकानी पत्नी हरेश कुमार निवासी अजमेर ने दिनांक 7.9.2007 को इस आशय प्रस्तुत किया कि उसने गुरूनानक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, हाथीभाटा, अजमेर से दिनांक 1.5.2006 को कनिष्ठ लिपिक के पद से त्यागपत्र दे दिया था जिसके बाद उसे फरवरी, 2006 से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उसे भविष्य निधि का भुगतान एवं अंतिम भुगतान प्राप्त हुआ है। कई बार प्रार्थना पत्र देने के पश्चात् भी उसे उक्त भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पूर्व पत्रों में वांछित भुगतान नहीं होने के उचित कारणों से अवगत कराते हुए पत्र दिनांक 24.3.2010 के द्वारा अवगत कि परिवादिया को भविष्य निधि राशि रूपये 1,45,193/- का भुगतान चैक नं. 378809 दिनांक 17.7.2008 द्वारा तथा वर्ष 2007-2008 की ब्याज राशि रूपिये 2,954/- का भुगतान जरिये चैक नं. 378813 दिनांक 21.7.2009 के द्वारा तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि, जयपुर के खाता संख्या आर.जे. 3288 में जमा राशि रूपये 18,502/- व ब्याज राशि रूपये 12,420/- का भुगतान कर दिया गया है। परिवादिया द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं करने पर इस प्रकरण को सम्पूर्ण अनुतोष प्रदान किया हुआ मानते हुए दिनांक 7.7.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(22)लोआस/2008

यह परिवाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीबीपुर तहसील, भादरा से दिनांक 30.6.2008 को वरिष्ठ अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त होने जा रहे श्री रामचन्द्र शर्मा ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, भादरा के द्वारा दिसम्बर, 2007 से उसका मूल वेतन 9000/- वेतनश्रृंखला 5500-9000 में निर्धारित किया गया है जबकि वह नवम्बर, 2007 तक वेतनश्रृंखला 6500-10500 में मूल वेतन रूपये 9500/- प्राप्त कर रहा था।

इस संबंध में कार्यवाही करने पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र दिनांक 27.6.2009 व 11.3.2011 के द्वारा अवगत कराया गया कि याचिका सं. 273/2008 के अनुसार परिवादी को वेतन श्रृंखला 6500-10500 में वेतन यथावत रखते हुए संशोधित पीपीओ व जीपीओ जारी कर दिये गये हैं।

एफ.5(85)लोआस/2008

यह परिवाद श्री गंगा लाल मीणा ने इस दिनांक 4.3.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ मुराड़ा, सवाईमाधोपुर से प्रधानाध्यापक के पद से दिनांक 30.4.2001 को सेवानिवृत्त हुआ, परन्तु 9 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसे पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। परिवादी का यह भी कथन है कि उसने उक्त विद्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ लिपिक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को फर्जी वेतन बिलों का

भुगतान उठाने पर रंगे हाथों पकड़वाकर जेल भिजवा था और उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी, परन्तु उसे पुरस्कार देने के बजाय दण्ड दिया जा रहा है।

इस शिकायत के संबंध में अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 27.8.2009 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है, जिसके निस्तारण के पश्चात् सूचित कर दिया जावेगा। पत्र दिनांक 11.8.2010 के द्वारा यह सूचित किया कि श्री गंगा लाल मीणा, तत्कालीन प्रधानाध्यापक को पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए 17 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 14.6.2010 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 9.2.2011 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी को दिनांक 11.10.2010 को पूर्व में जारी प्रोवीजनल पीपीओ सं. 759336 को फाइनल पीपीओ के रूप में संशोधित कर दिया गया है तथा दिनांक 1.9.2006 से देय पेंशन रूपये 10,735/- समेकित संशोधित कर नियमानुसार भुगतान करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

एफ.5(58)लोआस/2009

यह मार्मिक शिकायत श्रीमती मंजू कंवर पत्नी स्व. श्री करण सिंह शेखावत, निवासी मुक्ता प्रसाद नगर, सेक्टर नं.2 के सामने, चौधरी कॉम्प्लेक्स, बीकानेर ने दिनांक 13.11.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उस पति अध्यापक के पद पर दिनांक 19.10.2003 से दिनांक 24.11.2005 तक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, रतनगढ़, पंचायत समिति, रतनगढ़, जिला चूरू के अधीन कार्यरत थे। कार्यरत रहते दिनांक 11.4.2009 का उनका निधन हो गया। अब उक्त अवधि का सेवा सत्यापन सेवापुस्तिका में करवाने के लिए उसके द्वारा कई बार प्रार्थना की गई, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण उन्हें पारिवारिक पेंशन भी नहीं मिल रही है।

इस शिकायत के संबंध में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से पत्रव्यवहार करने पर पत्र दिनांक 23.8.2010 के द्वारा अवगत कराया गया कि स्व. श्री करण सिंह, अध्यापक की दिनांक 19.10.2003 से 24.11.2005 तक की सेवा का प्रमाणीकरण एवं 86 दिनों की अवकाश स्वीकृति ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, रतनगढ़, चूरू से प्राप्त करली गई है। दिनांक 1.7.2006 से 15.2.2007 तक असाधारण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है। 20 वर्षीय चयनित वेतनमान भी स्वीकृत कर दिया गया है एवं छठे वेतनमान का वेतन स्थिरीकरण भी करके बकाया भुगतानों का विपत्र तैयार कर कोष कार्यालय में भिजवाया जा चुका है व पेंशन कुलक तैयार करवाकर संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर को भिजवाये जा चुके हैं।

इसी अनुक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 2.11.2010 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को स्व. श्री कर्णसिंह के बकाया एरियर रूपये 2,84,590/- का भुगतान जरिये चैक दिनांक 29.9.2010 तथा पारिवारिक पेंशन दिनांक 29.9.2010 को स्वीकृत करदी गई है।

एफ.5(83)लोआस/2009

यह परिवाद श्रीमती ममता टांक निवासी सोजत सिटी ने दिनांक 23.3.2010 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजत सिटी में विद्यार्थी मित्र के रूप में दी गई सेवाओं के बदले में मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो शीघ्र दिलवाया जावे।

इस परिवाद को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को पत्र दिनांक 16.4.2010 के प्रेषित कर दिया गया जिसकी पालना में अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 3.8.2010 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया गया है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाने पर भी विभागों द्वारा उचित कार्यवाही लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को प्रकट करता है।

एफ.5(43)लोआस/2010

श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी सोनारों का मोहल्ला, बीकानेर ने यह परिवाद दिनांक 7.9.2010 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 10.7.1974 को उसकी नियुक्ति एन.डी.एस.आई. के पद पर हुई थी और वह दिनांक 31.12.2000 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। राज्य सेवा में नियुक्ति के समय उसकी शैक्षणिक योग्यता सैकण्डरी थी। उसके पश्चात् उसने वर्ष 1976 में बी.ए. उत्तीर्ण कर लिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रासंगिक आदेश दिनांक 26.3.2007 में यह वर्णित है कि ऐसे एन.डी.एस.आई., जो दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं अथवा बी.ए. कर लेते हैं तो उन्हें शारीरिक शिक्षक-ा ग्रेड दे दिया जावे। यह आदेश एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1050/2004 योगेन्द्र कुमार गौड़ बनाम अन्य के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 21.7.2006 के अनुसरण में जारी किया गया था। इस याचिका में परिवादी भी याची थी। अन्य याचियों को यह लाभ दिया जा चुका है, परन्तु उसे अनेक प्रार्थना पत्र भेजे जाने के बावजूद भी यह लाभ नहीं दिया जा रहा है जो शीघ्र ही दिलवाया जावे।

इस शिकायत के संबंध में आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 20.4.2011 द्वारा अवगत कराया कि **परिवादी श्री नन्द किशोर शर्मा को दिनांक 22.12.1975 से वेतनमान 160-360 में पदोन्नत कर** राजस्थान सेवा नियम के तहत् 26ए का लाभ दिया जा चुका है तथा प्रधानाचार्य शहीद मेजर थामस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर द्वारा दिनांक 4.4.2011 द्वारा आगे की वेतनवृद्धि भी स्वीकृत की जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से **परिवादी को 36 वर्ष से वांछित वेतनमान का लाभ** इस सचिवालय में शिकायत करने के लगभग **6 माह के भीतर दिलाया गया** जो इस संस्था के लिए गौरव की बात है।

एफ.7(2)लोआस/2009

यह परिवाद श्री रामदीन निवासी ग्राम पंजुपुर, तहसील बाड़ी, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर ने दिनांक 8.4.2009 को ग्राम पंचायत, सौंहा के राशन डीलर श्री सुनील कुमार के विरूद्ध राशन की कालाबाजारी किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया और उसके विरूद्ध कार्यवाही की प्रार्थना की।

जिला कलेक्टर, धौलपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.7.2010 के अनुसार जांच दोषी पाये जाने पर राशन डीलर के विरूद्ध दिनांक 9.3.2010 को पुलिस थाना, कंचनपुर में ई.सी. एक्ट की धारा 3/7 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी गई है जिसमें अनुसंधान जारी है तथा आदेश दिनांक 6.4.2010 से राशन सामग्री आपूर्ति बंद की जा चुकी है। वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 14.9.2010 को यह परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

आ.का.प्र. एफ.8(2)लोआस/2010

यह परिवाद श्री संदीप ने दिनांक 31.3.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छानीबड़ी में सीएम-बीपीएल में कार्मिकों की भर्ती में धांधली कर चयन कमेटी के सदस्य एवं चिकित्साधिकारी प्रभारी द्वारा अपनी पत्नी को ही चयनित करने के के संबंध में प्रस्तुत किया गया था।

इस परिवाद को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 23.4.2010 को निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 7.2.11 द्वारा अवगत कराया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती सरोज पत्नी डा. राजेन्द्र कुमावत की सेवाएं स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण समाप्त करदी गई हैं।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रकरणों में भी विभागों द्वारा कार्यवाही कर लिया जाना इस सचिवालय की महत्ता को साबित करता है।

एफ.10(2)लोआस/2009

यह परिवाद श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व. श्री महेश चन्द निवासी बी-ब्लॉक, पण्डित वाला कुंआ, अलवर ने दिनांक 6.4.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति विद्युत मण्डल के 220 के.वी. जीएसएस, अलवर से दिनांक 13.9.2000 को सेवानिवृत्त हुए थे। दिनांक 4.5.2008 को उनकी मृत्यु हो गई। कृपया उन्हें ई.पी.एफ. की राशि व पेंशन दिलवाई जावे।

इस शिकायत के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 19.1.2011 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया के पक्ष में पीपीओ संख्या 35148 जारी कर दिनांक 7.4.2004 से 4.5.2008 तक सदस्य पेंशन राशि रूपये 820 प्रति माह व एरियर

राशि रूपये 40,125/- तथा विधवा पेंशन रूपये 450 प्रतिमाह 5.5.2008 से 31.10.2010 तक एरियर राशि रूपये 13,440/- का संकलित चैक संख्या 327716 दिनांक 30.12.2010 कुल राशि रूपये 10,91,591, जिसमें पेंशनर की एरियर राशि भी शामिल है, दिनांक 31.12.2010 को एस.बी.बी.जे. मुख्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर को भिजवा दी गई है। इस प्रकार पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 22.2.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(29)लोआस/2010

यह परिवाद श्री भैरूलाल पुत्र श्री श्योकरण मीणा निवासी ग्राम कोलाहेड़ा, तहसील नैनवा, जिला बूंदी ने इस सचिवालय में दिनांक 11.11.2010 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा दिनांक 22.6.2009 को कुंए पर 16 एच.पी. के कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि रूपये 17,800/- करा दी गई थी, किन्तु उसे कनेक्शन अभी तक भी नहीं दिया जा रहा है जो शीघ्र दिलवाया जावे। इस संबंध में मामला जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ उठाये जाने पर उनके पत्र दिनांक 24.12.2010 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 16.11.2010 को ट्रांसफार्मर लगा कर कृषि कनेक्शन चालू कर दिया गया है। परिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया हुआ मानते हुए यह परिवाद दिनांक 19.1.2011 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.11(97)लोआस/2009

श्री भंवरलाल पुत्र श्री मनीराम स्वामी निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर ने यह परिवाद निांक 30.9.2009 को इस आशय का पेश किया कि वह गरीब एवं पिछड़े वर्ग का विकलांग काश्तकार है। खसरा नं. 292/4 का 25 बीघा पर पिछले 26 साल से उसका कब्जा है। इसका आवंटन भी दिनांक 2.6.2007 को किया गया था, परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका अमल दरामद नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से रिपोट मांगे जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 10.5.2010 के द्वारा अवगत कराया कि थर्मल यूनिट स्थापना बाबत परिवादी की भूमि अवाप्त की गई थी जिसके बदले उसे भूमि आवंटित की गई थी लेकिन खसरा नं. 292/4 में उपलब्ध रकबे से अधिक भूमि आवंटित होने से उसका परिवादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया। उनके कार्यालय के आदेश दिनांक 3.3.2010 द्वारा जिन खातेदारों का मौके पर कब्जा नहीं हो, उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में ना.सं.1115 का रिकार्ड में इन्द्राज किया गया एवं उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 6.5.2010 द्वारा परिवादी को 25 बीघा भूमि आवंटन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

एफ.11(160)लोआस/2009

श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री बरकत खान निवासी मोहल्ला हनफिया, वार्ड नं. 3, निकट रेलवे फाटक नं.3, बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर आदि ने दिनांक 17.2.2010 का यह परिवाद बालोतरा में छतरियों के मोर्चा से तीसरी रेलवे फाटक जाने वाले रास्ते पर खसरा नं. 627 की रास्ते की जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में प्रस्तुत किया

जिसके संबंध में कार्यवाही किये जाने पर जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने अपने पत्र दिनांक 7.7.2010 के द्वारा सूचित किया कि दिनांक 3.3.2010 को नगरपालिका द्वारा मौके से दीवार को तोड़ा जाकर अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

एफ.11(62)लोआस/2010

श्री झूथाराम पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी ग्राम भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुन्झूनू ने यह परिवाद दिनांक 24.6.2010 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने अपनी जमीन की पैमाइश किये जाने हेतु तहसीलदार, बुहाना को कई बार प्रार्थना की, किन्तु उसकी प्रार्थना पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनू ने अपने पत्र दिनांक 17.8.2010 के द्वारा अवगत कराया कि परिवादी का एक दावा उनवानी झूथाराम बनाम बुद्धराम आदि अन्तर्गत धारा 53, आ.टी. एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी/बुहाना में चला था जिसमें दिनांक 20.5.2010 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया जाकर तहसीलदार, बुहाना को रूपये 400/- के खर्चे पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया था तथा परिवादी के दावे में तहसीलदार, बुहाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री जारी होकर निर्णय दिनांक 19.7.2010 को पारित किया जा चुका है। अब प्रार्थी की कोई शिकायत शेष नहीं है।

एफ.11(152)लोआस/2010

यह परिवाद श्री नीम्बाराम पुत्र श्री दानाजी मीणा निवासी ग्राम कोदरला जिला सिरोही ने ग्राम कोदरला में गोचर भूमि व स्कूल के पास की भूमि से अतिक्रमण हटवाने के संबंध में दिनांक 4.11.2010 को प्रस्तुत किया। इस शिकायत के संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.11.2010 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने पर अपने पत्र दिनांक 9.2.2011 द्वारा अवगत कराया कि जांच कराये जाने पर ग्राम कोदरला में गोचर व स्कूल के पास की भूमि पर अतिक्रमण किया पाये जाने पर दिनांक 21.1.2011 को **गोचर भूमि पर करीब बनाये गये 25 बाड़ों व स्कूल के पास की बिलानाम भूमि पर बनाये गये करीब 15 बाड़ों को ध्वस्त कर अतिक्रमण गोचर भूमि व उक्त बिलानाम भूमि को मुक्त करा लिया गया है।**

एफ.12(58)लोआस/2009

यह परिवाद ग्राम पंचायत, अडूका के मेघवाल बस्ती में ग्राम सचिव की शह पर रूकमानन्द मेघवाल द्वारा आम रास्ते पर घर के सामने खुर्रा बना कर अतिक्रमण करने के संबंध में दिनांक 11.9.2009 को प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, झुन्झूनू ने अवगत कराया कि दिनांक 11.10.2009 को ग्राम पंचायत द्वारा खुर्रे को हटा कर अतिक्रमण हटा दिया गया है।

एफ.15(4)लोआस/2007

यह परिवाद श्री दुर्जन लाल मीणा निवासी ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ने दिनांक 19.5.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नं. 497 झालाटाला वन विभाग की पहाड़ी व पहाड़ी की तलहटी है जिस पर धर्मसिंह पुत्र राम सिंह, मोती लाल पुत्र बुद्धा मीणा, रामभारोसी पुत्र बुद्धामीणा निवासी झालाटाला ने सैंकड़ों फुट लम्बाई में और पचास-साठ फुट चौड़ाई में विगत 3 साल से मकान व झोंपड़े बना कर अतिक्रमण कर रखा है और वहीं से अवैध रूप से खनन करके पत्थर बेच रहे हैं। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, अलवर को भी दिनांक 3.4.2007 को की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस मामले को वन विभाग के साथ उठाया गया जिन्होंने पत्र दिनांक 25.10.2010 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की जांच उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, अलवर से कराये जाने पर आराजी खसरा नं. 497 पर श्री रामभरोसी मीणा, श्री मोती लाल मीणा एवं श्री धर्मसिंह मीणा द्वारा अतिक्रमण किया होना पाया गया जिस पर परिवाद 1/2010 न्यायालय सहायक वन संरक्षक, अलवर में भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दायर किया गया। न्यायालय ने अतिक्रमियों पर 51-51 रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए बेदखल करने का निर्णय दिया जिसकी अनुपालना में वन प्रसार अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ द्वारा शास्ति की वसूली की जाकर अतिक्रमियों को हटाने की कार्यवाही की गईतथा दिनांक 12.10.2010 को सरपंच, झालाटाला के साथ अतिक्रमियें को समझाईश कर बेदखल कर दिया गया तथा अतिक्रमित क्षेत्र को कब्जे सरकार लिया गया। इस प्रकार पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस परिवाद को दिनांक 9.12.2010 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(35)लोआस/2005

श्री साहिबराम निवासी ग्राम बासनी तम्बोलिया, जोधपुर ने यह परिवाद उक्त ग्राम के खसरा नं. 7 में स्कूल हेतु आरक्षित 17 बीघा भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिये जाने व नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके उक्त लोगों को 16 ग्राम योजना के तहत् पट्टे जारी करने के आरोप लगाया।

इस शिकायत के संबंध में सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 25.6.2008 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा नं. 7 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में नगर विकास न्यास, जोधपुर के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज जिसमें 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन एवं चारदीवारी बनी हुई है। शेष खाली भूमि पर कुछ अतिक्रमियों द्वारा 16 ग्राम योजना के तहत् नगर विकास न्यास में पत्रावलियां प्रस्तुत करने पर कुछ व्यक्तियों को उनके कब्जे के आधार पर तत्कालीन न्यास में अधिकारियों द्वारा 16 ग्राम नियमन योजना के तहत् नियमन किये जाकर पट्टे दिये गये थे। पट्टों की वैधानिकता की जांच तहसीलदार द्वारा की जा रही है। पत्र दिनांक 9.4.2009 के अनुसार जांच में श्री देवी सिंह व श्री भरत सिंह के नाम से जारी पट्टे गलत पाये गये, इसी प्रकार श्री दिलीप सिंह व श्री लूण सिंह के नाम जारी पट्टे भी गलत पाये गये। विद्यालय को नि:शुल्क आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जा

चुका है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पत्र दिनांक 12.5.2010 के अनुसार पट्टों की एवज में जारी विनिमय संलेख को खारिज कर दिया गया है।

एफ.16(51)लोआस/2007

यह परिवाद श्री राम किशन पुत्र श्री परसराम वार्ड नं. 9, श्री विजय नगर, जिला श्रीगंगानगर ने उसकी फर्म मैसर्स कबीर एन्टरप्राइजेज द्वारा नगरपालिका, श्री विजयनगर के लिए कराये गये निर्माण कार्य की बकाया राशि रूपये 3,00,000/- का भुगतान कराये जाने एवं 2005-2006 व 2006-2007 में किये गये भुगतान के पेटे काटी गई बिक्री कर व आय कर की राशि का प्रमाण पत्र दिलाने की प्रार्थना की।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के उपरान्त परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2010 के द्वारा सूचित किया कि उसे उपर्युक्त वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है जिस पर इस प्रकरण को दिनांक 19.10.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(69)लोआस/2009

यह परिवाद श्री आर.बी.सिसोदिया निवासी 11/1, श्याम कुंज सर्वधर्म मंदिर के पास, वैशाली नगर, अजमेर ने दिनांक 20.8.2009 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर द्वारा वैशाली नगर स्कीम में मकान नं. 11/1 दिनांक 25.1.1994 को आवंटित किया गया था जिसके पेटे समस्त राशि उसके द्वारा जमा करवादी गई, किन्तु उसके पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही है और चक्कर लगवाये जा रहे हैं।

सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पत्र दिनांक 18.6.2010 के अनुसार आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर का कार्यालय वर्ष 2000 में नये भवन में स्थानान्तरित होते समय उक्त मकान की पत्रावली कहीं गुम हो गई थी जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस थाना, क्रिश्चियन गंज में दर्ज करवाई जा चुकी है तथा डुप्लीकेट फाइल खोल कर परिवादी के पक्ष में दिनांक 27.3.2010 को रजिस्ट्री करवादी गई है। तत्पश्चात् फाइल गुम होने के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की बाबत पत्राचार किया गया। परिवादी द्वारा आगे अब कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत निवेदन किये जाने पर यह प्रकरण इस सचिवालय में दिनांक 14. 10.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(81)लोआस/2009

यह शिकायत श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री गोरधन निवासी जोधपुर द्वारा सिरोही में रोडवेज वर्कशॉप बायपास सड़क निर्माण के वर्ष 1986 के कार्यादेश की पालना में उसके द्वारा किये गये निर्माण का भुगतान दिलवाने के संबंध में दिनांक 24.9.2009 को प्रस्तुत की गई थी। परिवादी को शिकायत के समर्थन में शपथ पत्र भिजवाने हेतु लिखा गया। तय सीमा में शपथ पत्र प्राप्त न होने पर और इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि शिकायत में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध पद के दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया था, परन्तु परिवादी को

विगत लगभग 25 वर्ष से उसका जायज भुगतान नहीं किया जा कर उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसके साथ और अधिक ज्यादती न हो, इसलिये इस प्रकरण में तय समय में शपथ पत्र प्राप्त न होने पर भी स्वप्रस्तावानुसार प्रसंज्ञान लिया जाकर निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 20.1.2010 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग ने अपने पत्र दिनांक 18.6.2010 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी श्री ओम प्रकाश निवासी जोधपुर को रोडवेज वर्कशॉप बायपास सड़क निर्माण का कार्यादेश दिया गया था तथा तीन रनिंग बिलों का भुगतान भी किया जा चुका है। अंतिम बिल की तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अंतिम बिल रूपये 24,684/- का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किये जाने पर उपरोक्त कार्य की शिकायत होने पर नगरपालिका द्वारा भुगतान की कार्यवाही नहीं की गई। जी.एफ. एण्ड ए.आर. पार्ट-I के नियम 91 व 92 के अनुसार दावे की जांच कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सिरोही को निर्देशित किया जा चुका है। तत्पश्चात् निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 19.10.2010 द्वारा सूचित किया कि परिवादी को बकाया भुगतान की राशि रूपये 38,320/- जरिये चैक संख्या 702194 दिनांक 22.9.2010 द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से **परिवादी को लगभग 25 वर्ष से लंबित बिल का भुगतान** इस सचिवालय में **शिकायत प्रस्तुत होने के लगभग एक वर्ष की अवधि के भीतर** करा दिया गया।

एफ.16(31)लोआस/2010

यह शिकायत श्री अब्दुल गफ्फ़ार पुत्र श्री अब्दुल सत्ता निवासी सोजती गेट के अन्दर, मोती चौक रोड, कसाइयों का बास, जोधपुर ने दिनांक 17.5.2010 को इस आशय की प्रस्तुत की कि विपक्षी श्री अब्दुल रज्जाक ने षड़यंत्र करके नगर निगम, जोधपुर में एक पत्रावली आई.बी.टी.(बी) 48/99-2000 भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वर्ष 1999-2000 में प्रस्तुत की जिस पर परिवादी के उज्र प्रस्तुत करने पर भी नगर निगम, जोधपुर ने गुपचुप तरीके से मिलीभगत करके कार्यवाही प्रारंभ करदी जिसकी जांच की जावे।

इस शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 12.7.2010 के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसकी पालना में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 29.10.2010 के द्वारा यह अवगत कराया कि प्रश्नगत पत्रावली में परिवादी की उज्रदारी प्रस्तुत होने पर परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि आवेदित स्थल उज्रदार अब्दुल गफ्फ़ार का चौक एवं रास्ते का भाग है। अतः इस आधार पर उक्त भवन निर्माण स्वीकृति की पत्रावली को खारिज कर दोनों पक्षकारान को पत्र दिनांक 20.10.2010 द्वारा सूचित कर दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया, परन्तु फिर भी उसे उक्त रिपोर्ट के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया। परिवादी द्वारा कोई

जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर यह परिवाद अनुतोष प्रदान किया हुआ मानते हुए दिनांक 5.1.2011 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.19(2)लोआस/2007

यह शिकायत श्री टी.एम.बुडानिया सेवानिवृत्त वरिष्ठ टाइम कीपर निवासी बी-8, सैक्टर प्रथम, सैनिक बस्ती, चूरू ने दिनांक 15.5.2007 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह राजस्थान स्टेट टेनरीज का पूर्व कर्मचारी है तथा दिनांक 31.12.2006 को तिलम संघ, नेहरू सहकार भवन, जयपुर से सेवानिवृत्त हुआ था, परन्तु उसे अभी तक पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है, जो शीघ्र कराया जावे।

प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लिमिटेड (तिलम संघ), सहकार भवन, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.5.2010 एवं 13.7.2010 के द्वारा सूचित किया कि परिवादी को तिलम संघ से ग्रेच्यूटी राशि रूपये 1,14,456/- तथा राजस्थान स्टेट टेनरीज से रूपये 16,624/- का भुगतान किया जा चुका है। तत्पश्चात् परिवादी से एतराजात आमंत्रित कर इस परिवाद को दिनांक 14.10.2010 को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के पश्चात् नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.21(3)लोआस/2010

यह शिकायत श्रीमती माया शर्मा पत्नी स्व. श्री अमित कुमार शर्मा निवासी 13, गिर्राज दर्शन कॉलोनी, दाउदपुर, अलवर ने दिनांक 24.6.2010 को इस आशय का प्रस्तुत की कि उसके पति का पशुपालन विभाग में उप निदेशक, दौसा के पद पर कार्यरत रहते दिनांक 20.12.2009 को मृत्यु हो गई थी जिस पर उसने दिनांक 11.1.2010 को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था लेकिन न तो उसे नियुक्ति ही प्रदान की गई है और न ही पारिवारिक पेंशन ही दी जा रही है जो शीघ्र दिलवाई जावे।

इस संबंध में निदेशक, पशुपालन राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 7.12.2010 के अनुसार परिवादिया को दिनांक 27.7.2010 को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा कर पीपीओ एवं जीपीओ जारी कर दिये गये हैं तथा कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 6.12.2010 के अनुसार परिवादिया के मामले में शिथिलता प्रदान करते हुए उसे अनुकम्पात्मक आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को लिखा जा चुका है। इस प्रकार वांछित पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 10.2.2011 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(46)लोआस/2009

यह शिकायत श्री बाबू लाल जोशी पुत्र श्री मुन्नी लाल, इन्दिरा नगर, होम गार्ड के पीछे, बाड़मेर, राजस्थान ने दिनांक 14.7.2009 को इस आशय की प्रस्तुत की कि वह राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से लगभग 34 वर्ष की सेवा देने के पश्चात् यांत्रिक पर्यवेक्षक के पद से

सेवानिवृत्त हुए थे, परन्तु उन्हें बकाया वेतन, ग्रेच्यूटी, पेंशन, चयनित वेतनमान आदि का लाभ नहीं दिया जा रहा है जो शीघ्र दिलवाया जावे।

इस संबंध में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.9.2010 के अनुसार परिवादी को बकाया वेतन, ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 23.4.2010 को पेंशन कुलक भिजवाये दिये गये हैं। परिवादी को उक्तानुसार अनुतोष प्राप्त हो जाने के संबंध में यदि कोई एतराज हो तो प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, परन्तु उसने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जिस पर यह परिवाद दिनांक 1.10.2010 नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(61)लोआस/2010

यह परिवाद श्री सत्यनारायण बोहरा, अध्यक्ष, विकास समिति, राजकीय पशु चिकित्सालय, किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर ने दिनांक 23.6.2010 को पशु चिकित्सालय, रेनवाल को नगरपालिका मण्डल, किशनगढ़ रेनवाल दिनांक दिनांक 7.3.2001 एवं दिनांक 6.4.2004 की बैठक में प्रस्ताव सं. 3(अ) के द्वारा खसरा नं. 712/1/1 में 2366.33 वर्गगज भूमि के आवंटन का पट्टा जारी कराने के संबंध में प्रस्तुत किया गया जिस पर मामला निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के साथ उठाये जाने पर उन्होंने अपने पत्र दिनांक 6.1.2011 के द्वारा सूचित किया कि उक्त भूमि का पट्टा दिनांक 19.7.2010 को जारी कर दिया गया है। इस प्रकार वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 21.2.2011 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(72)लोआस/2010 लिंक फाइल एफ.35(87)लोआस/2010

यह प्रकरण इस तथ्य को उजागर करता है कि आज भी हमारा प्रशासन पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में कितना असंवेदनशील है। श्री अमृत सिंघी, संरक्षक, राजस्थान पेंशनर्स समाज, सिरोही द्वारा दिनांक 13.7.2010 को प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि स्व. श्री ओटसिंह देवड़ा की वन रक्षक के पद पर कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, सिरोही के पद पर कार्यरत रहते **दिनांक 22.6.1960 को मृत्यु हो गई थी।** उस पर राजस्थान सेवा नियम, 1950 लागू थे। दिनांक 17.12.1982 को **सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि दिनांक 1.1.1964 के पूर्व के ऐसे मृतक राज्य कर्मचारियों की विधवाओं को भी पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जावे**, जो कि पेंशन योग्य पद पर थे तथा उन पर पेंशन नियम लागू थे। श्रीमती गोदावरी बाई मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की राशि की हकदार थी, उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु दावा भी उत्तराधिकार पत्र के साथ पेश कर दिया था जिसे संयुक्त निदेशक, पेंशन, जोधपुर को भिजवा दिया गया परन्तु उन्होंने अनुचित आक्षेप लगा कर केस वापिस लौटा दिया। कई वर्षो से लगातार प्रार्थना करने के बावजूद भी **70 वर्षीय विधवा का पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है जो शीघ्र करवाया जावे।**

इस प्रकरण को बहुत ही गंभीरता के साथ पेंशन विभाग एवं वन विभाग के साथ उठाया गया। संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंन्शनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर के पत्र दिनांक 3.8.2010 की प्रति के अवलोकन से विदित हुआ कि उनके द्वारा दिनांक 4.1.2006 को मण्डल वन अधिकारी, सिरोही से हुई बिन्दुवार वार्ता के अनुसार श्रीमती गोदावरी बाई को डी.सी.आर.जी. के भुगतान/जी.पी.ओ. संख्या हेतु पत्रादि/दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 13.1.2006, 21.4.2007, 10.6.2008, 14.5.2010 एवं 12.7.2010 लिखे, परन्तु उनकी पालना नहीं की गई। इस पर मण्डल वन अधिकारी, सिरोही को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 25.10.2010 द्वारा संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर के उक्त पत्र दिनांक 3.8.2010 की पालना शीघ्र करने के निर्देश दिये गये।

मण्डल वन अधिकारी, सिरोही ने अपने पत्र दिनांक 15.11.2010 द्वारा सूचित किया कि श्रीमती गोदावरी बाई पत्नी स्व. श्री ओटसिंह देवड़ा भूतपूर्व वन रक्षक की प्री-64 पारिवारिक पेंशन का प्रकरण भरसक प्रयास कर निस्तारित करवा लिया गया है। उन्होंने दिनांक 27.10.2010 को जारी किये गये पी.पी.ओ. की फोटो प्रति भी भिजवाई। इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से **1.4.1988 से लंबित पारिवारिक पेंशन** इस सचिवालय में परिवाद **पेश करने से मात्र तीन माह की रिकार्ड अवधि में** स्वीकृत करवाई गई।

एफ.44(4)लोआस/2008

यह परिवाद श्रीमती जय देवी शाह पत्नी स्व. श्री नन्द किशोर शाह निवासी शास्त्री मार्ग, राती तलाई, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 22.8.2008 को इस आशय को पेंशन संशोधित कराने व तदनुसार संशोधित एल.पी.सी. जारी करवाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया। इस मामले को पहिल वाणिज्यिक कर विभाग के साथ तथा बाद में पेंशन विभाग के साथ उठाया गया जिस पर पेंशन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 3.11.2009 के द्वारा सूचित किया परिवादिया की पारिवारिक पेंशन को एल.पी.सी. के आधार पर संशोधित कर दिया गया। यह प्रकरण बाद में परिवादिया द्वारा पेंशन को देरी से संशोधित किये जाने पर उस ब्याज दिलाये जाने के लिए लंबित रहा जिसे दिनांक 21.7.2010 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(3)लोआस/2010

यह परिवाद श्रीमती सुल्तान जहां पत्नी स्व. श्री अजीज अहमद, सेवानिवृत्त रीडर, गंगापुर सिटी ने दिनांक 22.4.2010 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह 82 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है, परन्तु उसे 80 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त करने के पश्चात् दी जाने वाले अतिरिक्त पेंशन बार-बार अनुरोध के बावजूद भी नहीं दी जा रही है जो शीघ्र दिलवाई जावे। इस संबंध में निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर को दिनांक 17.5.2010 को लिखा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 5/12.7.2010 के द्वारा सूचित किया कि परिवादिया को 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करदी गई है।

अध्याय-6

लोकायुक्त संस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता

6.1 लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जावे-

देश में विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना राज्य विधियों के अन्तर्गत की गई है व इनके प्रावधानों में एकरूपता नहीं है। संस्था का संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण इस संस्था के साथ मन-माना व्यवहार किया जाता रहा है। प्राय: यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में तो लोकायुक्तों व उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति समय पर नहीं की जाती है और कुछ राज्यों में तो राजनीतिक या अन्य कारणों से इस संस्था को ही समाप्त कर दिया गया और फिर कुछ समय बाद पुन: बना दिया गया।

अत: सभी राज्यों में लोकायुक्त विधियों के प्रावधान एकसमान हों, इस हेतु संविधान में प्रावधान किया जाना एवं केन्द्रीय विधि बनाया जाना आवश्यक है। लोकायुक्त संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की मांग इसकी स्थापना के समय से विभिन्न लोकायुक्त सम्मेलनों द्वारा, अनेक प्रख्यात विशिष्टजनों एवं लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा की जाती रही है। इस संबंध में पूर्व के प्रतिवेदनों में भी लिखा जाता रहा है।

आठवें लोकायुक्त सम्मेलन, देहरादून (27 से 29 सितम्बर, 2004) में अपने उद्घाटन भाषण में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने तथा माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने समापन भाषण में लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक स्तर प्रदान किये जाने व संस्था को अधिक प्रभावी बनाये जाने की वकालत की थी। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसरण में लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त एसोसियेशन द्वारा गठित लोकायुक्तों की उप समिति ने एक केन्द्रीय लोकायुक्त विधि के लिए **'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त बिल 2005'** तैयार किया जिसे दिनांक 10.2.2005 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन केबीनेट द्वारा संस्थापित मंत्रियों के समूह, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री एवं विज्ञान एवं टेक्नोलोजी मंत्री सम्मिलित थे, को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **उक्त बिल को 23वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है।** इस बिल को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने अपनी चौथी रिपोर्ट के चैप्टर 4 के पैरा 4.4.5 में उद्धृत किया है। **आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रावधान किये जाने** तथा राज्यों के **लोकायुक्त संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान** करने की सिफारिश की है परन्तु अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है।

6.2 लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की प्रस्तावना में इसे बनाये जाने का एक प्रमुख उद्देश्य कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरूद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करना है, परन्तु **'लोकसेवक'** की परिभाषा में पंच/सरपंचों सहित कई ऐसे लोकसेवक व लोककृत्यकारी सम्मिलित नहीं हैं जो कि सरकार/स्थानीय निकायों/निगमों/समितियों/ बोर्डो/विश्वविद्यालयों की सेवा में हैं या उनके वेतनभोगी हैं। यहां तक कि **'अभिकथन'** की परिभाषा में कुप्रशासन, ग्रीवान्सेज, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, भाई-भतीजावाद व आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक जमा की गई सम्पत्ति को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। लोकायुक्त के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की पालना को बाध्यकारी भी नहीं बनाया गया है और न ही वार्षिक प्रतिवेदनों व विशेष प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने की समय सीमा तय की गई है जिससे उनमें की गई सिफारिशों व सुझावों की सामयिकता व प्रासंगिता प्रायः समाप्त हो जाती है।

मेरे द्वारा व पूर्ववर्ती सभी लोकायुक्तों द्वारा इस अधिनियम को प्रभावी बनाये जाने पर जोर दिया जाता रहा है और इस हेतु वार्षिक प्रतिवेदनों व पत्रों के माध्यम से विभिन्न संशोधन समय-समय पर प्रस्तावित किये गये हैं, परन्तु अभी तक एक भी संशोधन किया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मेरा यह अभिमत है कि लोकायुक्त संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये बिना व वर्तमान लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी बनाये बनाये बिना, इसे बनाये जाने के प्रयोजन को पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। लोकायुक्त अधिनियम को प्रभावी बनाये जाने हेतु अब तक दिये गये प्रमुख सुझावों को समेकित करके यहां पुनः दिये जा रहा है, जो निम्नानुसार हैं :-

6.2.1 धारा 2(ख) में संशोधन की आवश्यकताः-

'अभिकथन' की परिभाषा में कुप्रशासन, ग्रीवान्सेज, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही, भाई-भतीजावाद व आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने को सम्मिलित नहीं किया हुआ है जबकि ये सभी अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए है। दूसरे शब्दों में कुप्रशासन, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही एवं भाई-भतीजावाद के परिणाम स्वरूप ही ग्रीवान्सेज (परिवदेनाओं) की उत्पत्ति होती है और भ्रष्टाचार ही आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने के अवसरों का जनक है। इनके संबंध में जांच/अन्वेषण नहीं किये जाने से भ्रष्टाचार, पदीय स्थिति के दुरूपयोग व परिवेदनाओं की रोकथाम किया जाना लगभग असंभव है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 (ख) में समुचित रूप से संशोधन किया जाकर **'अभिकथन'** की परिभाषा **में 'कुप्रशासन', 'ग्रीवान्सेज', 'पक्षपातपूर्ण कार्यवाही', 'भाई-भतीजावाद' व 'आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति जमा करने'** को भी सम्मिलित किया जावे।

6.2.2 धारा 2 (i)(iv)(ख) में संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 2 के खण्ड (i) के उपखण्ड (iv) के उप खण्ड (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो, **राज्य अधिनियम** के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो), की सेवामें या वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' होंगे। **राजस्थान पथ परिवहन निगम** की स्थापना केन्द्रीय अधिनियम के अधीन की गई है, ऐसी स्थिति में वे व्यक्ति जो इसकी सेवामें हैं या वेतनभोगी है, लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में नहीं आते हैं। प्रतिवर्ष परिवहन निगम के बहुत सारे लोकसेवकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं, परन्तु अधिकारिता के अभाव में यह सचिवालय उन शिकायतों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है :-

> ''धारा 2 (i)(iv)(ख) किसी **राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित** और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),''

कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य अधिनियम के साथ-साथ केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित निगम के वेतनभोगियों को भी लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत् है :-

> "2(12)(g)(ii) a statutory body or a corporation (not being a local authority) **established by or under a State or CentralAct**, owned or controlled by the State Government and any other board or Corporation as the State Government may, having regard to its financial interest therein by notification, from time to time, specify;"

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त प्रावधान में आंशिक संशोधन करके शब्द **'राज्य अधिनियम'** के पश्चात् व शब्द **'के अधीन'** के पहिले शब्द **'या केन्द्रीय अधिनियम'** को जोड़ा जावे ताकि प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवामें है या उसका वेतनभोगी है, को लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र में लाया जा सके और उनके विरूद्ध प्राप्त होने वाली पद के दुरूपयोग आदि की शिकायतों की जांच/अन्वेषण किया जा सके।

6.2.3 धारा 2(i)(iv)(d) में संशोधन की आवश्यकता :-

वर्तमान प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राजपत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, की सेवा में है या उनका वेतन भोगी है, 'लोकसेवक' की परिभाषा में आता है। परन्तु सच्चाई यह है कि वर्ष 1973 में लोकायुक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद से लेकर अब तक एक भी ऐसी सोसाइटी को इस अधिनियम के निमित्त अधिसूचित नहीं किया गया है। आज *राजस्थान*

को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, जयपुर डेयरी, सहकारी बैंकों व राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसाइटी सहित विभिन्न सहकारी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार करने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, परन्तु इनके लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त अधिसूचित न होने के कारण कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान धारा 2(i)(iv)(d) निम्नवत् है :-

> ''2(i)(iv)(d) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है,''

कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की सेवामें या वेतनभोगी है, लोकसेवक है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त धारा 2(i)(iv)(d) में से शब्द *'और जिसे राज पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है'* को विलोपित कर दिया जावे ताकि **राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, आर.सी.डी.एफ., जयपुर डेयरी, सहकारी बैंक आदि जैसी प्रत्येक रजिस्टर्ड सोसाइटी** व उसके वेतनभोगियों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार आदि की प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी अन्वेषण किया जा सके।

6.2.4 विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में विश्वविद्यालय के कर्मचारी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। यह अधिनियम 1973 में प्रभावशील हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक सारा परिदृश्य ही बदल चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम संशोधित किया जा चुका है यहां तक कि नया भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 लाया जा चुका है जिसमें दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में 12 उपखण्ड दिये गये हैं। संबंधित धारा 2(C)(Xi) निम्नवत् है :-

> "2(c)(xi)Any person who is a Vice-Chancellor or member of any governing body, professor, reader, lecturer or any other teacher or employee, by whatever designation called, of any University and any person whose services have been availed of by a University or any other public authority in connection with holding or conducting examinations;"

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की उक्त धारा 2 के उपखण्ड (C)(Xi) में वर्णित कार्मिकों के विरूद्ध इन दिनों गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना असामान्य नहीं रहा है। प्रश्नपत्रों को लीक किये जाने की घटनाएं आये दिन होने लग गई हैं। वीक्षकों

(Invigilators) के विरूद्ध भी कई शिकायत देखने को मिलती हैं। इसी तरह की शिकायतें परीक्षकों के विरूद्ध भी देखने को मिल रही हैं। अतः उक्त संदर्भित उप खण्ड (xi) के अनुसार राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी समुचित संशोधन वांछनीय है।

यहां यह उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2(12)(g)(vi) के प्रावधान के अनुसार वह प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में या उसका वेतनभोगी है, 'लोकसेवक' माना गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम की धारा 2 को संशोधित किया जाकर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(xi) में किये गये प्रावधान को जोड़ा जावे जिससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत पर भी कार्यवाही की जा सके।

6.2.5 सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

सरपंच, उप-सरपंच व पंचों तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी पंचायत की सेवामें है, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। जब से पंचायतों को विकास कार्यो के क्रियान्वयन से जोड़ा गया है व इस हेतु सरपंच, उप-सरपंच व पंचों को वित्तीय अधिकार दिये गये हैं, तब से उनके द्वारा भ्रष्टाचार व पद का दुरूपयोग किये जाने की शिकायतें भी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं।

यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि जिला परिषद के प्रमुख व उप-प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान व स्थाई समिति के अध्यक्ष को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 2(i)(iii)(a) में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, परन्तु सरपंच, उप-सरपंच व पंच तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि किसी पंचायत की सेवामें है, को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत **के सरपंच, उप-सरपंच व पंच तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सेवामें हैं को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

6.2.6 समितियों/बोर्डो के कार्मिकों को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित करने की आवश्यकता :-

सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न समितियों व बोर्डो का गठन किया जाता है जिनमें से कुछ स्टेट्यूटरी होते हैं और कुछ नॉन-स्टेट्यूटरी होते हैं। इस तरह की समितियों व मण्डलों के संचालन हेतु नियुक्त व्यक्ति व वे व्यक्ति जो ऐसी समितियों/बोर्डो की सेवामें या वेतनभोगी होते हैं, उन्हें 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया हुआ है।

जैसाकि पहिले कहा जा चुका है, राजस्थान का लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1973 में प्रभाव में आया था, तब इस तरह की समितियां/बोर्ड नहीं होंगे। संभवतः इसीलिये इनकी सेवामें या इनके वेतनभोगी कार्मिकों को **'लोकसेवक'** की परिभाषा में सम्मिलित किया गया होगा। परन्तु परिस्थितियां बदल चुकी हैं।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान धारा 2 में आवश्यक संशोधन किया जाकर सरकार द्वारा **स्टेट्यूटरी या नॉन-स्टेट्यूटरी आधार पर समय-समय पर गठित प्रत्येक समिति/बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों व प्रत्येक वह व्यक्ति जो इनकी सेवामें व इनके वेतनभोगी हैं, को 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

6.2.7 पूर्व लोकसेवक को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में रखे जाने की आवश्यकता:-

लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में पदधारण न करने वाले व्यक्ति/सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं आते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई लोकसेवक भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग करने के पश्चात् स्वयं त्यागपत्र देदे, या सेवानिवृत्त हो जावे या पद त्याग करदे तो वह धारा 2 में दी गई लोकसेवक की परिभाषा के अनुसार 'लोकसेवक' नहीं माना जावेगा। ऐसे कई उदाहरण विगत में देखने को मिले हैं जिनमें लोकसेवकों के विरूद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का अन्वेषण प्रारंभ करते ही उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया या शिकायत ही सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् प्राप्त हुई, जिसके कारण उनके लोकसवेक न रहने के कारण आगे अन्वेषण नहीं किया जा सका। केवल इसी प्रावधान के कारण किसी भी लोकसेवक को भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग करके बिना जवाबदेही के ही चले जाने की आजादी दिया जाना उचित नहीं है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 2 में यथोचित संशोधन किया **जाकर पूर्व लोकसेवकों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।**

6.2.8 राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता :-

राज्य विधान सभा के सदस्यों के विरूद्ध भी इन दिनों कई भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग के आरोप लगते रहते हैं, परन्तु लोकायुक्त अधिनियम में दी गई 'लोकसेवक' की परिभाषा में राज्य विधानसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध इस सचिवालय द्वारा कोई जांच किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम, 1984 में राज्य विधानसभा के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' माना गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राजनीतिक शुचिता को बनाये रखने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए धारा 2 में यथोचित संशोधन किया जाकर राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी 'लोकसेवक' की परिभाषा में सम्मिलित किया जावे।

6.2.9 धारा 5 (1) में संशोधन की आवश्यकता :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 5(1) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि पांच वर्ष की है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि छः वर्ष है। पदावधि की इस विसंगति को दूर करने एवं इसे छः वर्ष करने के लिये पूर्व में 12वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी लिखा गया था, जो निम्नानुसार है -

> **"Sec. 5 (1) Conditions of Service.**
> The term of office of the Member of the Public Service Commission as provided inArticle 316 (2) of Constitution is six years. Similarly the term of office the Comptroller andAuditor General of India is six years as provided in Section 2 of the Comptroller andAuditor General (Conditions of Service)Act, (XXI of 1953). To make the law uniform, the State of Uttar Pradesh has also amended Section regarding the term of the Office of Lokayukta and now the term of Office of the Lokayukta is six years. Similarly amendments have been moved in otherActs in other States**.**
>
> **It is, therefore, proposed that in Section 5 (1) the words "six years" should be substituted for the words "five years".**

अतः सुझाव दिया जाता है कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 5(1) में संशोधन किया जाकर लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त की पदावधि को भी 6 वर्ष किया जावे।

6.2.10 धारा 8(3) के संशोधन की आवश्यकता:-

धारा 8(3) शिकायत प्रस्तुत किये जाने की जो पांच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, वह उचित नहीं है। कई मामलों में यह देखा गया है कि भ्रष्ट व्यक्ति इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे अपने प्रभाव से या उनके डर के कारण उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की कोई शिकायत उनके पदासीन रहते नहीं की जाती। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले पांच वर्ष बाद उजागर होते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारियों को केवल समय सीमा लाभ देकर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: धारा 8(3) के नीचे यह परन्तुक जोड़ा जाना चाहिए कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी शिकायतों के संबंध में अन्वेषण कर सकेंगे, जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, शिकायत को उक्त अवधि में प्रस्तुत न करने के शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये कारणों से संतुष्ट हों।

6.2.11 धारा 9(1) में संशोधन कर लोकसेवकों को भी शिकायत किये जाने की अधिकारिता दिये जाने की आवश्यकता:-

भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग, भाई-भतीजावाद आदि कृत्य लोकसेवकों द्वारा ही किये जाते हैं और इनकी सबसे अधिक जानकारी भी लोकसेवकों को ही होती है, परन्तु उन्हें लोकायुक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं दी गई है। इसका कोई उचित कारण नजर नहीं आता है। इसी कारण बहुत सारी शिकायतें गुमनाम या छद्मनाम से प्राप्त होती हैं, जिनमें से जांच किये जाने योग्य मामला बनना पाये जाने पर लोकायुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर जांच के आदेश दिये जाते हैं। दिल्ली, आन्धप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश तथा केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकसेवकों को भी शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता दी गई है। राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में **लोकसेवक को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता न देना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं लगता है।**

यदि हम वास्तव में भ्रष्टाचारमुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सभी उपायों को अपनाना ही होगा और इस हेतु लोकसेवकों को भी, जो कि भ्रष्टाचार के स्रोतों एवं भ्रष्टाचारियों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके सबूतों के बारे में जानते हैं, को शिकायत प्रस्तुत करने की अधिकारिता देनी ही होगी।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 9(1) में आंशिक संशोधन करते हुए शब्द *'लोक सेवक से भिन्न'* को विलोपित कर दिया जावे।

6.2.12 शपथ पत्र को समाप्त किये जाने की आवश्यकता :-

धारा 9(2) सपठित नियम 4, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक शिकायत ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुति की जायगी जो विहित किये जायें।

इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश जनता अब भी अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है। लोग अब भी कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें ऐसी संस्था की आवश्यकता है, जहां उन्हें वकीलों और अन्य औपचारिकताओं की आवश्यकता न पड़े और यह सब लोकायुक्त सचिवालय प्रदान कर सकता है। आज अधिकाधिक लोग फैक्स व ई-मेल का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण मूल शपथ पत्र आदि प्रेषित किया जाना संभव नहीं है।

लोकायुक्त सचिवालय के लिये अब इन नवीनतम माध्यमों को नकारना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जब लोकायुक्त को स्वमेव स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिये जाने की शक्ति प्रदत है और लोकायुक्त का कार्य केवल जांच करना व मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर केवल अपनी सिफारिश करना है तो फिर किसी शिकायत के संबंध में प्रारूप निर्धारित किये जाने या उसके समर्थन में कोई शपथ पत्र को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि समय की आवश्यकता को देखते हुए व आम जनता के हित को देखते हुए धारा 9 की उप-धारा (2) को विलोपित कर दिया जाना चाहिए तथा तदनुरूप राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (कार्यवाहियां) नियम, 1974 को भी संशोधित किया जावे।

6.2.13 धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को समाप्त करने की आवश्यकताः-

धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में यह प्रावधान है कि जहां लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) लोकायुक्त अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करते हैं, तो वह उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे, संबंधित लोक सेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे।

जहां तक औपचारिक अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रावधान है, वह उचित है, परन्तु अन्वेषण प्रारंभ करने से पूर्व ही संबंधित लोकसेवक को प्रतिलिपि या सारांश दिये जाने और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने से अन्वेषण का महत्व ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में संबंधित लोकसेवक द्वारा रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ किये जाने और गवाहों को डराने-धमकाने या अपने प्रभाव में लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लोकसेवक को विभागीय जांच अथवा अभियोजन के दौरान् अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) को विलोपित कर दिया जावे और अन्वेषण के दौरान् क्या प्रक्रिया अपनाई जावे, इसे लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के विवेक पर छोड़ दिया जावे।

6.2.14 तलाशी एवं जब्ती की शक्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता:-

धारा 11(2)(ख) के अनुसार लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त को किसी भी अन्वेषण एवं प्रारंभिक जांच के प्रयोजनार्थ किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त द्वारा तलाशी का वारंट जारी किया जा सकता है, एवं अनैतिकता से अर्जित सम्पत्ति की जब्ती का आदेश भी दिया जा सकता है।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात के लोकायुक्त अधिनियमों में तलाशी एवं जब्ती का वारंट जारी करने की शक्ति विशिष्ट रूप से प्रदत्त हैं।

अतः सुझाव दिया जाता है कि अन्वेषण/जांच के उचित एवं लाभदायक निस्तारण के लिये राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में भी तलाशी एवं जब्ती का विशिष्ट प्रावधान किया जावे।

6.2.15 सिफारिश की पालना :-

वर्तमान धारा-12 की उप धारा (2) में यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा(1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई की सूचना देगा।

अभी तक का अनुभव यह बताता है कि इस वैधानिक प्रावधान की पालना सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है। प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में सूचना कई स्मृति पत्र जारी करने के

बाद महीनों एवं वर्षो के बाद दी जाती है। तब तक सिफारिश का महत्व ही समाप्त हो जाता है।

आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बिना किसी अग्रिम जांच के किसी लोकसेवक को अपने पद से हटाया जा सकता है। कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि लोकायुक्त इस संबंध में संतुष्ट हो कि संबंधित लोकसेवक को उसके पद पर से हटना चाहिए, तो उस स्थिति में इस आशय की घोषणा कर दी जावेगी।

यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली ऐसी घोषणा यदि 3 माह में अस्वीकार नहीं की जाती है, तो उसे स्वीकृत माना जायेगा। यदि संबंधित लोकसेवक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ऐसे लोकसेवक को उस पर लागू सेवा नियमों के अनुसार निलम्बित रखने की कार्यवाही करेगी।

महाराष्ट्र, उड़ीसा व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में परिवेदना के मामलों में लोकायुक्त की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होती है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को महत्व देने हेतु धारा 12 को समुचित रूप से संशोधित किया जावे ताकि लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिश का क्रियान्वयन तत्काल हो जावे।

6.2.16 अंतरिम सिफारिश किये जाने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता:-

कई बार शिकायतें लोकसेवक की किसी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को होने वाले अन्याय या अनुचित परेशानी के बारे में, लोकसम्पत्ति, राजकोष को क्षति पहुंचाने वाले आदेश की विरूद्ध या ऐसी कार्रवाही के विरूद्ध की जाती है जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। परन्तु वर्तमान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत् लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त उनके क्रियान्वयन को रोकने हेतु अंतरिम सिफारिश कर सके।

अतः वर्तमान अधिनियम में अंतरिम सिफारिश किये जाने का एक नया प्रावधान यह जोड़ा जावे कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का यदि प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि शिकायतकर्ता को लोकसेवक की किसी भी कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुए अन्याय या अनुचित परेशानी की अंतरिम सहायता की मंजूरी की सिफारिश करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के प्रशासनिक कृत्यों से होने वाले लोक सम्पत्ति या लोक राजस्व के होने वाले अपव्यय को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, लोककृत्यकारी के अवचार के कृत्यों को रोकना आवश्यक है, तो वह सक्षम प्राधिकारी को समुचित निर्देश देते हुए अंतरिम सिफारिश अग्रेषित कर सके।

यह भी प्रावधान किया जावे कि यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि जिस लोकसेवक या लोककृत्यकारी के विरूद्ध शिकायत की गई है, उसका उस पद पर बने रहना उचित नहीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी को उसके निलम्बन या स्थानान्तरण की सिफारिश कर सके।

6.2.17 धारा 22 में संशोधन किये जाने की आवश्यकता:-

धारा 22(क) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण नहीं कर सकेंगे, परन्तु इसके साथ ही धारा 22(ख) में प्रावधान किया गया है कि लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त भारत में किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक के विरूद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण विभिन्न विधियों के तहत् न्यायालय की तरह कार्य करने वाले राजस्व न्यायालयों व उन अन्य न्यायालयों को भी धारा 22(क) में परिभाषित न्यायालयों के समान लोकायुक्त के अधिकारक्षेत्र के बाहर माना जा रहा है, जबकि ये सीधे रूप से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं।

इसी प्रावधान के कारण राजस्व न्यायालयों के आरोपित पीठासीन अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान का आश्रय लिया जाता रहा है।

अत: किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिये धारा 22 के खण्ड (क) व (ख) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावे :-

> ''(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा भारत के संविधान के पार्ट VI के चैप्टर VI में यथापरिभाषित अधीनस्थ न्यायालय के किसी न्यायिक अधिकारी,
>
> (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,''

6.2.18 लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों (public functionary) द्वारा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता :-

अधिकतर लोकसेवक भ्रष्टाचार से अर्जित धन को जमीन जायदाद व अन्य चल-अचल सम्पत्तियों को स्वयं एवं अपने रक्त सम्बन्धियों के नाम से या बेनामी क्रय करने में निवेश करते हैं।

हालांकि राज्य सरकार ने हाल ही इस दिशा में कदम उठा कर सभी उच्चाधिकारियों व राजपत्रित अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा न करने पर उनकी वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश दिये गये हैं। परन्तु इस संबंध में हमारा सुझाव है कि लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर यह नवीन प्रावधान किया जाना चाहिए कि सभी लोकसेवक एवं लोककृत्यकारी (public functionary) अपने एवं निकट संबंधियों की सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रेल तक आवश्यक रूप से लोकायुक्त को प्रस्तुत करें, जिन्हें लोकायुक्त द्वारा प्रकाशित करवाया जावे ताकि यदि किसी लोकसेवक या लोककृत्यकारी (public functionary) के प्रकाशित किये गये सम्पत्ति विवरण के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह लोकायुक्त को प्रस्तुत कर सके और लोकायुक्त उनका अन्वेषण कर सके।

सम्पत्ति के विवरण की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होना चाहिए और उसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि उनके पास सम्पत्ति विवरण में दी गई सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है और न ही कोई बेनामी सम्पत्ति है।

यदि शपथ पत्र को झूठा पाया जावे तो ऐसे लोकसेवक को अभियोजित करने की शक्तियां भी लोकायुक्त में निहित किये जाने की आवश्यकता है। यह प्रावधान किये जाने पर भ्रष्ट लोकसेवकों एवं लोककृत्यकारियों पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा।

अत: उपर्युक्तानुसार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने व नवीन प्रावधान जोड़े जाने पर गंभीरता से विचार किया जावे।

हमारा यह भी सुझाव है कि यदि इतनी संख्या में संशोधन किया जाना व्यावहारिक न समझा जावे तो वर्तमान अधिनियम को **'प्रारूप लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 2005'**, जिसे 23वें प्रतिवेदन में दिया जा चुका है, के अनुसार एक नवीन लोकायुक्त अधिनियम बनाया जाकर उससे प्रतिस्थापित (substitute) किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

6.3 अन्वेषण मशीनरी एवं स्टाफ की आवश्यकता -

इस सचिवालय में वर्तमान में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के केवल दो अधिकारी, सचिव एवं उप सचिव, ही अन्वेषण कार्य सम्पन्न कराने में भागीदारी निभाते हैं जिनमें से भी एक पद अधिकांश समय तक रिक्त ही रहता है।

राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है और निरन्तर विकास एवं प्रगति की ओर अग्रसर है। बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यो के साथ-साथ शिकायतों की संख्या में भी उत्तरोत्तर भारी वृद्धि हो रही है।

कतिपय शिकायतें ऐसी प्रकृति की शिकायतें होती है जिनमें इस सचिवालय स्तर पर सुविधा एवं संसाधनों के अभाव में त्वरित अन्वेषण किया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः ऐसे मामलों के अन्वेषण में हमारे राज्य की जांच एजेन्सी 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' एवं केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सी 'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो' की सेवाओं की इस सचिवालय द्वारा उपयोगिता बहुधा अपेक्षित होती है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य व केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे।

इस प्रावधान का कर्नाटक, गुजरात एवं केरल के लोकायुक्त अधिनियमों से तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है तो यह पाया जाता है कि इन अधिनियमों के तहत् लोकायुक्त को अन्वेषण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की किसी भी एजेन्सी अथवा अधिकारी की सेवाएं लेने हेतु राज्य सरकार की पूर्व सहमति लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 18(2) में यह प्रावधान है कि महामहिम राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकरणों या अधिकारी-वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे।

वर्ष 1977 से ही इस संस्था एक स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी उपलब्ध कराये जाने या लोकायुक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऊपर पर्यवेक्षणीय शक्तियां प्रदान किये जाने की मांग समय-समय पर पत्रों एवं वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों के माध्यम से की जाती रही है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये 23वें, 24वें व 25वें वार्षिक प्रतिवेदन में भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था परन्तु लगातार मांग किये जाते रहे होने के बावजूद भी लोकायुक्त संस्था को न तो अब तक कोई स्वतंत्र अन्वेषण एजेन्सी प्रदान की गई है, न धारा 14(3) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग करने हेतु कोई सहमति प्रदान की गई है और न ही धारा 18(2) के प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लोकायुक्त को पर्यवेक्षण करने की शक्तियां ही प्रदान की गई हैं।

अन्वेषण एजेन्सी व पर्याप्त स्टाफ के अभाव में यह संस्था कई प्रकरणों के अन्वेषण में कठिनाई महसूस करती है।

यहां अन्वेषण मशीनरी व स्टाफ की उपलब्धता के संबंध में राजस्थान, मध्यप्रदेश व कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों का तुलनात्मक विवरण दिया जाना उचित होगा जिससे स्पष्ट होता है कि जहां मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक के लोकायुक्त संगठनों में अन्वेषण कार्य के लिए अन्वेषण मशीनरी व पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, वहीं राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की न तो कोई अन्वेषण मशीनरी है और न ही पर्याप्त स्टाफ है। तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

	मध्यप्रदेश	कर्नाटक	राजस्थान
प्रशासनिक शाखा	1 सचिव 1 उप सचिव 1 अवर सचिव 1 लेखाधिकारी 4 अनुभाग अधिकारी	1 रजिस्ट्रार 2 उप रजिस्ट्रार (प्रशा.) 3 सहायक रजिस्ट्रार (प्रशा.) 4 प्रबन्धक (प्रशा.) 7 कार्यालय अधीक्षक 2 लेखा अधीक्षक 1 अनुवादक	1 सचिव, 1 उप सचिव 1 सहायक सचिव 2 अनुभाग अधिकारी
विधि एवं जांच शाखा	3 विधि सलाहकार (जिला जज रैंक के अधिकारी) 1 उप विधि सलाहकार (सी.जे.एम. रैंक के अधिकारी)	9 अतिरिक्त रजिस्ट्रार-जांच 5 उप रजिस्ट्रार-जांच 4 सहायक रजिस्ट्रार (लीगल ऑपिनियन) 1 कोर्ट ऑफिसर 1 पब्लिक प्रोसीक्यूटर 9 प्रेजेन्टिंग ऑफिसर	कोई नहीं
पुलिस शाखा	1 महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 2 उप महानिरीक्षक पुलिस 8 पुलिस अधीक्षक 26 उप पुलिस अधीक्षक 41 पुलिस निरीक्षक 162 अन्य रैंक के पुलिसकर्मी	1 अतिरिक्त महानिदेशक 1 महानिरीक्षक पुलिस 1 संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) 22 पुलिस अधीक्षक 35 उप पुलिस अधीक्षक 78 पुलिस निरीक्षक	कोई नहीं
तकनीकी शाखा	1 मुख्य अभियन्ता 3 अधीक्षण अभियन्ता (1 जल संसाधन, 1 सार्वजनिक निर्माण एवं 1 जन अभियांत्रिकी) 6 सहायक अभियन्ता 4 तकनीकी सहायक	1 मुख्य अभियन्ता 1 अधीक्षण अभियन्ता 3 अधीशाषी अभियन्ता 5 सहायक अधीशाषी अभियन्ता 8 सहायक अभियन्ता 1 उप लेखा नियंत्रक 1 अंकेक्षण अधिकारी 5 लेखा अधीक्षक	कोई नहीं

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (जनवरी 2007) में यह सिफारिश की है कि **लोकायुक्त की खुद की अन्वेषण मशीनरी होनी चाहिए।** आयोग के अनुसार प्रारंभ में वह राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी ले सकते हैं, परन्तु पांच वर्ष के पश्चात् उसे स्वयं केडर में भर्ती करने एवं उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित करने के कदम उठाने चाहिए। सिफारिश का संबंधित अंश निम्नानुसार है :-

"4.4.9 Recommendations:

---

h. **The Lokayukta should have its own machinery for investigation**. Initially, it may take officers on deputation from the State Government, but over a period of five years, it should take steps to recruit its own cadre, and train them properly.

---"

अतः सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में लोकायुक्त सचिवालय को अन्वेषण कार्य हेतु पर्याप्त स्टाफ एवं स्वयं की एक स्वतंत्र अन्वेषण मशीनरी तुरन्त प्रदान की जावे तथा साथ ही लोकायुक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधान के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर लोकायुक्त को पर्यवेक्षणीय शक्ति प्रदान की जावे।

6.4 सुशासन के लिये सुझावः-

सुशासन की स्थापना के लिये निम्न उपाय भी शीघ्रातिशीघ्र अमल में लाये जाने चाहिए:-

1. जहां तक हो सके सभी राजकीय कार्यो के निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता लाई जावे।
2. समस्त राजकीय कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण किया जावे।
3. प्रत्येक कार्यालय में कार्य को निपटाने की तय अवधि व उसे निपटाने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के नाम एवं पदनाम की सूचना तथा तय अवधि में कार्य नहीं निपटाने पर इसकी शिकायत जिस अधिकारी की जानी है, उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर अंकित करवाई जावे। साथ ही कार्यो की मॉनीटरिंग की व्यवस्था भी करवाई जावे।
4. प्रत्येक विभाग/कार्यालय में शिकायत पुस्तिका रखवाया जाना अनिवार्य किया जावे एवं उसे आम जनता को शिकायत दर्ज करने हेतु उपलब्ध करावाया जावे तथा उसमें दर्ज शिकायत का निवारण 24 घण्टे के भीतर किया जाना अनिवार्य किया जावे। उस **शिकायत पुस्तिका की एक प्रति प्रत्येक माह लोकायुक्त सचिवालय में प्रेषित हो, जिससे यह संस्था निगरानी रख सके।**
5. जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं करने वाले, अपने कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने वालें, कार्य को निर्धारित समयावधि में बिना किसी उचित कारण के पूर्ण नहीं करने वाले, काम की एवज में जनता से अपेक्षा रखने वाले व जिनकी आम शोहरत अच्छी न हो को चिन्हित किया जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे व उन्हें आम जनता से जुड़े कार्यो का दायित्व नहीं दिया जावे।
6. प्रत्येक विभाग/कार्यालय के अधिकारी जनसाधारण की पहुंच में हों, वे जनसाधारण से मिलने के लिये समय निर्धारित करें और उस समयावधि में वे कार्यालय में मिलने के लिये उपस्थित रहें। इस हेतु अवांछित बैठकों एवं दौरों (tours)पर अंकुश लगाया जावे।
7. जहां तक हो सके, प्रत्येक लोकसेवक की पदस्थापन अवधि निश्चित की जावे, जो तीन से पांच वर्ष हो सकती है ताकि लोकसेवकों को अपनी कार्यक्षमता एवं प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिल सके एवं उसकी जवाबदेही भी तय की जा सके।
8. भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर उन पर तत्काल व प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जावे।

अध्याय-7

अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त ऑम्बुड्समैन सम्मेलन

प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन 26 मई से 30 मई, 1986 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में, **द्वितीय सम्मेलन** 22 अगस्त से 24 अगस्त, 1989 को नागपुर (महाराष्ट्र), **तृतीय सम्मेलन** 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 1991 को जुबिली हाल, पब्लिक गार्डन्स व आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त संस्था के भवन, हैदराबाद, **चौथा सम्मेलन** 7 मार्च, 1995 को गुरूजादा हाल, ए.पी.भवन, नई दिल्ली तथा **पांचवा सम्मेलन** 10 व 11 फरवरी, 1996 को गांधीनगर (गुजरात) में सम्पन्न हुआ।

छठा सम्मेलन दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2001 को पार्लियामेंट एनेक्सी, नई दिल्ली एवं दिल्ली सचिवालय में सम्पन्न हुआ।

सातवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2003 (बैंगलोर) दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2003 को बैंक्वेट हॉल, विधान सौधा, बैंगलोर में सम्पन्न हुआ।

आठवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2004 दिनांक 27 से 29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। सम्मेलन का समापन समारोह को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा सम्बोधित किया गया।

सम्मेलन को अन्य विशिष्टजनों के अतिरिक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधा राव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ने भी सम्बोधित किया जिन्होंने लोकायुक्त संस्था को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने एवं केन्द्रीय लोकायुक्त विधि बनाये जाने पर दिया।

यह पहला अवसर था जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकायुक्त सम्मेलन को सम्बोधित किया गया।

नवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मलेन-2007 दिनांक 22 व 23 सितम्बर, 2007 को बैंगलोर में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया।

समारोह का समापन माननीय श्री शिवराज पाटील, तत्कालीन गृहमंत्री, भारत सरकार ने अपने भाषण से किया।

10वां सम्मेलन दिनांक 9 व 10 अक्टूबर, 2010 को भोपाल में आयोजित किया गया।

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि

लोकायुक्त			
क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.8.1973	27.8.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.8.1978	5.8.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.8.1979	7.8.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	4.4.1984	3.1.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	4.1.1985	3.1.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.1.1990	6.3.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.8.1990	30.9.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.1.1994	16.2.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.7.1994	6.7.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	1.5.2007	निरन्तर
उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	5.6.1973	25.6.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त।

- लोकायुक्त का पद 8.8.1982 से 3.8.1984 तक, 4.1.90 से 15.1.1990 तक, 7.3.1990 से 9.8.1990, 1.10.1993 से 20.1.1994 तक, 17.2.1994 से 5.7.1994 तक, 7.7.1999 से 25.11.1999 तक एवं 27.11.2004 से 30.4.2007 तक रिक्त रहा है।
- उप लोकायुक्त का पद श्री के.पी.यू.मेनन के दिनांक 25.6.74 को त्याग पत्र दिये जाने के बाद से निरन्तर रिक्त चला आ रहा है।

चित्तौड़गढ़ गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक दिनांक 16.12.2010 के फोटोग्राफ व न्यूज कटिंग्स

लोकायुक्त ने माना भ्रष्टाचार है

चित्तौड़गढ़। राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता ने कहा कि राज्य में हर माह कई विभागों से जुड़ी 100 से ज्यादा शिकायते लोकायुक्त को मिल रही है। उन्होंने माना कि इससे लगता है कि भ्रष्टाचार है। अब राजस्थान में भी लोकायुक्त की जांच के दायरे

में मंत्रियों के बाद विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता ने सोमवार शाम सर्किट हाऊस में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें प्रतिमाह 100 से अधिक शिकायतें विभिन्न विभागों से मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा शिकायते पुलिस व रेवेन्यू विभाग से जुड़ी मिलती है। उन्होंने माना कि बड़ी संख्या में शिकायते मिलने के पीछे लगता है कि भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त द्वारा सभी विभागों से संबंधित शिकायतें सुनी जाती है। इसमें किसी लोक सेवक द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद काम नहीं करने, राशनकार्ड नहीं बनाने, प्रमाण पत्र नहीं बनाने, मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करने, नपा द्वारा काम नहीं करने, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने आदि कार्य नहीं करने की शिकायत मिलने पर उसकी जांच की जाती है।

शेष | पेज 4

लोकायुक्त ने माना ...

वही किसी कार्य के होने के दौरान उसमें व्यवधान डालने के कार्य की भी जांच होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बने हुए मौजूदा कानून के अनुसार लोकायुक्त सभी विभागों के सभी श्रेणी के लोकसेवकों के अलावा मंत्रियों के संबंध में शिकायतें सुनते हैं, लेकिन अभी राज्य के विधायकों को लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। वर्तमान में हर प्रदेश में लोकायुक्त के संबंध में अलग-अलग कानून है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर आयोजित होने वाले लोकायुक्तों की सेमिनार में कानून में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाकर केंद्र सरकार आदि को भेजे जाते हैं। अभी पूरे देश के राज्यों में लोकायुक्त के संबंध में एक जैसे कानून बनाने के लिए सामूहिक मॉडल कानून बनाने की प्रस्ताव भेजा गया है।

बोले लोकायुक्त — प्रदेश में मिल रही प्रति माह 100 शिकायतें

कार्य में विलम्ब करना भी भ्रष्टाचार

पत्रिका संवाददाता @ चित्तौड़गढ़

राज्य में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। रिश्वत मांगना भ्रष्टाचार तो है ही लेकिन काम नहीं करना, कार्य अटका देना, कार्य में विलम्ब करना, काम को लेकर टालमटोल करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस सम्बंध में प्रतिमाह औसतन एक सौ शिकायतें मिल रही हैं। यह बात राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता ने सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त कार्रवाई की अंतिम ऑथोरिटी नहीं है। उन्हें उच्चाधिकारियों को भेजना पड़ता है। भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ विलम्ब का यही मुख्य कारण है।

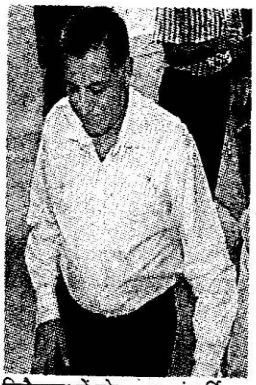

चित्तौड़गढ़ में सोमवार सायं सर्किट हाउस पहुंचे लोकायुक्त। पत्रिका

मंत्रियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट कर दी जाती है लेकिन जनप्रतिनिधि लोकायुक्त के दायरे में नहीं है। अब तक कितने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई? गुप्ता ने यह कहकर जवाब को टाल गए कि हम इस प्रकार की जानकारी नहीं दे सकते। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त कार्यालय के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इसके प्रचार प्रचार के लिए ही जिला मुख्यालय पर बैठकें लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

सिफारिश भी

लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता ने बताया कि जन प्रतिनिधियों को कई राज्य में लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है।

भीलवाड़ा गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की गई बैठक दिनांक 18.11.2010 के फोटोग्राफ व न्यूज कटिंग्स

लोकायुक्त ने सुने परिवाद

भीलवाड़ा 18 नवंबर/ राजस्थान के लोकायुक्त महामहिम जी.एल.गुप्ता ने अपने भीलवाड़ा प्रवास के दौरान आज प्रातः 11 बजे सर्किट हाउस में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की व आम जनों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परिवाद सुने।

उन्होंने बताया कि लोकायुक्त के यहां राज्य के मंत्रियों, लोक सेवको, जिला परिषद के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, नगर परिषद, नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर विकास निगमो, मंडलो के अध्यक्षो, विभागाध्यक्षों, सचिवों, राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत की जा सकती है परंतु पंच, सरपंच, विधायक, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, लोक सेवा आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी व उच्च न्यायालय को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण के साथ तस्दीकशुदा शपथ पत्र लगाकर लोकायुक्त के यहां शिकायत दर्ज करा सकता है। प्राप्त शिकायत की जांच अवश्य की जाती है। उन्होने बताया कि प्रतिवर्ष लोकायुक्त को लगभग एक सौ शिकायतों प्राप्त हो जाती है।

लोकायुक्त के साथ बैठक में उपभोक्ता परिषद की अध्यक्षा मधू जाजू, यूनेस्को के श्याम बनवाड़ी, गणेश सेवा समिति के उदयलाल समदानी, बाल एवं महिला चेतना समिति की तारा अहलूवालिया, तेजस्वनी महिला मण्डल की आशा रामावत, महिला सलाह व सुरक्षा केन्द्र की अनुराधा, लायन्स क्लब पदमिनी की नितू बाबेल सहित नई दिशा, महावीर इन्टरनेशनल मीरा, नशा मुक्ति केन्द्र , संबोधी महिला मण्डल आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे ।